राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार;

03 अप्रेल, 2001

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रमेश खींची।

अनुरोध/मांग

बजट लीक प्रकरण की जांच

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 मार्च को बजट लीक होने की बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी लेकिन आज सात दिन तक उस पर न तो कोई जांच कमेटी हुई और न कोई बात हुई। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह +++ असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, एक पेपर में है कि बजट लीक होने का मामला गहराया। वाटर पम्पिंग सैट्स अचानक इतने उसी दिन क्यों खरीदे ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफारमेशन।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बजट लीक नहीं हुआ है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये सारे के सारे खड़े होकर +++ तीन दिन से लगातार मांग चल रही है और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट लीक हुआ है, जिन पर टैक्स बढ़ाया गया है उनके दाम बढ़ गये, अचानक खरीद हो गयी पम्पिंग सैट्स की और चाय की, बजट लीक के कारण (व्यवधान) आज पेपर में भी आया है। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी : कोई करोड़ों का घोटाला नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, मैं इनका खण्डन करता हूं।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : कोई बजट लीक नहीं हुआ है ये यों ही सदन का समय बरबाद करना चाहते हैं। हम महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी पर स्पष्ट आरोप है, + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बजट लीक नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये आरोप बिलकुल मिथ्या और निराधार हैं, इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि भ्रष्ट कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और दूसरी तरफ + + + वाटर पम्प सैट्स की खरीद और बिक्री हुई।

श्री अध्यक्ष : जो एलीगेशन माननीय सदस्य ने वित्त मंत्रीजी के खिलाफ लगाये हैं, मैं उसे एक्सपंज करता हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण देता हूं, इसके प्रमाण हैं मेरे पास। मैंने सदन की टेबल पर रख दिया। आप इसमें दिशा-निर्देश दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री इस्तीफा दें। आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। रातोरात बजट के कारण जो बिक्री हुई है उसको लेकर वित्त मंत्रीजी इस्तीफा दें या सरकार इस्तीफा दे। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। आर्थिक अपराधियों को दण्ड दिया जाए, आप ऐसी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सब खड़े हो जाएं। इस आरोप की जांच होनी चाहिए।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों रुपयों की हेराफेरी हुई है। एक दिन पहले बजट लीक होने से पहले ये पम्प्स खरीद लिये गये। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आरोप की जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : ऐसा सौदा करने वालों से इस्तीफा मांगो। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मांगीलाल डांगा : केन्द्र सरकार से इस्तीफा मांगो। + + + इस्तीफा मांगो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करने से इनकी + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो यह स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आर्थिक अपराधियों को दण्ड दिया जाए या वित्त मंत्रीजी इस्तीफा दें। वित्त मंत्रीजी को कटघरे में खड़ा किया जाए। या तो वित्त मंत्रीजी इस्तीफा दें या सरकार इस्तीफा दे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. रतन लाल जाट : XXX

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : ये क्या नारा लगा रहे हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार दिनांक 4 अप्रेल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.11 बजे बुधवार, 4 अप्रेल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्नोत्तर

खेड़ली (अलवर) में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण

55. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 में विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेड़ली कस्बे में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में सम्मिलित किये जाने की एवं उसे वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किये जाने की जानकारी दी थी? यदि हां, तो उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य अब इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। खेड़ली में प्रस्तावित 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन के लिये आवश्यक भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर (19.10.2000) 2000 में किया गया तथा 2.11.2000 में वास्तविक कब्जा दिया गया। इस कारण वर्ष 2000-2001 में इस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका।

(2) जी, हां। अब इस सब-स्टेशन को बनाने हेतु वर्ष 2001-02 की योजना में शामिल किया गया है व इसके लिए वर्ष 2001-02 में वांछित प्रावधान किया गया है।

राजकीय मुद्रणालयों से मुद्रण कार्य

56. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कितने राजकीय मुद्रणालय कब-कब से कहां-कहां कार्यरत हैं? उक्त मुद्रणालयों में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय मुद्रणालयों के अधिकांश कर्मचारियों पर समय-समय पर तकनीकी प्रशिक्षण देने में करोड़ों रुपयों का व्यय किया है?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में अनुभवी तकनीकी कर्मचारी होने के बावजूद भी सरकार सहकारी प्रेस के माध्यम से नोडल एजेन्सी बनाकर महत्वपूर्ण सभी सरकारी दस्तावेज एवं गोपनीय मुद्रण कार्य तक निजी छापेखानों में करवाकर सरकारी छापेखानों की उपेक्षा कर यहां पर तैनात अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर आमादा है? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ऐसा किया जा रहा

(श्री रामस्वरूप)

है? क्या सरकार इसे बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार सरकारी छापेखानों में विनियोजित भारी रकम की मशीनरी एवं तकनीकी कर्मचारियों का सदुपयोग करते हुये पुनः सम्पूर्ण प्रेसों में छपाई सहकारी/निजी क्षेत्र की छपाई अपने ही छापेखानों में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या मंत्रिमण्डलीय उपसमिति ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अलवर, उदयपुर, बीकानेर मुद्रणालयों को बन्द करने का अवैध निर्णय भी लिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मुद्रणालयों को चालू रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के पांच राजकीय मुद्रणालय क्रियाशील है, जो एकीकृत राजस्थान की स्थापना के समय राज्यों के मुद्रणालयों के विलीनीकरण से निम्न स्थानों पर मुद्रणालय स्थापित किए गए थे : —

1. राज्य केन्द्रीय, मुद्रणालय, जयपुर।
2. राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर।
3. राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर।
4. राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।
5. राजकीय मुद्रणालय, अलवर।

प्रत्येक मुद्रणालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार से है : —

क्र.सं.	नाम मुद्रणालय	अधिकारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1.	राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर	3	508
2.	राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर	1	263
3.	राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर	1	148
4.	राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।	1	127
5.	राजकीय मुद्रणालय, अलवर।	शुन्य	102
		6	1148

कुल 6 अधिकारी एवं 1148 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) वित्त विभाग के आदेशों के तहत कुछ ही कार्य सहकारिता मुद्रणालय से करवाया जाता है, जब कि सामान्यता कार्य राजकीय मुद्रणालयों से ही करवाया जाता है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं है।

(राज्य मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

(4) सरकारी छापाखानों में भारी मशीनरी एवं तकनीकी कर्मचारी की नवीनतम तकनीक लेटर प्रेस के मुद्रण पद्धति से संबंधित है। लेटर, प्रेस तकनीक आऊटडेटेड सी हो रही है। आऊटडेटेड होने के बावजूद भी उपलब्ध मशीनरी एवं मानव शक्ति का पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में सरकार आधुनिकतम तकनीक के मुद्रणालय स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(5) राज्य सरकार द्वारा एक मंत्रीमण्डलीय समिति का गठन किया गया था। उक्त कमेटी द्वारा रिक्त पदों को समाप्त करने तथा राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर, बीकानेर एवं अलवर को बन्द करने का निर्णय लिया गया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

महिला विकास कार्यक्रम के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

57. **डा. रतन लाल (सहाड़ा)** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने कई विभागों को संस्थापन शाखा के खर्च को कम करने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी अनुपालना में कितने पद समाप्त किये गये हैं और उक्त पदों के समाप्त होने से कितने कर्मचारी अधिशेष हुए?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधीन चल रही दो परियोजनाओं महिला विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास परियोजना में से विभाग द्वारा महिला विकास कार्यक्रम के 99 पदों को समाप्त किया गया है जिन पर कर्मचारी कार्यरत थे तथा बाल विकास परियोजना का एक भी पद समाप्त नहीं किया गया जबकि उक्त परियोजना में भारी संख्या में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त विभाग में वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं?

(4) महिला विकास अभिकरणों में बाल विकास के विलय किये जाने के फलस्वरूप महिला विकास अभिकरणों में काम कर रहे कितने कर्मचारी अधिशेष हुए? क्या सरकार उनके समायोजन के लिए कोई प्रबन्ध कर रही है? यदि हां, तो कहाँ एवं कब तक?

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में वर्ष 2000-2001 में नियमित वेतन श्रृंखला के 101 पद एवं संविदा आधारित 202 पद समाप्त किये गये। इन पदों की समाप्ति से जिला महिला विकास अभिकरणों में 34 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।

(2) महिला विकास कार्यक्रम के तहत नियमित 99 पद तथा संविदा पर 194 पद समाप्त किये गये हैं। बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 नियमित पद एवं 8 संविदा

(महिला एवं बाल, विकास मंत्री)

पदों को समाप्त किया गया है। बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1102 पद रिक्त है। नई नियुक्तियों एवं पदोन्नति पर रोक रहने के कारण नहीं भरा जा सका है। रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति/अधिशेष/मृतक आश्रितों से भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) विभाग में वर्तमान में कुल 1102 पद रिक्त हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(4) जिला महिला विकास अभिकरण में पदों की समाप्ति से 34 कर्मचारी प्रभावित हुए है। प्रभावित कर्मचारियों के 32 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्ष 2000-2001 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समाप्त किये गये पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	नियमित पद	संविदा पद
1	2	3	4
महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत			
1.	परियोजना अधिकारी	01	—
2.	लेखाकार	27	—
3.	कनिष्ठ लेखाकार	04	—
4.	शीघ्रलिपिक	12	18
5.	वरिष्ठ लिपिक	—	18
6.	प्रवेता	—	73
7.	कनिष्ठ लिपिक	14	18
8.	वाहन चालक	14	13
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	16	36
10.	चौकीदार	11	18

[illegible]

1	2	3	4
बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत			
1.	परियोजना सहायक	01	–
2.	पोषाहार विज्ञ	01	–
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य हेतु	—	01
4.	रिकार्ड लिफ्टर	—	01
5.	सांख्यिकी सहायक (Retd.)	–	01
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	01
7.	भवन की देखभाल के कार्य हेतु	—	01
8.	चौकीदार	—	03

परिशिष्ट-"अ"

महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग)	01
2.	संयुक्त प्रोजेक्ट समन्वयक	03
3.	लेखाधिकारी	01
4.	प्रशिक्षण एवं संचार कार्यक्रम अधिकारी	02
5.	उप निदेशक (ICDS) एवं पदेन परियोजना निदेशक	04
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	27
7.	सहा. बाल विकास परियोजना अधिकारी	80
8.	प्रोग्रामर	01
9.	निजी सहायक	05
10.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02
11.	EPABX ऑपरेटर	02
12.	पोषाहार विज्ञ	07
13.	स्वास्थ्य अनुदेशक	07
14.	स्कूल पूर्व शिक्षा अनुदेशक	07
15.	लेखाकार	05
16.	कनिष्ठ लेखाकार	30
17.	सांख्यिकी सहायक	82
18.	कार्यालय सहायक	07
19.	शीघ्रलिपिक	04
20.	वरिष्ठ लिपिक	94
21.	कनिष्ठ लिपिक	106
22.	महिला पर्यवेक्षक	573
23.	वाहन चालक	11
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	41

हवाई जहाज/हैलीकाप्टर का बकाया किराया

58. श्री विश्वनाथ सिंह (गुढ़ा) :: क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :: —

(1) राजस्थान के नागरिक उड्डयन विभाग के पास कितने हवाई जहाज/हेलीकाप्टर हैं?

(2) फरवरी, 2001 को अन्त होने वाले गत तीन वर्षों में इनके रख रखाव आदि पर कितना व्यय किया गया?

(3) उक्त का उपयोग करने वालों से कितना किराया किस आधार पर लिया जा रहा है तथा अब तक कितनी किराया राशि किस-किस व्यक्ति/विभाग/सरकार की तरफ बकाया है?

उत्तर

(1) नागरिक उड्डयन विभाग के पास एक वायुयान एवं एक हैलीकाप्टर है।

(2) राजकीय वायुयान/हैलीकाप्टर पर फरवरी, 2001 को अन्त होने वाले गत 3 वर्षों में इनके रख-रखाव पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है : —

1. राजकीय वायुयान 149.72 लाख रुपये

2. राजकीय हैलीकाप्टर 1,66,18,521/- रुपये (इसमें हैलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत कराने का व्यय भी सम्मिलित है)

(3) इसका उपयोग एवं किराया "द यूज एण्ड रिक्वीजिशन आफ दी राजस्थान गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट रूल्स, 1977" में दिये गये प्रावधानों के आधार पर लिया जा रहा है।।

हैलीकाप्टर के उपयोग में लेने के लिए स्व. श्री राजेश पायलट, भूतपूर्व सांसद के रुपये 114,858/- बकाया है।।

कोटा राष्ट्रीय संभाग में वृद्धावस्था पेंशन धारक

59. श्री मदन दिलावर (अटरू) :: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :: —

(1) कोटा संभाग की तहसील नैनवां, छबड़ा, छीपाबड़ौद व अटरू में अप्रेल, 1999 तक कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी तथा दिसम्बर, 1999 को कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही थी?

(2) दिसम्बर, 2000 तक कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेंशनधारियों की संख्या कम होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या जिस वक्त पेंशन स्वीकृत की गई थी उस वक्त वह नियमानुसार पेंशन पाने की पात्रता नहीं रखते थे? यदि हां,

(श्री मदन दिलावर)

तो अप्रैल, 1999 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता क्या थी और उस समय पात्रता रखते थे तो पेंशन निरस्त क्यों की गई?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग की तहसील नैनवां में 2300, छबड़ा में 1554, छीपाबड़ौद में 1145 एवं अटरू में 570 व्यक्तियों को अप्रैल 1999 तक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही थी तथा दिसम्बर, 1999 को इन्हीं तहसीलों में क्रमशः 1730, 656, 1195 एवं 1386 व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही थी।

(2) दिसम्बर, 2000 तक पंचायत समिति नैनवां, छबड़ा, छीपाबड़ौद एवं अटरू में क्रमशः 1735, 941, 241 एवं 179 व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही थी।

(3) स्वीकृत पेन्शन प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश क्रमांक 76122-54 दिनांक 17-11-1999 द्वारा पुनः जांच एवं सर्वे के निर्देश दिये। जिला कलेक्टरों द्वारा जांच के उपरान्त गलत पाये गये प्रकरणों की स्वीकृति अधिकारियों द्वारा स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई। जिसके परिणामस्वरूप पेन्शनधारियों की संख्या में कमी आई।

(4) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन के अन्तर्गत परिशिष्ट-"अ" के अनुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति पेन्शन पाने के योग्य है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देय 75/- रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 125/- रुपये प्रतिमाह की दर से जून 1999 से अतिरिक्त भुगतान करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7-7-1999 के द्वारा वृद्धावस्था पेन्शन नियमों में शिथिलता प्रदान की गई। इस शिथिलता के उपरान्त अनेक आवेदक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हो गये। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7-6-2000 द्वारा उक्त शिथिलता समाप्त कर दी गई तथा समस्त प्रकरणों की जांच करवाने का निर्णय लिया गया। आदेश क्रमांक 4433-65 दिनांक 1-8-2000 द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को दिनांक 7-7-1999 के संशोधन से पूर्व पात्रता की शर्तों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के समस्त प्रकरणों की पुनः जांच कर स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये गये। परिणामस्वरूप शिथिलता वापिस लिये जाने के कारण अपात्र हो गये व्यक्तियों की स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई।

परिशिष्ट-"अ"

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

विशिष्ट शर्तें

17. राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए केन्द्रीय सहायता नीचे पैराग्राफ 18 में दी गई शर्तों के अनुसार ही दी जाएगी। कोई और मानदण्ड वैध न होगा।

18. केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाएं जाने चाहिए:

    (1) आवेदक की आयु (पुरुष अथवा महिला) 65 वर्ष या उससे अधिक होगी।

    (2) आवेदक दीन-हीन होना चाहिए अर्थात् उसके आय के अपने स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों अथवा अन्य स्रोतों के मार्फत भरण-पोषण के लिए नियमित साधन न हों अथवा बहुत कम हों। दीन-हीनता निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों में इस समय लागू मानदण्ड यदि कोई हो, भी अपनाए जा सकते हैं। केन्द्र सरकार को इन मानदण्डों की समीक्षा करने और उचित संशोधनों का सुझाव देने का अधिकार रहेगा।

    (3) केन्द्रीय सहायत प्राप्त करने के प्रयोजन से वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति माह 75 रुपये होगी।

    (4) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु वृद्धावस्था पेंशनों की कुल संख्या की अधिकतम सीमा तालिका-1 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

    (5) राज्य में योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ वर्ष में दो किश्तों में कम में वितरित नहीं किए जाने चाहिए और यदि संभव हो, तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार से लाभ अधिक किश्तों में वितरित किए जाएं।

19. ग्राम पंचायतों और संबद्ध नगरपालिकाएं पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने के तत्काल बाद प्रत्येक मामले की रिपोर्ट संबंधित संस्वीकृति पदाधिकारी को देंगी। इस प्रकार की सूचना मिलते ही संस्वीकृति पदाधिकारी भुगतान रोकना सुनिश्चित करेंगे।

20. संस्वीकृति पदाधिकारी की पात्रता के बारे में झूठी अथवा गलत सूचना के आधार पर संस्वीकृत किसी भी पेंशन का भुगतान रोकने/वसूल करने का अधिकार होगा।

ब्यावर चिकित्सालय का सुदृढ़ीकरण

60. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या 11 वें वित्त आयोग की अनुशंषा के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उन पर क्रियान्विति कब तक होने की सम्भावना है?

(2) उक्त प्रस्ताव में क्या ब्यावर स्थित चिकित्सालय भी सम्मिलित है? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएं व उपकरण अपेक्षित हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। इन पर क्रियान्विति वित्तीय वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। उक्त अस्पताल में अपेक्षित सुविधाएं व उपकरण का विवरण संलग्न है।

भाग दो की सूची

क्र.सं.	अपेक्षित उपकरण	अपेक्षित सुविधाएं
1.	ट्रेडमील मशीन	ट्रेडमील कक्ष का निर्माण
2.	इलेक्ट्रो एनसेफेलो ग्राम (ई. ई. जी. मशीन)	ई. ई. जी. कक्ष का निर्माण
3.	कम्प्यूटराईज टोमाग्राफी (सीटी-स्केन मशीन)	सीटी स्केन कक्ष का निर्माण
4.	अल्ट्रासाऊण्ड मशीन	अल्ट्रासाउण्ड कक्ष का निर्माण
5.	क्लिनिकल एवं पैथेलोजिकल उपकरण	क्लिनिकल एवं पैथोलोजिकल भवन का निर्माण
6.	आपरेशन थियेटर मेजर आपरेशन उपकरण	—
7.	आपरेशन थियेटर माइनर आपरेशन उपकरण	—
8.	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिये उपकरण।	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिये भवन।

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में भू-संरक्षण कार्य

61. **श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक कौन-कौन से गांवों में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य किया गया?

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किन-किन गांवों में कार्य हुए हैं, अब तक कौन-कौन से गांव में कितनी राशि स्वीकृत कर व्यय की गई?

(3) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य हुआ प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन का कितना भुगतान किया गया और पखवाड़े में कुल कितने दिन की राशि का भुगतान किया गया है? सूंची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य कराया गया प्रति पखवाड़े में कितने मजदूरों ने काम किया है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान-सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक पं.स. बागीदौरा में 42 व आनन्दपुरी में 61 कुल 103 गांवों में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य कराये गये हैं, जिनकी सूची प्रपत्र-1 पर संलग्न है।

(2) जल ग्रहण विकास कार्यक्रमों में राशि का आवंटन जलग्रहणवार किया जाता है। जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण के माध्यम से कुल 40 जलग्रहण क्षेत्रों के अधीन आने वाले 103 गांवों हेतु राशि 834.38 लाख रुपये स्वीकृत हुए है जिसके विपरीत व्यय राशि रुपये 339.45 लाख हुआ है। जलग्रहण क्षेत्रवार आवंटित राशि एवं व्यय का ब्यौरा प्रपत्र-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत जिन गांवों में कार्य हुआ है उनमें प्रत्येक मजदूर को जल ग्रहण कमेटी/यूजर्स समिति को दिये गये टास्क के आधार पर वर्ष 1994-95 में प्रभावी मजदूरी दर 22 रुपये के विपरीत औसतन 22.00 रुपये, वर्ष 1996 से 1998 के दौरान प्रभावी मजदूरी दर 32 रुपये के विपरीत औसतन 27 रुपये तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रभावी मजदूरी दर 44 रुपये के विपरीत औसतन 35 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया गया जिसकी सूची प्रपत्र 3 पर संलग्न है। पखवाड़े में अवकाश दिवस छोड़कर सामान्यतया: 12-13 दिन का भुगतान किया गया है।

(4) जल ग्रहण विकास की विभिन्न गतिविधियों की प्रकृति एंव कार्य की मात्रा के अनुसार जल ग्रहण समितियों/ यूजर्स

(कृषि मंत्री)

समितियों को टास्क आवंटित किया जाता है। उक्त समितियां क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार उन्हें नियोजित कर निर्धारित कार्यावधि में कार्य पूर्ण कराती है। उक्त योजना अन्तर्गत कार्यावधिवार मजदूरों की संख्या प्रपत्र-3 के कालम सं. 8 पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली में साक्षरता कार्यक्रम पर व्यय

62. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली में साक्षरता कार्यक्रम हेतु गत पांच वर्षों में कब-कब, किस-किस मद हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? स्वीकृत राशि व दिनांक सहित मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कब-कब कितनी-कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में उक्त साक्षरता कार्यक्रम किस-किस स्थान पर कब-कब चलाया गया एवं क्या-क्या सामग्री कब-कब किस-किस के आदेश से क्रय की गई एवं कब-कब कहां-कहां काम में ली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कार्यक्रम में संचालन हेतु किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां किस पद पर पदस्थापित किया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहायक अभियन्ताओं को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता

63. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार के मेन्युअल भाग एक में क्लाज 11 विभागीय परीक्षाओं से सम्बन्धित है व इसके अनुसार विभाग से सम्बन्धित है व इसके अनुसार विभाग में कार्यरत सभी सहायक अभियंताओं को अपनी नियुक्ति के तीन वर्ष के अन्दर उक्त विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक है?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विभागीय परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में नियम 11.8 के अन्तर्गत ऐसे सभी सहायक अभियन्ता पदावनति के पात्र हैं?

(3) वर्तमान में विभाग में ऐसे कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं जिन्होंने यह परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसे सहायक अभियन्ताओं को विभाग द्वारा नियमानुसार पदावनत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) वर्तमान में विभाग में 108 सहायक अभियन्ता (सिविल), 6 सहायक अभियन्ता (विद्युत) एवं 5 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) है जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इनकी सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न की जा रही है।

(4) जी नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. मैन्यूअल के नियम 11.7 के परन्तुक के अनुसार यदि कोई सहायक अभियन्ता तीन वर्ष में किसी असाधारण परिस्थितियों में, जो कि उसके वश में नहीं हो, परीक्षा में नहीं बैठ पाया हो, एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उसे प्रमाणित करने पर तीन वर्ष की सीमा में छूट प्रदान की जा सकेगी। प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-"क"

नियमित चयनित सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) का विवरण

जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है की सूची

क्र.सं.	नाम सहायक अभियन्ता (सिविल)	नियमित चयन वर्ष
1	2	3
1.	श्री बी. पी. आनन्द (एससी)	पीएससी 1980
2.	श्री वी. के. मज्जू	डी.पी.सी. 82-83
3.	श्री रमेश चन्द मेहता	" " 82-83 (लापता)
4.	श्री युधिष्ठर आर्य	" " 86-87
5.	श्री गणेश प्रसाद व्यास	" " 87-88
6.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	" " 89-90
7.	श्री महेन्द्र कुमार व्यास	" " 91-92
8.	श्री सांयर मल मीणा (एसटी)	पीएससी 91-92
9.	श्री एम. सी. गोस्वामी	डीपीसी 92-93
10.	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	पीएससी 92-93
11.	श्री आई. एस. भण्डारी	डीपीसी 93-94
12.	श्री मोहम्मद उस्मान पटेल	" " 93-94
13.	श्री एम. पी. यादव	" " 93-94
14.	श्री ओम प्रकाश माथुर	" " 95-96
15.	श्री सुरेश चन्द जोशी	" " 95-96
16.	श्री मोहनलाल स्वामी	" " 95-96

1	2	3
17.	श्री भंवर लाल धोबी (एससी)	डी.पी.सी. 96-97
18.	श्री भंवरलाल वर्मा (एससी)	" " 96-97
19.	श्री रामनाथ मीणा (एसटी)	" " 96-97
20.	श्री चौथमल मीणा (एसटी)	" " 96-97
21.	श्री रमेश चन्द नारवाल (एससी)	" " 96-97
22.	श्री किशन लाल धोबी (एससी)	" " 96-97
23.	श्री मदनलाल यादव (एससी)	" " 96-97
24.	श्री चम्पालाल मेघवाल (एससी)	" " 96-97
25.	श्री सत्यानारायण मीणा (एसटी)	" " 96-97
26.	श्री श्रीफल लाल (एसटी)	" " 96-97
27.	श्री अर्जुन लाल गर्ग (एससी)	" " 96-97
28.	श्री रामअवतार रावत (एससी)	" " 96-97
29.	श्री मोहर सिंह मीणा (एसटी)	" " 96-97
30.	श्री छुट्टन लाल कोली (एससी)	" " 96-97
31.	श्री श्याम लाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
32.	श्री हनुमान सहाय मीणा (एसटी)	" " 96-97
33.	श्री रूपसिंह खाराड़ी (एसटी)	" " 96-97
34.	श्री भागीरथ मल (एससी)	" " 96-97
35.	श्री भवानी शंकर मीणा (एसटी)	" " 96-97

1	2	3
36.	श्री मातादीन (एससी)	डी.पी.सी. 96-97
37.	श्री कारूलाल परमार (एसटी)	" " 96-97
38.	श्री लादूराम महावर (एससी)	" " 96-97
39.	श्री शंकरलाल बुनकर (एससी)	" " 96-97
40.	श्री लादूराम मोगिया (एससी)	" " 96-97
41.	श्री शांतिलाल खटीक (एससी)	" " 96-97
42.	श्री श्रीराम मीणा (एसटी)	" " 96-97
43.	श्री रामस्वरूप मीणा (एसटी)	" " 96-97
44.	श्री शिवस्वरूप मीणा (एसटी)	" " 96-97
45.	श्री गोपाल लाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
46.	श्री राजेन्द्र कुमार परमार (एसटी)	" " 96-97
47.	श्री मिश्रीलाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
48.	श्री पन्नालाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
49.	श्री सुनील कुमार मोगरा	" " 96-97
50.	श्री महेश चन्द गोयल	" " 96-97
51.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	" " 96-97
52.	श्री कृष्ण मुरारी शर्मा	" " 96-97
53.	श्री अनिल कुमार सिंघल	" " 96-97
54.	श्री सुरेश माथुर	" " 96-97

1	2	3
55.	श्री ए. के. नाग चौधरी	डी.पी.सी. 96-97
56.	श्री पूरन सिंह	" " 96-97
58.	श्री बृजेन्द्र कमार मित्तल	" " 96-97
59.	श्री बृजमोहन ढ़ाका	" " 96-97
60.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	" " 96-97
61.	श्री श्याम सुन्दर जोशी	" " 96-97
62.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	" " 96-97
63.	श्री कृष्ण कुमार गर्ग	" " 96-97
64.	श्री सूर्य प्रकाश गोयल	" " 96-97
65.	श्री रामबाबू मंगल	" " 96-97 (परिणाम रोका)
66.	श्री पूरण सिंह बृजवासी (एससी)	" " 96-97
67.	श्री प्रभात कुमार सुखवाल	" " 96-97
68.	श्री प्रदीप दयाल माथुर	" " 96-97
69.	श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल	" " 96-97
70.	श्री वस्तुपाल जैन	" " 96-97
71.	श्री ओम प्रकाश लखेरा	" " 96-97
72.	श्री अविनाश माथुर	" " 96-97
73.	श्री जगदीश प्रसाद गहलोद (एससी)	" " 96-97
74.	श्री खिलाड़ीराम मीणा (एससी)	" " 96-97

1	2	3
75.	श्री हिन्द प्रकाश डमोर (एसटी)	डी.पी.सी. 96-97
76.	श्री विश्राम सिंह डाबी (एसटी)	" " 96-97
77.	श्री नारायणलाल वर्मा (एससी)	" " 96-97
78.	श्री अश्वनी कुमार मीणा (एसटी)	" " 96-97
79.	श्री केसरीलाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
80.	श्री ओम प्रकाश चौहान (एससी)	" " 96-97
81.	श्री भगवान सिंह रावल (एससी)	" " 96-97
82.	श्री चन्द्र मोहन बैरवा (एससी)	" " 96-97
83.	श्री इकबाल सिंह (एसटी)	" " 96-97
84.	श्री महेश चन्द मीणा (एसटी)	" " 96-97
85.	श्री उदय सिंह (एसटी)	" " 96-97
86.	श्री अमर चन्द मीणा (एसटी)	" " 96-97
87.	श्री शेर सिंह मीणा (एसटी)	" " 96-97
88.	श्री श्रीराम मीणा (एसटी)	" " 96-97
89.	श्री रामनिवास मीणा (एसटी)	" " 96-97
90.	श्री सत्यपाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
91.	मनोज कुमार शर्मा	पीएससी 96-97
92.	श्री अजय कुमार भूपेश (एससी)	" " 96-97
93.	श्री सुरेश चन्द सैनी (ओबीसी)	" " 96-97 (परिणाम रोका)

1	2	3
94.	श्री चैतन्य पंवार (ओबीसी)	पी.एस.सी. 96-97
95.	श्री पंकज यादव (ओबीसी)	" " 96-97
96.	श्री अशोक कुमार (ओबीसी)	" " 96-97
97.	श्री जगदीश चन्द शर्मा (ओबीसी)	" " 96-97
98.	श्री आशाराम सैनी (ओबीसी)	" " 96-97
99.	श्री हीरालाल मीणा (एसटी)	" " 96-97
100.	श्री अमृतलाल देवपाल (एससी)	" " 96-97
101.	श्री शिवरतन मण्डावरिया (एससी)	" " 96-97
102.	श्री राजवीर सिंह (एससी)	" " 96-97
103.	श्री हरिसिंह मीणा (एसटी)	" " 96-97
104.	श्री पियूष गौड़	" " 98-99
105.	श्री मुकेश शर्मा	" " 98-99
106.	श्री दलिप कुमार परिहार	" " 98-99
107.	श्री भगवान सिंह मीणा	" " 98-99
108.	श्री जगन लाल मीणा	" " 98-99
सहायक अभियन्ता (विद्युत)		
1.	श्री वी. डी. भटनागर	डीपीसी 89-90
2.	श्री श्री के. एल. शर्मा	" " 96-97
3.	श्री पियूष भोरिया	पीएससी 96-97

1	2	3
4.	श्री जितेन्द्र कुमार	पी.एस.सी. 96-97
5.	श्री शिव हरे महावर (एससी)	" " 96-97
6.	श्री बजरंग सिंह	" " 96-97
सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)		
1.	श्री एस. सी. गोविल	डी.पी.सी. 89-90
2.	श्री भरत प्रकाश (एससी)	पीएससी 91-92
3.	श्री हीरालाल मीणा (एसटी)	डीपीसी 96-97
4.	श्री सम्पतराज़ भाटी	" " 96-97
5.	श्री गोविन्द सिंह गहलोद	" " 96-97

सैनिकों के कल्याणार्थ नवीन योजनाएं

64. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में सैनिकों के कल्याणार्थ क्या-क्या नई योजनाएं प्रारम्भ की हैं? पूर्व घोषित योजनाएं व नवीन योजनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व व सेवारत सैनिकों को अधिक आबादी वाली तहसीलों में सैनिक परिवारों के लाभार्थ विशेष योजनाएं व कार्यक्रम यथा कालेज, बड़े अस्पताल, उद्योग आदि खोलने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार जिला राजसमंद की तहसील भीम जहां बड़ी संख्या में पूर्व व सेवा सैनिक परिवार निवास करते हैं में सैन्ट्रल स्कूल खोलने हेतु कलक्टर के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों में सैनिकों के कल्याणार्थ प्रारम्भ की गयी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के परिवारों के लाभार्थ योजनाएं व कार्यक्रम पूर्व से लागू किये हुए हैं जिनका परिशिष्ट-"क" में उल्लेख किया गया है तथा राज्य के सभी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्कूल, कालेज, अस्पताल एवं उद्योग स्थापित किये हुए हैं और वर्तमान में सैनिक कल्याण विभाग के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) यह सही है कि राजसमन्द जिला की भीम तहसील में पूर्व व सेवारत सैनिक परिवार निवास करते हैं लेकिन सैन्ट्रल स्कूल खुलवाने के लिए किसी शैक्षणिक संस्था, स्वयं सेवी संस्था, जनप्रतिनिधियों अथवा पंचायत से जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-"क"

1. पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु उप खण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।

2. प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन को नोडल आफिसर बनाया गया है, जो युद्ध विधवाओं/पूर्व सैनिकों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करायेंगे।

3. कारगिल शहीदों के लिये पैकेज जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत 1-4-1999 के पश्चात् शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों के आश्रितों को 1 लाख रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि, या 1 लाख रुपये नकद आवासन मण्डल का एम आई जी मकान या 5 लाख रुपये नकद, माता पिता के नाम मासिक आय योजना के अन्तर्गत 1-02 लाख रुपये जमा, विधवा या उसके पुत्र को सरकारी नौकरी, शहीद के बच्चों को निशुल्क शिक्षा व स्कूल स्तर पर 1800 रुपये तथा कालेज स्तर पर 3600 रुपये वार्षिक छात्रवृति, शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण विधवा की भूमि का आउट आफ टर्न विद्युत कनेक्शन तथा विधवा व उसके आश्रित बच्चों को रोडवेज का फ्री पास दिये जा रहे हैं। इस प्रकार स्थायी अपंग सैनिकों को 25,000 रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि व सैनिक या उसके पुत्र को सरकारी नौकरी का प्रावधान है।

4. अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के प्रकरण पूर्व में कोई भी विभाग निस्तारित नहीं कर रहा था। अब सैनिक कल्याण विभाग इनका निस्तारण कर रहा है।

5. जिन स्थानों पर शहीद सैनिकों की संख्या अधिक है, वहां पर शहीद स्मारकों का निर्माण कराया जा रहा है।

6. प्री कारगिल युद्ध विधवाओं को दिये जा रहे सम्मान भत्ते की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह की गई है।

गत दो वर्षों से पूर्व की योजनाओं का विवरण : —

(1) प्री कारगिल युद्ध विधवाओं को 10,000 रुपये नकद व 25 बीघा सिंचित भूमि देने का प्रावधान।

(2) विभिन्न शोर्य पुरस्कार विजेताओं को नकद पारितोषिक एवं 25 बीघा सिंचित भूमि।

(3) द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को 300 रुपये मासिक पेंशन

(4) पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार दिलाने के लिये सैम्फेक्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाया जाता है।

(5) पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान छात्राओं को स्कूल स्तर पर 100 रुपये एवं कालेज स्तर पर 150 रुपये प्रतिमाह छात्रवृति।

एकीकृत बाल विकास योजना के तृतीय चरण में स्वीकृत अनुदान

65. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) एकीकृत बाल विकास योजना के तृतीय चरण में विश्व बैंक से कितना अनुदान सरकार को प्राप्त हुआ तथा प्राप्त अनुदान को व्यय करने की स्वीकृति वित्त विभाग ने कब जारी की और कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना का तृतीय चरण कब पूर्ण हो जाना चाहिए था तथा इसके अन्तर्गत कितनी नवीन परियोजना कब तक प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी और कितनी योजना कब से प्रारम्भ हुई?

(3) एकीकृत बाल विकास परियोजना के तृतीय चरण में विश्व बैंक से प्राप्त राशि वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कितनी व्यय होनी थी और कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्व बैंक संघोषित आई. सी. डी. एस. तृतीय के लिये भारत सरकार से अब तक राशि 2798.94 लाख का अनुदान प्राप्त हो चुका है। वित्त विभाग द्वारा विश्व बैंक संघोषित आई. सी. डी. एस. तृतीय हेतु प्राप्त अनुदान को व्यय करने का किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। विभाग द्वारा जब-जब जिन मदों पर व्यय करने की स्वीकृति चाही गई, समय-समय पर प्राप्त होती रही है। इस योजना में वर्ष 1999-2000 में राशि 5.52 लाख रुपये तथा वर्ष 2000-01 में माह फरवरी, 2001 तक राशि 1208.37 लाख रुपये अर्थात् कुल 1213.89 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) विश्व बैंक द्वारा संघोषित आई. सी. डी. एस. तृतीय के अन्तर्गत 32 नवीन परियोजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की जानी थी तथा वर्ष 2000-2001 में 34 नवीन परियोजनाएं खोली जानी थी। विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में स्वीकृति क्रमांक 63152 दिनांक 12-11-1999 के द्वारा 32 परियोजनाएं शुरू की गई। वर्ष 2000-01 में 34 नवीन परियोजनाएं की स्वीकृति क्रमांक 33225 दिनांक 17-6-2000 के द्वारा शुरू की गई।

(3)

क्र.सं.	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1.	1999-2000	28.30	5.52
2.	2000-2001	5668.17	1208.37 (2/2001 तक)

कैला देवी करौली में निर्मित यात्रिका का शुभारम्भ

66. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली में कैलादेवी मेले के अवसर पर लाखों पर्यटक आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यात्रिका का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रिका के निर्माण हो जाने के बाद भी अभी तक उसे चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त यात्रिका को कब तक चालू करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी, हां। कैला देवी में यात्रिका का निर्माण कार्य (मुख्य भवन) 1999-2000 में कराया गया जो अभी अधूरा है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार/भारत सरकार से पूर्ण स्वीकृत राशि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरे होने की वजह से इकाई चालू नहीं की गई। यात्रिका को चालू करना भारत सरकार व राज्य सरकार से शेष राशि की वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के उपरान्त ही सम्भव होगा, जिसके लिये विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से निजी कुओं में ब्लास्टिंग हेतु ऋण

67. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 2000 में जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से कितने निजी कुओं के काश्तकारों को ब्लास्टिंग हेतु ऋण सहायता राशि स्वीकृत की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की पंचायत समिति सज्जनगढ़ में भी जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से निजी कुओं हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को?

(3) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष पंचायत समिति सज्जनगढ़ में जनजाति क्षेत्रीय विकास मद में ब्लास्टिंग स्वीकृति कर अकाल राहत में कार्य चालू किये गये थे? यदि हां, तो कितने?

(4) क्या यह सही है कि निजी कुओं को अकाल राहत में शुरू करने हेतु मस्टर रोल जारी किये गये थे?

(5) क्या गत वर्ष उक्त स्वीकृति के तहत निजी कुए अकाल राहत में गहरे कराये गये थे? यदि हां,तो कितने कुओं का भुगतान बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) वर्ष 2000 में बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से 2031 निजी कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। पंचायत समितिवार संख्या परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी, हां। पंचायत समिति सज्जनगढ़ में 164 कास्तकारों के निजी कुओं को ब्लास्टिंग से गहरा कराने हेतु वर्ष 2000 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत कास्तकारों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। जनजाति विकास विभाग द्वारा कुओं को गहरा कराने के कार्य को अकाल राहत से जोड़ा गया था, जिसके अनुसार ब्लास्टिंग की राशि का भुगतान जनजाति विकास विभाग द्वारा तथा मलबा निकालने का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत श्रम मद से किया जाना था।

(4) पंचायत समिति सज्जनगढ़ में स्वीकृत 164 कुओं हेतु मस्टररोल्स जारी किये गये थे। विकास अधिकारी सज्जनगढ़ ने 117 कास्तकारों के कार्य को नियम विरुद्ध माना है। शेष 47 कास्तकारों का कार्य नियमानुसार प्रारम्भ किया गया।

(5) जी, हां। सज्जनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में स्वीकृत जिन 47 कुओं का कार्य नियमानुसार प्रारम्भ हुआ उनमें से 19 कुओं का भुगतान कर दिया गया था। शेष 28 कुओं के मस्टररोल्स अकाल राहत कार्य समाप्त होने (15 जुलाई) के काफी समय पश्चात् (30.9.2000) विकास अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त मस्टररोल्स संदेहास्पद होने के कारण भुगतान रोक दिया गया था। जांच कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बाड़मेर/जैसलमेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

68. **श्री अमीन खान (शिव)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में चिकित्सकों/मेल नर्सों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर व जैसलमेर के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में चिकित्सकों के 756, नर्स श्रेणी प्रथम व द्वितीय के 1020 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(प्रसाविका) के 423 पद रिक्त है। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। चिकित्सक संवर्ग के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही की जा रही है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद पर चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजने से पूर्व कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, तथा नर्स श्रेणी द्वितीय व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविका) के रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

राज्य में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी-प्रथम एवं द्वितीय तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (प्रसाविका) के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

जिले का नाम		पद नाम		
		चिकित्सक	नर्स श्रेणी-प्रथम एवं द्वितीय	महिला स्वा. कार्यकर्ता (प्रसाविका)
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	19	85	—
2.	अलवर	25	—	—
3.	बांसवाड़ा	39	27	—
4.	बारां	25	28	15
5.	बाड़मेर	30	25	32
6.	भरतपुर	26	—	19
7.	भीलवाड़ा	29	43	16
8.	बीकानेर	12	63	14
9.	बूंदी	13	6	—
10.	चित्तौड़गढ़	24	47	8
11.	चूरू	36	99	14
12.	दौसा	7	—	25
13.	धौलपुर	12	3	—
14.	डूंगरपुर	38	12	—
15.	हनुमानगढ़	16	30	9

1	2	3	4	5
16.	जयपुर	29	8	—
17.	जैसलमेर	13	10	—
18.	जालौर	34	19	56
19.	झालावाड़	30	19	30
20.	झुंझुनूं	26	45	—
21.	जोधपुर	29	31	—
22.	करौली	10	2	38
23.	कोटा	21	8	14
24.	नागौर	21	101	35
25.	पाली	32	28	21
26.	राजसमन्द	24	58	22
27.	सीकर	16	—	2
28.	सिरोही	15	35	8
29.	सवाईमाधोपुर	8	2	10
30.	श्रीगंगानगर	25	51	14
31.	टौंक	4	30	3
32.	उदयपुर	58	96	18
	योग	**756**	**1020**	**423**

कृषि सेवा की विस्तार शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति

69. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान कृषि सेवा की विस्तार शाखा के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने अधिकारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं तथा किस-किस स्तर के कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त पदों का कार्यभार कनिष्ठ अधिकारियों के पास है तथा इनका कार्य संतोषप्रद है? यदि हां, तो इन्हें पदोन्नत करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि सेवा के विस्तार शाखा के 566 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में स्वीकृत विभिन्न पदों के विरुद्ध कितने अधिकारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं (संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं)

(2) रिक्त पदों को डी.पी.सी. द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) हां, यह सही है कि कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को इन पदों का अस्थाई कार्यभार सौंप रखा है तथा इन कार्यरत अधिकारियों का कार्य ठीक है। विभागीय पदोन्नति की कार्वाही नियमानुसार की जा रही है।

राजस्थान कृषि सेवा की विस्तार शाखा

क्र.सं.	नाम एवं पद	स्वीकृत पद	प्रतिनियुक्ति के पद	कुल पदों की सं.	नियमित पदोन्नत कार्यरत अधि. सं.	रिक्त पदों की सं.
1.	अतिरिक्त निदेशक कृषि	5	–	5	3	2
2.	संयुक्त निदेशक कृषि	22	3	25	11	14
3.	उप निदेशक कृषि	49	6	55	13	42
4.	सहायक निदेशक कृषि	123	–	123	74	49
5.	कृषि अधिकारी	311	47	358	291	67
		510	56	566	392	174

उप निदेशक कृषि

(प्रशा.)

राजस्थान, जयपुर

जिला जैसलमेर के विद्यालयों में रिक्त पद

70. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रिंसीपल एवं व्याख्याताओं के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद किस-किस तिथि से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में केवल एक माध्यमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में मात्र एक-एक विद्यालय क्रमोन्नत करना अन्य जिलों के अनुपात में कम है?

(4) क्या उक्त क्षेत्र के रिक्त पद भरने हेतु कोई प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता था?

(5) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र के शिक्षा के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुये विशेष व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं रिक्त पद निम्नानुसार है :—

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
प्रधानाचार्य	12	10
प्रधानाध्यापक	27	08
व्याख्याता	98	36

स्वीकृत, रिक्त पद मय रिक्तता तिथि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां।

(3) विद्यालय जिले को आधार मानकर क्रमोन्नत नहीं किये जाते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी, हां।

प्रश्न के भाग-1 की सूची (जैसलमेर जिले के मा. वि./उ.मा.वि. में स्वीकृत/रिक्त पद)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	रिक्त पद की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	राउमावि., जैसलमेर	प्राचार्य	01	01	2-8-2000
2.	राउमावि., पोकरण	प्राचार्य	01	01	3-1-2001
3.	राउमावि., रामगढ़	प्राचार्य	01	01	1-2-2001
4.	राउमावि., भणियाणा	प्राचार्य	01	01	8-8-98
5.	राउमावि., नाचना	प्राचार्य	01	01	17-1-2001
6.	राउमावि., मोहनगढ़	प्राचार्य	01	01	4-1-2001
7.	राउमावि., झिंझनियाली	प्राचार्य	01	01	4-5-99
8.	राउमावि., खेतोलाई	प्राचार्य	01	01	3/2000
9.	राउमावि., फलसूण्ड	प्राचार्य	01	01	26-1-2001
10.	राउमाबावि., जैसलमेर	प्राचार्य	01	01	31-3-2001
11.	राउमाबावि., पोकरण	प्राचार्य	01	—	—
12.	राउमावि., सांकड़ा	प्राचार्य	01	—	—
			12	10	
1.	रामावि., जैसलमेर	प्रधानाध्यापक	01	—	—
2.	रामावि., बडोडागांव	प्रधानाध्यापक	01	—	—
3.	रामावि., रामदेवरा	प्रधानाध्यापक	01	—	—
4.	रामावि., राजम थाई	प्रधानाध्यापक	01	—	—

1	2	3	4	5	6
5.	रा.मा.वि., उजला	प्रधानाध्यापक	01	—	—
6.	रा.मा.वि., चांधन	प्रधानाध्यापक	01	—	—
7.	रा.मा.वि., देवीकोट	प्रधानाध्यापक	01	—	—
8.	रा.मा.वि., खींया	प्रधानाध्यापक	01	—	—
9.	रा.मा.वि., लाठी	प्रधानाध्यापक	01	—	—
10.	रा.मा.वि., सागड़	प्रधानाध्यापक	01	—	—
11.	रा.मा.वि., सम	प्रधानाध्यापक	01	01	5-10-98
12.	रा.मा.वि., लखा	प्रधानाध्यापक	01	01	31-10-99
13.	रा.मा.वि., खुहड़ी	प्रधानाध्यापक	01	—	—
14.	रा.मा.वि., पारेवर	प्रधानाध्यापक	01	01	13-3-99
15.	रा.मा.वि., पूनम नगर	प्रधानाध्यापक	01	—	—
16.	रा.मा.वि., म्याजलार	प्रधानाध्यापक	01	01	31-3-98
17.	रा.मा.वि., भैसड़ा	प्रधानाध्यापक	01	01	30-9-2000
18.	रा.मा.वि., हमीरा	प्रधानाध्यापक	01	—	—
19.	रा.मा.वि., रूपसी	प्रधानाध्यापक	01	—	—
20.	रा.मा.वि., रातड़िया	प्रधानाध्यापक	01	—	—
21.	रा.मा.वि., लंवा	प्रधानाध्यापक	01	—	—
22.	रा.मा.वि., लोहारकी	प्रधानाध्यापक	01	01	2-10-99
23.	रा.मा.वि., सोनू	प्रधानाध्यापक	01	—	—

1	2	3	4	5	6
24.	रा.मा.वि., देवड़ा	प्रधानाध्यापक	01	01	25-9-2001
25.	रा.मा.वि., देवा	प्रधानाध्यापक	01	—	—
26.	रा.मा.वि., गोनट	प्रधानाध्यापक	01	—	—
27.	रा.मा.वि., फतेहगढ़	प्रधानाध्यापक	01	01	25-9-2000
			27	08	
1.	रा.उ.मा.वि., जैसलमेर	व्या. हिन्दी	05	01	3-8-1998
		व्या. अंग्रेजी	05	02	7-1-1997, 30-7-1992
		व्या. इतिहास	03	—	—
		व्या. रा. शास्त्र	03	01	18-11-97
		व्या. अर्थशास्त्र	02	02	9-10-2000 1-7-1996
		व्या. राजस्थानी	01	01	6-7-1999
		व्या. चित्रकला	01	—	—
		व्या. संस्कृत	01	—	—
		व्या. बहीखाता	01	—	—
		व्या. व्यापार पद्धति	01	01	1-2-2001
		व्या. अधिकोषण	01	—	—
		व्या. भौतिक शास्त्र	02	—	—
		व्या. रसायन शास्त्र	02	01	1-7-1998

1	2	3	4	5	6
		व्या. जीव विज्ञान	01	—	—
		व्या. गणित	01	—	—
			30	**09**	
2.	राउमावि., पोकरण	व्या. हिन्दी	02	—	—
		व्या. अंग्रेजी	03	01	30-9-1997
		व्या. इतिहास	02	—	—
		व्या. रा. शास्त्र	02	01	28-2-2001
		व्या. अर्थशास्त्र	01	—	—
		व्या. उर्दू	01	—	—
		व्या. बहीखाता	01	—	—
		व्या. व्यापार पद्धति	01	—	—
		व्या. अधिकोषण	01	—	—
		व्या. भौतिक शास्त्र	01	—	—
		व्या. रसायन शास्त्र	01	—	—
		व्या. जीव विज्ञान	01	—	—
		व्या. गणित	01	01	27-8-1998
			18	**03**	
3.	राउमावि., नाचना	व्या. हिन्दी	01	—	—
		व्या. इतिहास	01	01	9-7-1999
		व्या. रा. शास्त्र	01	01	8-2-1997
		व्या. अंग्रेजी	01	01	10-11-1997

1	2	3	4	5	6
4.	राउमावि., मोहनगढ़	व्या. हिन्दी	01	—	
		व्या. इतिहास	01	01	30-4-2000
		व्या. रा. शास्त्र	01	—	—
		व्या. अंग्रेजी	01	—	—
5.	राउमावि., फलसूण्ड	व्या. हिन्दी	01	01	24-3-2000
		व्या. इतिहास	01	01	24-3-2000
		व्या. रा. शास्त्र	01	—	—
		व्या. अंग्रेजी	01	01	24-3-2000
6.	राउमावि., सांकड़ा	व्या. हिन्दी	01	—	—
		व्या. इतिहास	01	01	30-6-2000
		व्या. रा. शास्त्र	01	—	—
		व्या. अंग्रेजी	01	01	16-9-1996
7.	राउमावि., खेतोलाई	व्या. हिन्दी	01	—	—
		व्या. इतिहास	01	—	—
		व्या. रा. शास्त्र	01	01	24-3-2000
		व्या. अंग्रेजी	01	01	24-3-2000
8.	राउमावि., रामगढ़	व्या. हिन्दी	01	—	—
		व्या. इतिहास	01	—	—
		व्या. रा. शास्त्र	01	—	—
		व्या. अंग्रेजी	01	—	—
9.	राउमावि., भणियाना	व्या. हिन्दी	01	—	—

1	2	3	4	5	6
		इतिहास	01	—	—
		रा. शास्त्र	01	01	1-7-1997
		अर्थशास्त्र	01	—	—
		अंग्रेजी	01	01	4-7-1996
10.	राउमावि., झिझनियाली	हिन्दी	01	—	—
		इतिहास	01	—	—
		रा. शास्त्र	01	01	1-7-1997
		अंग्रेजी	01	—	—
11.	राबाउमावि., पोकरण	हिन्दी	01	01	10-10-1995
		रा. शास्त्र	01	—	—
		गृह विज्ञान	01	01	4-12-1997
		इतिहास	01	01	29-5-1997
		अंग्रेजी	01	01	13-2-2001
12.	राबाउमावि., जैसलमेर	व्या. हिन्दी	01	01	28-2-2001
		व्या. वि. हिन्दी	01	01	25-8-1998
		व्या. इतिहास	02	01	3-7-1997
		व्या. अंग्रेजी	02	01	17-5-1996
		व्या. रा. शास्त्र	02	—	—
		व्या. भौ. विज्ञान	01	01	1-7-1997
		व्या. गृहविज्ञान	01	01	17-5-1996
		व्या. जीव विज्ञान	01	—	—
		व्या. रसायन वि.	01	—	—
			98	36	

विधान सभा क्षेत्र डीग की क्षतिग्रस्त सड़कें

71. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण/मरम्मत की सरकार के पास कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार ने वर्ष 2000-2001 में उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की थी तथा उक्त में से कितनी राशि व्यय की गई और इस वर्ष कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने राज्य में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन किया जायेगा, इस योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी सम्मिलित है।

(2) वर्ष 2000-2001 में उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रुपये 57.31 लाख राशि स्वीकृत की गई है कार्यादेश दिनांक 21.3.2001 को दिये जा चुके हैं तथा कार्य आरम्भ किये जा रहे है, अभी तक इन पर कोई व्यय नहीं हुआ है। इस वर्ष 2000-2001 में रुपये 57.31 लाख की राशि स्वीकृत है।

(3) जी, हां। साधारण मरम्मत (पेच रिपेयर) एवं नवीनीकरण कार्यों को प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में उल्लेखित योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

जिला बांसवाड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

72. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति घाटोल व पीपलखूंट के कुल कितने ग्रामों को विद्युतिकृत किया गया है व कितने ग्राम अभी तक विद्युतिकृत किये जाने हैं?

(2) अब उक्त ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत किया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति घाटोल एवं पीपलखूंट में क्रमशः 222 व

(ऊर्जा मंत्री)

197 ग्राम सम्मिलित हैं। माह मार्च, 2001 तक क्रमशः 197 एवं 140 ग्रामों को विद्युतिकृत घोषित किया जा चुका है। पंचायत समिति घाटोल एवं पीपलखूंट में क्रमशः 25 एवं 57 ग्राम अब विद्युतिकरण हेतु शेष हैं।

(2) पंचायत समिति पीपलखूंट के शेष रहे 57 ग्राम डूब क्षेत्र में होने के कारण ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में स्वीकृत नहीं किये जा सके हैं तथा पंचायत समिति घाटोल के शेष रहे 25 ग्रामों में से साध्य पाये जाने वाले ग्रामों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जा सकेगा।

आंगनबाड़ी केन्द्र सुल्तानपुर (कोटा) में पोषाहार वितरण में अनियमितता

73. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मधु स्मृति संस्थान सुल्तानपुर व आंगनबाड़ी केन्द्र सुल्तानपुर जिला कोटा के विरुद्ध पोषाहार वितरण में अनियमितता, समय पर वितरण नहीं होना व घटिया स्तर का पोषाहार वितरण होने की व अन्य अनियमितताएं करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है?

(2) क्या सरकार प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग को यह शिकायतें दिनांक 2-6-99, 18-8-1999 एवं 14-9-1999 को प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों की प्रति संलग्न है। विभाग की प्राप्त शिकायतों की जांच तत्कालीन क्षेत्रीय उपनिदेशक (बाल विकास), कोटा से करवाई गई।

(2) उपरोक्त शिकायतों की जांच कराने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अरावली वालिण्टियर्स सोसायटी खैरवाड़ा की अनियमितताओं की जांच

74. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 में अरावली वालिण्टियर्स सोसाइटी मुख्यालय खैरवाड़ा की विशेष जांच की गई थी? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियों की पूर्ति हेतु संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? उक्त निरीक्षण

(श्री नन्दलाल मीणा)

के दौरान पाई गई कमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त संस्था द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में केन्द्र सरकार को अवगत कराया है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार को लिखे पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां यह सही है कि वर्ष 1997-98 में अरावली वालिण्टियर्स सोसायटी, खैरवाड़ा द्वारा संचालित शैक्षणिक संकुल की विशेष जांच कराई गई थी। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु संस्था को दिनांक 11.12.1997 द्वारा निर्देश दिये गये थे। परियोजना अधिकारी, उदयपुर को भी पाई गई कमियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार ने सोसायटी द्वारा शैक्षणिक संकुल, अम्बानी के स्थान पर खैरवाड़ा में चलाये जाने तथा विशेष निरीक्षण में पाई गई कमियों के कारण भारत सरकार से सोसायटी को आगे अनुदान न स्वीकृत करने तथा सोसायटी द्वारा किये गये अनियमित व्यय की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उक्त पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

निरीक्षण के दौरान पाई गई प्रमुख कमियों का विवरण

1. निदेशानुसार बालिकाओं को संगीत, चित्रकला, पेन्टिग आदि के अवसर नहीं दिये गये तथा नियोजित स्टाफ ने परिसर में आवास नहीं किया।
2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं किया गया।
3. परिसर के स्थान का चयन इस हेतु गठित समिति द्वारा नहीं किया गया।
4. प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का चयन नहीं किया गया।
5. शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम योग्यता, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं थी।
6. अनावर्तक व्यय हेतु स्वीकृत राशि आवर्तक कार्यों पर व्यय की गई।
7. उपस्थिति पंजिका में सहायक कर्मचारियों का नाम अंकित नहीं था निरीक्षण के दिन सभी कालम रिक्त पाये गये।
8. अध्यापक डायरी, परिवीक्षक पंजिका, छात्र नामांकन रजिस्टर, भण्डार पंजिका, संस्थागत रजिस्टर आदि कोई भी रिकार्ड संधारित नहीं किया गया था।
9. सफाई, पानी की व्यवस्था, ओढ़ने-बिछाने का सामान पर्याप्त नहीं था।

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ-5(2)1)विस/टीएडी/97-98 जयपुर, दि. 24.3.98

संयुक्त सचिव (टीडी)

कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन

डी विंग, द्वितीय मंजिल

भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय : अरावली वालण्टियर्स सोसायटी खेरवाड़ा द्वारा चलाये जा रहे शैक्षणिक परिसर की ग्रान्ट इन एड राशि को रोकते हुए अनियमित व्यय की वसूली हेतु।

महोदय,

उपनिदेशक (शिक्षा) द्वारा अरावली वालिण्टियर्स सोसायटी खेरवाड़ा द्वारा संचालित शैक्षणिक परिसर की जांच रिपोर्ट संलग्न कर निवेदन है कि सोसायटी को स्वीकृत शैक्षणिक परिसर प्रस्तावित स्थान अम्बावी में संचालित नहीं किया जा रहा है अतः सोसायटी की ओर ग्रान्ट इन एड स्वीकृत न की जावे तथा सोसायटी द्वारा किये गये अनियमित व्यय की वसूली की जानी उचित होगी।

भवदीय,

शासन उप सचिव

सामुयदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ में चिकित्सा सेवाएं

75. **श्री जौहरी लाल (राजगढ़)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ जिला अलवर के आपरेशन थियेटर में वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक व्यवस्था करा दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेणी में रेडियों ग्राफर का पद स्वीकृत है और एक्सरे मशीन की व्यवस्था नहीं है ? क्या रेणी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अधिक रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सुविधा हेतु उक्त अस्पताल में एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के धमरेड, परवेणी पाटन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ को 50 शैय्याओं की जगह 100 शैय्याओं कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के भवन रहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आपरेशन थियेटर में वातानुकूल लगाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी, हां। रेणी में सहायक रेडियोग्राफर का पद स्वीकृत है, एक्सरे मशीन नहीं है। यह भी सही है कि रेणी में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति अधिक रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में एक्सरे मशीन क्रय करने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेणी में एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा।

(3) जी, नहीं। विभाग की वर्ष 2000-2001 की राज्य योजना अन्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोलने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उपरोक्त स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना संभव नहीं है।

(4) जी, नहीं, विभाग की वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किये जाने हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़ को 50 से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना संभव नहीं है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(5) जी, नहीं। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित नहीं है। इनमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सकट के भवन के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जामडोली के भवन का निर्माण कार्य कार्यकारी संस्था आवास विकास संस्थान के बन्द हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हुआ है, जिसे अब राज. आवासन मण्डल से पूर्ण करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कृषि विभाग में निदेशक के पद पर तकनीकी अधिकारी का पदस्थापन

76. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग के निदेशक के पद पर तकनीकी अधिकारी को सरकार ने पदस्थापित किया है? यदि हां, तो कब-कब तथा उक्त सम्बन्ध में नियमों में क्या व्यवस्था थी? उक्त नियमों की प्रति सहित गत दस वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अभी हाल ही में नियमों में ऐसा संशोधन किया गया है कि उक्त पद पर तकनीकी अधिकारी को नहीं लगाया जावे? यदि हां, तो क्यों और कब? संशोधित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पद पर तकनीकी अधिकारी की ज्यादा उपयोगिता है? यदि हां, तो तकनीकी अधिकारी क्यों नहीं लगाया गया?

उत्तर

(1) निदेशक, कृषि के पद पर राज्य सरकार द्वारा कृषि सेवा के एक अधिकारी (तकनीकी) श्री सुशील शर्मा के अलावा पिछले 10 वर्षों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। श्री सुशील कुमार उक्त पद पर दिनांक 05.07.1995 से 30.06.1996 तक पदस्थापित थे। वर्तमान संशोधन से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1960 के नियम 7 (क) के प्रावधानानुसार निदेशक, कृषि का पद एक चयनित (सलेक्शन पोस्ट) था। इस पद पर कृषि सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा पदस्थापित किये जाने की व्यवस्था थी। कृषि सेवा से पदोन्नति द्वारा उपयुक्त तकनीकी अधिकारी उपलब्ध नहीं हो, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहमति से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को निदेशक, कृषि के पद पर पदस्थापित करने का प्रावधान था। संशोधन से पूर्व के नियमों की प्रति (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

पिछले 10 वर्षों से निदेशक, कृषि के पद पर पदस्थापित अधिकारियों को विवरण (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) जनवरी, 2001 में राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन कर इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थापित करने की व्यवस्था की गई है। संशोधित नियम की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

निदेशक, कृषि का पद मुख्य रूप से एक प्रशासनिक पद है एवं कृषि विभाग की वर्तमान कार्य प्रकृति एवं विस्तृत कार्य व्यवस्था को देखते हुये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पदस्थापित करना उचित माना गया है। इस बारे में नियमों में किये गये संशोधन की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-3)

(3) जी, नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निदेशालय कालेज शिक्षा में हुये स्थानान्तरण पर देय भुगतान

77. **श्री सांवर लाल (भिनाय)** : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा किस-किस का स्थानान्तरण किया गया?

(2) क्या स्वेच्छिक स्थानान्तरण भी किये गये? यदि हां, तो किस-किस का?

(3) क्या प्रशासनिक स्थानान्तरण के कारण स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण समय भी दिया गया? यदि हां, तो किस-किस का कितना-कितना उक्त भत्ता एवं कार्यग्रहण समय बनता है?

(4) क्या उक्त सभी को देय का भुगतान कर दिया? यदि हां, तो कितना-कितना और किस-किस का कितना-कितना भुगतान बकाया है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में निदेशालय कालेज शिक्षा द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की सूची सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। स्वेच्छिक स्थानान्तरणों की सूची भी सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। प्रशासनिक स्थानान्तरणों में स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण समय दिया गया था। कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर उपलब्ध है।

(4) देय भुगतान एवं बकाया भुगतान का विवरण महाविद्यालयों से प्राप्त किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला बारां की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

78. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार की क्या नीति है? क्या यह सही है कि उक्त जिले की सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हो रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में भी सड़कें क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है और प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(4) क्या सम्पूर्ण सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक मरम्मत करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 1994 के अनुसार राज्य की सड़कों के रख-रखाव हेतु शहरी सड़कों पर 4 से 5 वर्ष, राज्य उच्च मार्गों पर 6 से 8 वर्ष मुख्य जिला सड़कों पर 8 से 10 वर्ष एवं अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कों पर 12 वर्ष के अन्तराल में नवीनीकरण (रिन्यूअल) कार्य करवाना निर्धारित है तदनुरूप ही जिला बारां में सड़कों के रख-रखाव के लिये भी यही नीति है। उक्त जिले की सड़के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हो रहा है।

(2) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में भी सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राज्य सरकार की नई प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में इस क्षेत्र की भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने का लक्ष्य है।

(3) बारां जिले में गैर योजना मद में सड़कों की साधारण एवं विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में क्रमशः रु. 88.80 लाख एवं 70.20 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए रु. 12.00 लाख की राशि का आवंटन विशेष मरम्मत कार्य के लिए किया गया था। उक्त आवंटन के अन्तर्गत बारां जिले में साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत कार्यों पर अब तक क्रमशः रु. 43.55 लाख एवं 5.48 लाख व्यय हो चुका है तथा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में साधारण मरम्मत एवं विशेष मरम्मत कार्यों पर क्रमशः रु. 11.82 लाख एवं 246.40 रुपये मात्र का व्यय हो चुका है।

(4) वर्ष 2000-2001 में वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण सम्पूर्ण सड़कों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की मरम्मत नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार की प्रस्तावित नई सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत राज्य में आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़कों की साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है जिसके अनुरूप बारां जिले की भी क्षतिग्रस्त सड़कों पर कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों हेतु एकत्र राशि

79. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कारगिल युद्ध में शहीदों के परिजनों के सहयोग हेतु राजस्थान की जनता एवं कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री कारगिल सहयोग फण्ड में राशि प्रदान की है? यदि हां, तो किस स्रोत से कितनी राशि जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान के कारगिल में शहीद कितने शहीदों के परिवारों को क्या-क्या सहयोग राज्य सरकार की ओर से दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के लिए एकत्र राशि सरकार ने बचाकर अन्य काम कर लिये है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) कारगिल युद्ध में शहीदों के परिजनों के सहयोग हेतु निम्न प्रकार राशि प्राप्त हुई है : — (राशि लाखों में)

1. राज्य कर्मचारियों से एक दिन का वेतन	1189.00
2. जन सहयोग से प्राप्त राशि	984.47
3. ब्याज	191.07
4. पो.आ. में राशि जमा कराने पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	97.00
कुल योग	2461.54

(2) प्राप्त राशि में से निम्न प्रकार व्यय किया गया है: (लाखों में)

(क) 1. शहीदों की विधवा को	1.00 × 165 =	165.00	
2. शहीदों के माता-पिता	1.02 × 125 =	127.50	
3. भूमि के एवज में नकद राशि	4.00 × 81 =	324.00	616.50

(ऊर्जा मंत्री)

(ख) कारगिल से पूर्व की शहीद विधवाओं को सम्मान भत्ता	25.98	
(ग) शहीद स्मारक सीकर एवं झुंझुनूं	13.00	
(घ) विकलांग सैनिकों को सहायता	4.50	
(ड) अन्य सैनिक कार्यों पर व्यय	11.38	54.86
कुल योग :	671.36	

(3) कारगिल युद्ध के समय एवं उसके बाद सैनिकों के कल्याण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग सैनिक कल्याण के कार्यों पर करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। एकत्र राशि जन सहयोग से एवं राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से हुई कटौति के माध्यम से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि घोषित पेकेज के अनुसार सहायता कारगिल युद्ध समाप्ति के पश्चात् शहीद होने वाले शहीदों के परिवारों को भी दी जावे। कारगिल युद्ध के बाद अब तक लगभग 100 सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिक शहीद हो चुके हैं, जिनको भी पेकेज के अनुसार सहायता दी गई है। भविष्य में शहीद होने वाले शहीदों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके इसके लिए प्राप्त राशि में से 17 करोड़ रुपये पोस्ट आफिस में जमा कराये गये है। जिसका ब्याज लगभग 1.91 करोड़ रुपये वार्षिक प्राप्त होता है। इससे शहीदों के परिवारों को सहायता, कारगिल युद्ध से पूर्व की शहीद विधवाओं को अतिरिक्त सम्मान भत्ता तथा अन्य सैनिक कल्याण कार्यों हेतु सहायता दी जा सकेगी। ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि का पृथक हिसाब रखने के लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि कारगिल फण्ड का एक पृथक बचत खाता खोल दिया जावे। जिसमें ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि जमा कराई जाती रहे तथा आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सके।

गरीब विधवा महिलाओं के बच्चों को देय अनुदान राशि

80. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गरीब विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा विकलांग बच्चे/बच्चियों की शादी हेतु अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदान राशि दिया जाना बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? क्या सरकार इसे पुनः प्रारम्भ करने का विचार

(श्री कन्हैया लाल)

रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधवाओं की (अधिकतम 2) पुत्रियों के विवाह हेतु 5000/- रुपये प्रति तथा विकलांग बच्चे/बच्चियों की शादी हेतु 5000/- रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(2) विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु योजना मद में वर्ष 2000-2001 में राशि आवंटित नहीं होने के कारण अनुदान नहीं दिया गया था। दिनांक 12.3.2001 को राजस्थान आकस्मिकता निधि से 10.00 लाख रुपये आवंटित कर दिनांक 17.3.2001 तक उपयोग किये जाने निर्देश प्राप्त हुए थे जिनकी पालना कर दी गई है। वर्ष 2001-2002 हेतु 10.00 लाख रुपये का बजट अनुपूरक मांग में रखा गया है।

विकलांग बच्चे/बच्चियों के विवाह पर दिये जाने वाले अनुदान पर कोई रोक नहीं है। यह योजना निरन्तर जारी है।

राजकीय चिकित्सालय, चौमूं (जयपुर) के भवन की मरम्मत

81. **श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजकीय चिकित्सालय चौमूं (जयपुर) कब खोला गया तथा खुला जब इसकी श्रेणी क्या थी? क्या यह चिकित्सालय रेफरल है?

(2) क्या राजकीय चिकित्सालय चौमूं में मरीज भर्ती होने के लिए वार्ड उपलब्ध हैं? यदि हां, तो वार्डों में कितनी शैयायें स्वीकृत हैं?

(3) क्या उक्त राजकीय चिकित्सालय भवन सरकारी है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो यह भवन किस विभाग की देखरेख में है।

(4) क्या सरकार उक्त भवन की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) चौमूं में वर्ष 1911 में राजकीय डिस्पेन्सरी स्वीकृत की गई थी। जी, हां।

(2) जी, हां। उक्त चिकित्सालाय में 30 शैय्याएं स्वीकृत है।

(3) उक्त चिकित्सालय भवन उपलब्ध रिकार्ड/सूचना के आधार पर ठाकुर देवी सिंह द्वारा उपलब्ध करवाया गया था लेकिन उक्त भवन को दान पत्र का निष्पादन के अभाव में विभाग द्वारा नियमानुसार अधिग्रहित नहीं किया गया है। वर्तमान में भवन विभाग के कब्जे में है।

(4) जी, नहीं। उक्त भवन की मरम्मत का कार्य भवन के दान पत्र के निष्पादन के पश्चात् ही करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

फसल बीमा योजना

82. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों में फसल बीमा योजना किन-किन फसलों के लिए लागू की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1986-87 में बाड़मेर ज़िले में फसली बीमा योजना लागू थी जिसके कारण किसानों को बड़ा लाभ हुआ?

(3) क्या सरकार जिला बाड़मेर में इसी वर्ष फसल बीमा योजना को लागू कर अकाल से पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) वर्तमान में फसल बीमा योजना राज्य के किसी भी जिले में लागू नहीं है।

(2) हां, यह सही है कि वर्ष 1986-87 में खरीफ मौसम में बाड़मेर जिले में फसल बीमा योजना लागू की गई थी और इस मौसम में फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों को योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई थी।

(3) राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना में कुछ फेरबदल के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजें हैं उनका जवाब आने पर आगे कार्यवाही संभव होगी।

केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत प्राप्त राशि

83. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई और इसमें से कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई?

उत्तर

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 36943.93 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा रुपये 8681.67 लाख अर्थात कुल रुपये 45625.60 लाख की राशि आवंटित की गयी है जिसके विपरीत कुल रुपये 41682.25 लाख व्यय किये गये हैं। आवंटित राशि एवं व्यय राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

इसी प्रकार वर्ष 2000-2001 में माह फरवरी, 2001 तक केन्द्र सरकार द्वारा रुपये 36423.24 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा रुपये 5738.73 लाख अर्थात् कुल रुपये 42161.97 लाख की राशि आवंटित की गयी है जिसके विपरीत माह फरवरी, 2001 तक कुल रुपये 53204.71 लाख व्यय किये गये हैं। आवंटित राशि एवं व्यय राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 1999-2000 की वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्राप्तियां			व्यय
		केन्द्र	राज्य	योग	
1	2	3	4	5	6
1.	एस.जी.एस.वाई .	2917.20	972.40	3889.60	6270.68
2.	जे.जी.एस.वाई.	5343.85	1781.29	7125.14	8149.69
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	6888.14	2288.53	9176.67	7300.22
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	3148.43	1049.47	4197.90	3478.01
5.	इन्दिरा आवास योजना	2088.93	698.10	2787.03	4734.14
6.	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	641.94	213.99	855.93	571.72
7.	सी.सी.एस.	102.62	34.21	136.83	0.00
8.	डी.डी.पी.	3901.21	827.89	4729.10	2942.62
9.	डी.पी.ए.पी.	385.75	376.75	753.50	788.71
10.	बंजर भूमि विकास योजना	227.88	0.00	227.88	280.30
11.	सांसद क्षेत्र विकास योजना	7100.00	0.00	7100.00	2944.37
12.	बायो गैस योजना	26.83	30.00	56.83	45.65
13.	सीमा क्षेत्र विकास योजना	2917.00	0.00	2917.00	2530.48
14.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	1254.15	418.04	1672.19	1641.31
15.	बंधक श्रमिक योजना	0.00	0.00	0.00	4.35
	योग	36943.93	8681.67	45625.60	41682.25

परिशिष्ट-2

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वर्ष 2000-2001 (माह फरवरी, 2001 तक) की वित्तीय प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्राप्तियां			व्यय फरवरी 2001 तक
		केन्द्र	राज्य	योग	
1	2	3	4	5	6
1.	एस.जी.एस.वाई.	2143.66	332.36	2476.02	3441.95
2.	जे.जी.एस.वाई.	4781.45	1569.40	6350.85	9461.95
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	3038.03	981.97	4020.00	7662.23
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	2246.47	679.87	2926.34	4369.59
5.	इन्दिरा आवास योजना	3009.34	539.35	3548.69	3658.95
6.	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	877.24	117.69	994.93	741.12
7.	सी.सी.एस.	0.00	0.00	0.00	52.15
8.	डी.डी.पी. (ओल्ड)	4191.60	0.00	4191.60	4223.90
9.	डी.डी.पी. (न्यू)	844.71	255.32	1100.03	632.84
10.	डी.डी.पी. (कोम्बटिंग)	2263.10	548.75	2811.85	2967.13
11.	डी.पी.ए.पी. (ओल्ड)	275.45	245.45	520.90	658.96
12.	डी.पी.ए.पी. (न्यू)	650.25	216.75	867.00	96.89
13.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रा. आ.)	723.00	0.00	723.00	443.84

1	2	3	4	5	6
14.	सांसद क्षेत्र विकास योजना	8900.00	0.00	8900.00	10657.68
15.	बायोगैस योजना	18.50	22.00	40.50	77.46
16.	सीमा क्षेत्र विकास योजना	1460.00	0.00	1460.00	2617.62
17.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	996.44	229.82	1226.26	1438.70
18.	बंधक श्रमिक योजना	4.00	0.00	4.00	1.75
	योग	**36423.24**	**5738.73**	**42161.97**	**53204.71**

अनुपूरक सूचना

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है उसके मैचिंग अंश की राशि राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान की जाती है। विभिन्न योजनाओं के केन्द्र एवं राज्य सरकार के मेचिंग अंश का विवरण संलग्न है। बायोगैस योजना में बायोगैस प्लान्ट निर्मित करने हेतु दिये जाने वाले अनुदान का पुनर्भरण किया जाता है। इसलिये मेचिंग अंश फिक्स नहीं है। स्वीकृत कार्यों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों से मिलने वाली राशि व्यय होती है। अतः केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के विपरीत व्यय का अलग-अलग विवरण नहीं होता।

वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र सरकार से 36943.93 लाख रु. एवं राज्य सरकार के मेचिंग अंश के रूप में 8681.67 लाख रु. अर्थात् कुल 45625.60 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है जिसके विपरीत 41682.25 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

वर्ष 2000-2001 में माह फरवरी, 2001 तक इन योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा 36423.24 लाख रु. एवं राज्य सरकार द्वारा 5738.73 लाख रु. अर्थात् कुल 42161.97 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है जिसके विपरीत माह फरवरी, 2001 तक 53204.71 लाख रु. व्यय किये गये हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटन में अंश का अनुपात

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	1.4.1999 के बाद केन्द्र : राज्य
1	2	3
1.	एस. जी. एस. वाई.	75 : 25
2.	जे.जी.एस.वाई.	75 : 25
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	75 : 25
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)	75 : 25
5.	इन्दिरा आवास योजना	75 : 25
6.	इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)	75 : 25
7.	सी.सी.एस.	75 : 25
8.	डी. डी. पी. (ओल्ड)	100 : –
9.	डी.डी.पी. (न्यू)	75 : 25
10.	डी.डी.पी. (कोम्बटिंग)	75 : 25
11.	डी.पी.ए.पी. (ओल्ड)	50 : 50
12.	डी.पी.ए.पी. (न्यू)	75 : 25
13.	बंजर भूमि विकास योजना	100 : –
14.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रा. आ.)	100 : –
15.	सांसद क्षेत्र विकास योजना	100 : –
16.	बायोगैस योजना	निर्धारित नहीं
17.	सीमा क्षेत्र विकास योजना	100 : –
18.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	75 : 25
19.	बंधक श्रमिक योजना	50 : 50

पंचायत मुख्यालयों हेतु सड़क निर्माण

84. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(2) उक्त प्रस्तावानुसार अब तक कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा गया है एवं शेष को कब तक सड़कों से जोड़ने की योजना है?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के अनुसार राज्य में पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में पक्की सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित था। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2003 तक एवं 500 से 1000 की आबादी के पंचायत मुख्यालयों को वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान किया है।

(2) उक्त प्रस्तावानुसार राज्य में 8165 पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है शेष रहे 1019 पंचायत मुख्यालयों में से 335 का कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। तथा 684 बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों में से 244 पंचायत मुख्यालय जो 1000 से अधिक की आबादी के हैं, को वर्ष 2003 तक एवं 356 पंचायत मुख्यालय जो 500 से 1000 की आबादी के हैं, को वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 500 से कम की आबादी के 84 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

थर्मल पावर परियोजना, धौलपुर की क्रियान्विति

85. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बिजली उत्पादन की पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो धौलपुर थर्मल प्लांट के लिये दिनांक 26-6-2000 के बाद क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने मै. आर. पी. जी., धौलपुर थर्मल पावर कम्पनी को अपने निर्णय से अवगत करा दिया था? यदि हां, तो थर्मल पावर कम्पनी की तरफ से क्या जवाब आया?

(3) क्या यह भी सही है कि धौलपुर थर्मल पावर परियोजना के प्रति सरकार चिन्तित नहीं है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

उक्त परियोजना की क्रियान्विति कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। धौलपुर थर्मल प्लांट के लिये दिनांक 26.6.2000 के बाद नेफ्था की कीमत में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए माह दिसम्बर, 2000 में कम्पनी ने अपने पत्र द्वारा परियोजना को प्रारम्भ से ही द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर परिचालन करने की पुष्टि की है। इसी पत्र में कम्पनी द्वारा इस प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकृति देने का भी निवेदन किया है। इस तरह इस परियोजना के मूल ढांचे में बदलाव आ गया है। अतः कम्पनी से निम्न सूचना मांगी गई है जो अभी तक प्रतीक्षित है : —

1. परियोजना की क्षमता क्या होगी एवं उसे कितने चरणों में पूर्ण किया जाएगा।

2. एस्क्रो की वैकल्पिक प्रतिभूति भुगतान पद्धति पर आपसी विचार-विमर्श से कोई हल निकाला जाये।

3. द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना से एनर्जी चार्जेज प्रति युनिट एंव कुल चार्जेज प्रति युनिट क्या होंगे?

(2) जी, हां। थर्मल पावर कम्पनी की ओर से जवाब प्रतीक्षित है।

(3) जी, नहीं। धौलपुर पावर परियोजना के प्रति सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है।

जिला-डूंगरपुर में संचालित सरकारी छात्रावास

86. **श्री शंकर लाल अहारी (सांचौर) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जिला-डूंगरपुर में संचालित सरकारी छात्रावास झोथरी कंटावाड़ा कनबा को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उन्हें पुनः चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा जिला-डूंगरपुर में झोथरी काटावाड़ा कनबा नाम का कभी कोई आश्रम छात्रावास संचालित नहीं किया गया।

(2) लागू नहीं।

जिला-बून्दी की प्रजनन एवं मातृ शिशु कल्याण योजना में अनियमितताएं

87. **श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिलान्तर्गत प्रजनन एवं मातृ शिशु कल्याण योजना शुरू की गई है? यदि हां, तो इसके

(श्री घासीलाल मेघवाल)

तहत बून्दी जिले को कितनी राशि आवंटित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत बून्दी जिले में क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के ग्रामीण अस्पतालों में कराये गये कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना की जांच में लाखों रुपयों का घोटाला प्रकाश में आया है तथा 50 फीसदी राशि लेप्स हो गई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) उक्त योजनान्तर्गत फर्नीचर, लैब उपकरण खरीदने हेतु किन-किन फर्मों को अधिकृत किया गया? क्या घटिया किस्म की सामग्री खरीदी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत मातृ शिशु मेले, जनमंगल बैठकें आयोजित की गई थी और ग्रामीण क्षेत्र में दाइमाओं को प्रशिक्षण दिया गया था? यदि हां, तो कितना व्यय किया गया? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना की जांच में अंकेक्षण दल द्वारा कई आपत्तियां दर्ज की गई है? क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बून्दी जिले में यू. एन. एफ. पी. ए. की सहायता से आर. एच. परियोजना जुलाई, 1997 से शुरू की गई जिसके तहत बून्दी जिले को 100.00 लाख रुपये राशि स्थानान्तरित की गई।

(2) आर. एच. परियोजना के अन्तर्गत बून्दी जिले में निम्नलिखित मुख्य कार्य करवाये गये :

क्र.सं.	विवरण	व्यय की गई राशि
1	2	3
1.	प्रशिक्षण गतिविधियों पर व्यय	968268.00
2.	निर्माण कार्यों पर व्यय	1808933.00

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

1	2	3
3.	उपकरण प्रदाय एवं मोबिलीटी पर व्यय	4245070.00
4.	समूह सम्प्रेषण पर व्यय	262135.00
5.	एन. जी. ओ. एवं पंचायत एक्टीविटीज पर व्यय	130314.00
6.	मैनेजमेंट एण्डइण्टरवेन्शन पर व्यय	18717.00
7.	सेवा सहायता (सर्विस सपोर्ट)	731247.00
8.	परियोजना प्रबन्धन पर व्यय	714362.00
9.	अन्य व्यय	107708.00
	योग	**8986759.00**

(3) यह सही है कि आर. एच. परियोजनाओं के अन्तर्गत जिले के ग्रामीण अस्पतालों में कराये गये कार्यों में अनियमितताएं पाई गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य समिति, बून्दी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बून्दी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 8 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिन्हें प्रथम दृष्टया अनियमितता करने का दोषी पाया गया है के खिलाफ सी.सी.ए. नियमों के नियम, 16 के तहत कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य चिकित्सकों को ए.पी.ओ. में जयपुर मुख्यालय कर दिया है।

(4) यह सही है कि निर्माण कार्यों एवं उपकरण क्रय में अनियमितताएं पाई गई है। लेकिन इससे राज्य सरकार को वास्तव में कितना अपव्यय हुआ उसकी जांच पूर्ण

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

होने पर ही वास्तविक राशि का पता लग सकेगा जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा निर्माण कार्य की जांच ए.डी.एम., बून्दी से कराये जाने पर 690779.00 राशि का गबन होना पाया गया है। निर्माण कार्यों के गबन के लिए सभी सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा. स्वा. केन्द्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम, 16 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(5) आर.एच. परियोजना अन्तर्गत लैब उपकरण खरीद हेतु किसी भी फर्म को अधिकृत नहीं किया गया। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष की अनुमति से ही लैब उपकरण खुली निविदा द्वारा क्रय किए गए हैं।

(6) इस योजना के अन्तर्गत मातृ शिशु मेले जनमंगल बैठकें तथा ग्रामीण क्षेत्र में दाइमाओं को प्रशिक्षण दिया गया जिस पर निम्न प्रकार से व्यय हुआ :

1. मातृ शिशु मेलों पर व्यय	235335.00
2. जनमंगल बैठकों पर व्यय	312703.00
3. दाई प्रशिक्षण (टीबीए) पर व्यय	87644.00

(7) आर. एच. परियोजना की अंकेक्षण जांच में अंकेक्षण दल द्वारा आपत्तियां दर्ज की है। इसके लिए जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, आर.सी.एच. समिति, बून्दी से अनुपालना रिपोर्ट मंगवाई जा रही है साथ ही वित्त विभाग को अंकेक्षण जांच की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत विशेष जांच कराये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

जिला-जयपुर की पंचायत समितियों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

88. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-जयपुर की पंचायत समितियों में अध्यापकों व ग्राम सेवकों के पद क्रमशः छात्रों एवं पंचायतों के अनुपात से कितने-कितने स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं ?

(2) उक्त में से कितनों को जिला परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? उक्त प्रतिनियुक्ति पर कौन-कौन कर्मचारी कब से लगे हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रतिनियुक्ति किस नियम के तहत की गई है? क्या उक्त प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए कर्मचारियों की पंचायत समितियों में सेवाओं की आवश्यकता नहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

है? अब इन्हें कब तक अपनी पंचायत समितियों में भिजवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला-जयपुर की पंचायत समितियों में अध्यापक व ग्राम सेवकों के स्वीकृत पद एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत अध्यापक एवं ग्राम सेवकों की सूची परिशिष्ट-'1' व '2' के अनुसार संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला परिषद में कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा हुआ है।

(3) जब कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ही नहीं है, तो वापस भिजवाने की स्थिति ही नहीं हैं।

परिशिष्ट-1

पंचायत समितिवार प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पंचायत समिति	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		II ग्रेड	III ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड	II ग्रेड	III ग्रेड
1.	आमेर	—	369	—	369	—	—
2.	जमुवारामगढ़	—	383	—	383	—	—
3.	गोविन्दगढ़	3	380	—	380	3	—
4.	साम्भरलेक	—	388	—	382	—	6
5.	शाहपुरा	—	232	—	232	—	—
6.	कोटपूतली	1	376	—	369	1	7
7.	विराटनगर	4	315	—	315	4	—
8.	बस्सी	—	424	—	424	—	—
9.	चाकसू	2	392	—	392	—	—
10.	दूदू	7	428	1	410	6	18
11.	फागी	—	313	—	313	—	—
12.	सांगानेर	1	250	—	250	1	—
13.	झोटवाड़ा	—	193	—	193	—	—

परिशिष्ट-2

पंचायत समितिवार ग्राम सेवकों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत संख्या	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	आमेर	48	48	48	–
2.	बस्सी	39	39	39	–
3.	चाकसू	35	35	35	–
4.	दूदू	56	56	56	–
5.	फागी	31	31	30	1
6.	गोविन्दगढ़	42	42	42	–
7.	झोटवाड़ा	16	16	16	–
8.	जमुवारामगढ़	43	43	43	–
9.	कोटपूतली	42	42	34	8
10.	सांगानेर	25	25	25	–
11.	साम्भर	44	44	43	1
12.	शाहपुरा	30	30	30	–
13.	विराटनगर	37	37	37	–

जिला-डूंगरपुर के ग्रामों की सड़कों का डामकरीकरण

89. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि आंतरी से सुराता, दामड़ी से डोजा, डोलवर से नोकना, आसेला से हड़मतिया, गोकुलपुर से भचडिया, गणेश लीमड़ी से सबगढ़, हथाई से पाडलाथूर सड़कें काफी समय से डामरीकरण से वंचित हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त अपूर्ण सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। इन डामरीकरण से अधूरी पड़ी सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	जुड़े कि.मी.	डामरीकरण से अधूरे कि.मी.
1	2	3	4	5
1.	आंतरी (1320/91) से सुराता (1242/91) सड़क	7.0	आंतरी व सुराता दोनों पंचायत मुख्यालय डामर सड़क पर स्थित है।	7.0
2.	दामडी (3371/91) से डोजा (1184/91) सड़क	14.5	दामडी व डोजा दोनों पंचायत मुख्यालय डामर सड़क पर स्थित है।	3.50
		14.5	145 कि. मी. लम्बाई में से 11 कि.मी. डामर व 3.5 कि.मी. मेटल सड़क बनी हुई है।	
3.	डोलवर (1253/91) से नोखना (1620/91) सड़क	4.0	डोलवर व नोखना दोनों गांव डामर सड़क पर स्थित है। पूर्व 4 कि.मी. मेटल सड़क है।	4.0
4.	ओसेला (1232/91) से	16.0	ओसेला व हड़मतियां दोनों गांव	14.0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1	2	3	4	5
	हड़मातियां (373/91) सड़क		डामर सड़क पर स्थित है, 16 कि.मी. लम्बाई में से 2 कि.मी. डामर, 2 कि.मी. मेटल व 5 कि.मी. ग्रेवल सड़क बनी हुई है।	
5.	गोकुलपुरा (759/91) से भचडीया (336/91) सड़क	25.0	गोकुलपुरा डामर सड़क पर स्थित है। 25 कि.मी. की लम्बाई में से 8 कि.मी. डामर, 2.5 कि.मी. मेटल व 4.5 कि.मी. ग्रेवल सड़क बनी हुई है।	17.0
6.	गणेश लिमड़ी से सबगढ़ (1941/91) सड़क	3.0	गणेश लिमड़ी व सवगढ़ दोनों गांव डामर सड़क पर स्थित है। पूरी 3 कि.मी. ग्रेवल सड़क है।	3.0
7.	हथाई (1725/91) से पाडलाथूर (1537/91) सड़क	10.0	हवाई व पाडलाथूर दोनों गांव डामर सड़क पर स्थित है, 10 कि.मी. की लम्बाई में से 6 कि.मी. डामर सड़क बनी हुई है।	4.0

(2) उपर्युक्त प्रत्येक ग्राम पहले से ही डामर से अलग से जुड़े हुये हैं। अतः राज्य सड़क विकास नीति के तहत ऐसे ग्रामों को आपस में डामर सड़क से जोड़ना अपेक्षित नहीं है। फिर भी भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इनका डामरीकरण निर्भर करेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बन्द/रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुर्नसंचालन

129. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में इस समय कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त बंद इकाइयों को पुनः चालू कराने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने तेल मिलों, मिनी सीमेंट्स उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बन्द होने के कारणों की जांच की है? यदि हां, तो सरकार किन नतीजों पर पहुंची है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त उद्योगों की रूग्णता को दूर करने के लिए कोई पैकेज तैयार किए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में इस समय 21979 लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी है, जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। बन्द पड़ी इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने कोई पृथक योजना नहीं बनायी है। बन्द एवं रूग्ण इकाइयों के पुर्नजीविकरण के लिए सहायता पुंज घोषित किया गया है। (प्रति संलग्न है)

(3) तेल मिलों, मिनी सीमेन्ट उद्योग व खाद्य प्रसंस्करण के बन्द होने के कारणों की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं करवायी गयी है।

(4) जी, हां। राज्य सरकार ने रूग्णता को दूर करने के लिए सहायता पुंज तैयार किया है। (प्रति संलग्न है)

क्र.सं.	जिला उद्योग केन्द्र	बंद इकाई (सं.)
1	2	3
1.	जयपुर (ग्रामीण)	515
2.	जयपुर (शहर)	1680
3.	अजमेर	2192
4.	अलवर	873
5.	बांसवाड़ा	296
6.	बारां	102
7.	बाड़मेर	867
8.	भरतपुर	8804
9.	भीलवाड़ा	1401
10.	भिवाड़ी	314
11.	बीकानेर	937
12.	बूंदी	218
13.	चित्तौड़गढ़	363
14.	चूरू	874
15.	दौसा	150
16.	धौलपुर	185
17.	डूंगरपुर	240
18.	हनुमानगढ़	225
19.	जैसलमेर	114
20.	जालौर	118
21.	झालावाड़	541

1	2	3
22.	झुन्झुनूं	457
23.	जोधपुर	780
24.	कोटा	261
25.	नागौर	132
26.	पाली	1379
27.	राजसमन्द	703
28.	श्रीगंगानगर	565
29.	सीकर	966
30.	सिरोही	532
31.	सवाईमाधोपुर	984
32.	टोंक	1162
33.	उदयपुर	1049
	योग	21979

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वास

उद्योगों में रुग्णता राज्य सरकार के लिए एक गम्भीर चुनौती का विषय है। औद्योगिक रुग्णता से न केवल रुग्णता उद्योगों में विनियोजित सम्पत्ति अनुत्पादक होकर एक बड़े वित्तीय भार के स्वरूप लेती है अपितु इससे राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

जो उद्योग बी.आई.एफ.आर. की परिधि में नहीं आते हैं उनके चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समिति गठित की है जो रुग्ण इकाई का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार परीक्षण कर उन्हें रुग्णता का प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए उनके पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर रुग्ण इकाई के पुनर्वास हेतु नितिगत निर्णय लेने के लिए प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अर्न्तसंस्थानीय समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) कार्यरत है जो त्रैमासिक रूप से बैठकें आयोजित कर औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता को दूर करने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु वांछित निर्णय लेती है।

उद्योग विशेष में रुग्णता की व्यापकता को देखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे उद्योगों के लिए सर्वेक्षण करवाकर रुग्ण इकाइयों के उपचार हेतु प्रयास करती है। हाल ही में ग्रेनाइट एवं सीमेन्ट उद्योगों के बारे में इस प्रकार का सर्वेक्षण रीको द्वारा कराया गया। इस सर्वेक्षण में प्राप्त सुझावों के अनुरूप कार्यवाही की जानी प्रारम्भ कर दी गई है।

औद्योगिक नीति 1998 में रुग्णता को रोकने एवं रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु विशेष सहायता पुंज़ तैयार किया गया है। औद्योगिक नीति 1998 में उल्लेखित सहायता पुंज में निम्नांकित बातें प्रमुख रूप से सम्मिलित की गई है :

1. जो इकाइयां बी.आई.एफ.आर. की परिधि में नहीं आती है उनके पुनर्जीवन एवं पुनरुद्धार के मामलों के निस्तारण हेतु बी.आई.एफ.आर. के ढांचे के अनुरूप एक पृथक प्राधिकरण की स्थापना की जावेगी।
2. राज्य वित्तीय संस्थायें रुग्णता को रोकने के लिए अधिक ध्यान देगी। रीको एवं राज. वित्त निगम नियमित भुगतान करने वाली इकाईयों से 2% कम ब्याज वसूल करेगी।

3. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थायें रुग्णता समिति के लिए अन्य उपयुक्त उपाय अपनायेगी यथा प्रबन्धकीय परिवर्तन, एक बारीय योजना (ओ.टी.एस)

4. बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 में रुग्ण इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। प्रबन्धन के परिवर्तन के माध्यम से नये विनियोजन के साथ रुग्ण इकाई जो पुनर्जीवित की जाती है, नई इकाई के समान बिक्री कर छूट प्राप्त करने की पात्र होगी बशर्ते कि ऐसी इकाइयों ने पूर्व में बिक्री कर का लाभ न लिया हो।

5. रुग्ण इकाइयों से उनकी रुग्णता की अवधि के दौरान भूमि एवं भवन कर वसूल नहीं किया जावेगा।

6. अनुमोदित पुनरोद्धार योजना के अन्तर्गत पुनर्जीवितिकरण के लिए ली गई रुग्ण इकाइयों को पांच वर्षों के लिए चुंगी मुक्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।

7. रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवितिकरण के लिए राज. राज्य विद्युत मण्डल न्यूनतम चार्जेज का 1/3 या वास्तविक उपभाग चार्जेज, जो भी अधिक हो वसूल करेगा।

8. औद्योगिक इकाइयां जो स्वयं की भूमि पर स्थापित की गई हैं उनके द्वारा अतिरिक्त भूमि के बेचान की राशि को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक योगदान के रूप में माना जावेगा।

9. रुग्ण इकाइयों को बिक्री कर से मुक्ति/आस्थगन का लाभ नई औद्योगिक इकाई के समान प्राप्त होगा। राज्य सरकार/रीको/राज. वित्त निगम से नये प्रबन्धन द्वारा लीज पर ली गई रुग्ण इकाई को भी नई इकाई के समान कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिलेगा। रुग्ण इकाइयों को कर मुक्ति/आस्थगन की दृष्टि से दो श्रेणियों में प्रथम बार बांटा गया है :

   अ. रुग्ण इकाई जिन्होंने पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया है, को नई औद्योगिक इकाई के बराबर कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिलेगा।

   ब. जिन रुग्ण इकाइयों ने पूर्व में कर मुक्ति का लाभ लिया है, उन्हें कर देयता के 80% से आरम्भ होकर वर्षवार घटते क्रम में 11 वर्षों की अवधि के लिए कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिलेगा।

10. रुग्ण इकाई, योजना के संलग्नक-'अ' में अंकित 'अपात्र उद्योग' की श्रेणी की होने के बावजूद कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ प्राप्त कर सकेगी। कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ प्राप्त करने हेतु 'प्रतिबंधित क्षेत्र' में स्थापित नहीं होने का बन्धन रुग्ण इकाई पर लागू होगा।

प्रस्तावित योजना :

(1) रुग्ण इकाइयों का व्यापक सर्वेक्षण करवाकर उनकी पुनर्जीवीकरण योजना बनाकर एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृति पश्चात् लागू किया जावेगा।

(2) पुनर्जीवीकरण अवधि में ऋण वसूली स्थगित रखी जावेगी तथा आर.एफ.सी., रीको बकाया ऋण की किश्तों का पुनर्निधारण किया जावेगा।

(3) आर.एफ.सी., रीको पुनर्जीवीकरण, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करेंगे।

(4) आर.एस.ई.बी. पुनर्जीवीकरण अवधि में मिनिमम चार्जेज के स्थान पर वास्तविक उपभाग के आधार पर वसूल करेगी तथा विद्युत कर से मुक्त रखेगी।

(5) पुनर्जीवीकरण में औद्योगिक इकाइयों द्वारा क्रय की मशीनों को क्रय कर से मुक्त रखा जावेगा।

(6) रुग्ण घोषित इकाइयों को तीन वर्ष के लिए कच्चे माल के क्रय को परचेज टैक्स से मुक्त रखा जावेगा।

(7) सरकारी क्रय में रुग्ण इकाइयों को 5% मूल्य वरियता दी जावेगी।

ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिकों हेतु राशन सामग्री की व्यवस्था

130. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में कितने ईंट भट्टे कार्यरत हैं और उन पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भट्टों पर मजदूरी करने वाले मजदूरों को सस्ते अनाज व केरोसिन आदि की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 824 ईंट भट्टे पंजीकृत है और उन पर 12061 मजदूर काम कर रहे हैं।

(2) यहां पर मजदूरी करने वालों को विशेष रूप से सस्ता अनाज व केरोसीन देने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। केरोसीन व गेहूं को राशन कार्ड पर देने की प्रक्रिया खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा बनायी गयी है तथा इस प्रक्रिया के जरिये जिस श्रेणी के व्यक्तियों को गेहूं व केरोसीन दिया जा सकता है उस श्रेणी में आने वाले मजदूर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

जैसलमेर के खेल छात्रावास में निःशुल्क भोजन

131. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)** : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर के इन्दिरा गांधी स्टेडियम में ग्रामीण प्रतिभाओं के विकास हेतु खेल छात्रावास प्रारंभ किया गया था?

(2) क्या उक्त छात्रावास हेतु भवन भी बनाया है?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष उक्त छात्रावास में छात्रों को प्रवेश भी दिया गया है? यदि हां, तो संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अब तक इसमें निःशुल्क भोजन आदि की सुविधा दी जाती थी और वर्तमान में बंद कर दी गई है?

(5) क्या सरकार उक्त सुविधाएं पुनः बहाल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वर्ष 1998-99 में राज्य के सीमान्त जिलों गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों के छात्रों के लिए खेल छात्रावास प्रारम्भ किया गया था।

(राज्य मंत्री, युवा एवं खेल कूद)

(2) जी, हां। खेल छात्रावास सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है। छात्रावास भवन का उपयोग जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र जैसलमेर के द्वारा वर्ष 1999 से किया जा रहा है।

(3) जी, हां। कलक्टर, जैसलमेर के निर्णयानुसार इस वर्ष खेल छात्रावास में छात्रों को प्रवेश दिया गया है। छात्रों की संख्या सूची संलग्न है।

(4) जी, हां। वर्ष 1998-1999 व 1999-2000 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा निःशुल्क भोजन आदि की सुविधा दी गई थी। वर्तमान सत्र 2000-2001 में बन्द कर दी गई है।

(5) प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

खेल छात्रावास में प्रवेश पाने वाले खिलाड़ियों की सूची

क्रमांक	नाम	ग्राम	खेल
1.	खेमाराम पुत्र श्री राणाराम प्रजापत	छोड	एथलेटिक्स
2.	उगेश कुमार टेलर पुत्र श्री दीपाराम	डांगरी	एथलेटिक्स
3.	कोजाराम चौहान पुत्र श्री गोमदराम चौहान	साकड़ा	एथलेटिक्स
4.	श्रवण कुमार विश्नोई पुत्र श्री रेशमाराम	घोलिया	बास्केटबाल
5.	ओमप्रकश चौधरी पुत्र श्री मालाराम चौधरी	घोरीमन्ना	बास्केटबाल
6.	शेतान सिंह भाटी पुत्र श्री जालम सिंह भाटी	डांगरी	वालीबाल
7.	प्रदीप कुमार राव पुत्र श्री सम्पतराम राव	सोढ़ाकौर	वालीबाल
8.	लखसिंह भाटी पुत्र श्री इन्द्रसिंह भाटी	सोढ़ाकौर	वालीबाल

जिला-श्रीगंगानगर स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं हेतु आमंत्रित निविदाएं

132. **श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :** क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2001 तक जिला-गंगानगर में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बेनरों व दीवार पर स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं लिखवाने हेतु कितनी बार निविदायें आमंत्रित की गई और निविदा स्वीकृत कौनसी पार्टी की की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरकार ने उक्त सूचनाओं पर कितनी राशि व्यय की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2001 तक निम्न प्रकार से निविदायें आमंत्रित की गई :—

क्र.सं.	वर्ष	बैनर हेतु	दीवार पर स्वा. संबंधी सुचना लिखवाने हेतु	कुल
1.	1998-99	03	—	03
2.	1999-2000	02	—	02
3.	2000-2001	02	01	02
	कुल	07	01	07

निविदा स्वीकृत निम्नलिखित पार्टियों की की गई :—

1998-1999

1. मै. के. राज. एण्ड कम्पनी, श्री गंगानगर-बैनर
2. मै. धूड़िया स्क्रीन, हनुमानगढ़-बैनर
3. मै. गाइड आर्ट स्टूडियो, श्रीगंगानगर-बैनर
4. मै. विजय पेंटर, श्रीगंगानगर-बैनर

1999-2000

1. मै. मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टोर्स, बीकानेर-बैनर
2. मै. छाबड़ा आर्ट स्क्रीन, श्रीगंगानगर-बैनर
3. मै. करनी आर्ट सर्विस, श्रीगंगानगर-बैनर

2000-2001

1. मै. छाबड़ा आर्ट स्क्रीन, श्री गंगानगर-बैनर
2. मै. छाबड़ा आर्ट स्क्रीन, श्रीगंगानगर-दीवार लेखन

(2) व्यय राशि

वर्ष	आइटम	बैनर	दीवार	लेखन
1	2	3	4	5
1998-99	बैनर [illegible]			

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

1	2	3	4	5
1999-2000	बैनर	33,635.00		
2000-2001	बैनर	1,06,190.00	10,282.00	
		2,00,866.00	10,282.00	

महायोग : 2,11,148.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन (भरतपुर) के स्वीकृत पद

133. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन, जिला-भरतपुर में कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2000-2001 में उक्त चिकित्सालय में एक ही पद पर पांच कर्मचारियों का पदस्थापन कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चैन, जिला-भरतपुर में निम्न पद स्वीकृत है :—

1. चिकित्सा अधिकारी एक
2. मेलनर्स-द्वितीय एक
3. एल. एच. वी. दो
4. प्रसाविका एक
5. कनिष्ठ लिपिक एक
6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दो

(2) जी, हां। उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जांच विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मियों के स्थानान्तरण

134. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के कितने पद हैं?

(2) वर्ष 2000-2001 में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के कितने स्थानान्तरण किये गये हैं और उनमें से कितने स्थानान्तरण निरस्त किये गये एवं कितने कर्मियों द्वारा ट्रिब्यूनल से स्थगन लिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्थानान्तरणों में अनियमितताएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या यह उचित है?

उत्तर

(1) राज्य में 7554 पद चिकित्सकों के एवं 25856 पद नर्सिंग स्टाफ के हैं।

(2) वर्ष 2000-2001 में 1236 चिकित्सकों के स्थानान्तरण किए गये जिसमें से 59 चिकित्सकों के स्थानान्तरण निरस्त किए गये एवं 120 चिकित्सकों ने स्थानान्तरण पर स्टे प्राप्त किया है, 2939 नर्सिंग स्टाफ

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

के स्थानान्तरण किये गये जिसमें से 91 नर्सिंग स्टाफ के स्थानान्तरण निरस्त किए गये एवं 113 नर्सिंग स्टाफ ने स्टे प्राप्त किया है।

(3) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के चिकित्सालयों के रिक्त पद

135. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोग विशेषज्ञों/चिकित्सकों/महिला ए.एन.एम. नर्सों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद कब से रिक्त है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) के आपरेशन थियेटर में उपलब्ध उपकरण

136. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) में आपरेशन थियेटर की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो थियेटर की भौतिक स्थिति क्या है?

(2) क्या उक्त केन्द्र पर परिवार नियोजन के आपरेशन किए जाते हैं? यदि हां, तो आपरेशन में ली जाने वाली सामग्री व उपकरणों की गुणवत्ता कैसी है?

(3) क्या उक्त सामग्री निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है? यदि नहीं, तो घटिया सामग्री आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार है और अब सरकार उक्त आपरेशनों में ली जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर (बांसवाड़ा) में आपरेशन थियेटर की सुविधा उपलब्ध है एवं पूर्ण साधनों के साथ चालू है।

(2) जी, हां। आपरेशन के प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री निर्धारित मापदण्डों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

के अनुरूप गुणवत्ता वाली ही प्रयोग में ली जाती है।

(3) जी, हां। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

तहसील-हिण्डौन (करौली) के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

137. **श्री भरोसी लाल (हिण्डौन)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला-करोली की तहसील क्षेत्र हिण्डोन में कहां-कहां, कौन-कौनसे चिकित्सालय कार्यरत है एवं उनमें कौन-कौन से पद सृजित हैं और कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय स्थित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी कोई पद रिक्त है? यदि हां तो कौन-कौन से एवं कब से?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के साथ ही कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद सृजित कर चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पद के सृजन एंव नियुक्ति हेतु स्थानीय विधायक द्वारा अनुशंषा भी की गई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं अब कब तक उक्त पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जिला-करौली की तहसील-हिण्डौन में कार्यरत चिकित्सा संस्थान एवं इनमें सृजित तथा रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती अवधि के संलग्न है।

(2) जी, हां। उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दन्त तकनीशियन का एक पद 5/93 से रिक्त है। सीधी भर्ती पर राज्य सरकार के प्रतिबंध पर शिथिलता प्राप्त होने पर उक्त रिक्त पद को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी, नहीं। विभाग की वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन पदों के सृजन हेतु वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन में कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी, हां। स्थानीय विधायक महोदय की प्राप्त अभिशंषा पर विधायक महोदय को प्रश्न के भाग-3 के उत्तरानुसार पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	रिक्त पद	रिक्त का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	उ. प्रा. स्वा. के., हिण्डौन सिटी	कवि. (गायनी)	1	—	—
		कवि. (मेडिसन)	1	—	—
		कवि. (सर्जरी)	1	—	—
		कवि. (नेत्र)	1	—	—
		कवि. (शिशु)	1	—	—
		वचि. अधिकारी	1	—	—
		चिकि. अधिकारी	1	—	—
		चिकि. अधि. (दन्त)	1	—	—
		नर्स ग्रेड-प्रथम	2	—	—
		नर्स ग्रेड-द्वितीय	6	—	—
		ओ.टी. नर्स	1	—	—
		स्वा. निरीक्षक	1	—	—
		महि. स्वा. दर्शिका	1	—	—
		प्रसाविका	5	—	—
		व. लैब टैक्नी.	1	—	—
		लैब टैक्नी.	2	—	—
		दन्त टैक्नी.	1	1	5/1993
		बी.एच.एस. (मेल)	1	—	—

1	2	3	4	5	6
		बी.एच.एस. (फीमेल)	1	—	—
		मलेरिया निरीक्षक	1	—	—
		वरिष्ठ लिपिक	2	—	—
		कनिष्ठ लिपिक	1	—	—
		संगणक	1	—	—
		वाहन चालक	3	—	—
		एम.पी. डब्ल्यू.	1	—	—
		नेत्र सहायक	1	—	—
		ओ.टी. असिस्टेन्ट	1	—	—
		वार्ड बाय	7	—	—
		स्वीपर	3	—	—
2.	सिटी डिस्पेन्सरी, हिण्डौन	चि. अधिकारी	1	—	—
		नर्स ग्रेड-II	2	—	—
		वार्ड बाय	1	—	—
		स्वीपर	1	—	—
3.	प्रा. स्वा. के., महुइब्राहिमपुर	चिकि. अधि.	1	—	—
		नर्स ग्रेड-II	1	—	—
		महिला स्वा. दर्शिका	1	—	—
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	1.12.1999
		लैब. टैक्नी	1	—	—

1	2	3	4	5	6
		प्रसाविका	1	—	—
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	—	—
		वार्ड बाय	2	—	—
		स्वीपर	1	—	—
4.	प्रा. स्वा. के. शेरोपुर	चिकित्सा अधिकारी	1	—	—
		नर्स ग्रेड-II	2	—	—
		महि. स्वा. दर्शिका	1	—	—
		प्रसाविका	1	—	—
		लैब टैक्नी.	1	—	—
		वार्ड बाय	2	—	—
		स्वीपर	1	—	—
5.	प्रा. स्वा. के.,	चिकि. अधिकारी	2	—	—
	श्रीमहावीरजी	नर्स ग्रेड-II	2	—	—
	(एम. सी. एच)	महि. स्वा. दर्शिका	1	—	—
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	—	—
		स्वा. निरीक्षक	1	1	12/2000
		लैब टैक्नी.	1	—	—
		कनिष्ठ लिपिक	1	—	—
		प्रसाविका	1	—	—
		वार्ड बाय	2	—	—
		स्वीपर	2	—	—

1	2	3	4	5	6
6.	प्रा. स्वा. केन्द्र, झारेड़ा	चिकि. अधिकारी	1	—	—
		नर्स ग्रेड-II	1	—	—
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	1	1-7-1999
		लैब टैक्नी.	1	—	—
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	—	—
		प्रसाविका	1	—	—
		वार्ड बाय	1	—	—
		स्वीपर	1	—	—
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र, सूरोठ	चिकित्सा अधिकारी	2	—	—
	(एम.सी.एच)	नर्स ग्रेड-II	3	—	—
		महिला स्वा. दर्शिका	1	—	—
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	—	—
		स्वा. निरी.	1	1	1.1.2000
		लैब टैक्नी.	1	—	—
		प्रसाविका	1	—	—
		एम.पी.डब्ल्यू.	1	—	—
		वाहन चालक	1	—	—

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

138. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किस-किस जिले के कौन-कौन से ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु अनुदान राशि प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा कितने जिलों में उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्राप्त अनुदान का विवरण निम्नानुसार है : —

अ.	बी. एम. एस. पी. के अपूर्ण कार्यों को पुरा करने के लिए	29.84 करोड़ (परिशिष्ट-"अ")
ब.	मेटल सड़कों को डामरीकरण करने हेतु (1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिए)	70.83 करोड़ (परिशिष्ट-"ब")
स.	बिना जुड़े गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने के लिए (1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के लिए)	29.66 करोड़ एवं 10.00 करोड (परिशिष्ट-"स")
	योग	143.33 करोड़

(2) परिशिष्ट-"अ" में वर्णित सभी कार्य प्रगति पर है तथा परिशिष्ट-"ब" में वर्णित (मेटल सड़कों को डामर की सड़कों में क्रमोन्नत) सभी कार्यों के कार्यादेश (बाड़मेर जिले को छोड़कर) जारी कर दिये गये हैं। परिशिष्ट-"स" में वर्णित कार्यों की तथा बाड़मेर जिले के कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला-नागौर की बाइपास सड़कें

139. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-नागौर के कौन-कौनसे गांवों एवं कस्बों में बाइपास स्वीकृत किये गये हैं और इनकी कुल लम्बाई कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बा कुचेरा में अभी तक किसी भी प्रकार की बाइपास सड़क बनी हुई नहीं है? यदि हां, तो अब कब तक इस कस्बे को बाइपास सड़क से जोड़ दिया जाएगा? उक्त प्रस्तावित बाइपास की लम्बाई कितनी होगी तथा वह किधर से निकाला जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला-नागौर में गांवों एवं कस्बों में कोई नवीन बाइपास स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी, हां। यह सही है कि कस्बा कुचेरा से अभी तक किसी भी प्रकार के बाइपास सड़क बनी हुई नहीं है। उक्त प्रस्तावित बाइपास की लम्बाई लगभग 5.75 कि.मी. होगी। यह बाइपास कुचेरा कस्बे के पश्चिम दिशा में स्थित होगा। इस बाइपास का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर होगी।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के सड़क विहीन ग्राम

140. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत ढाई वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां सड़कों पर पेच वर्क किया गया है तथा कहां-कहां नई सड़कों का कार्य चल रहा है?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़े हैं और इसका क्या कारण रहा है? उक्त विधान सभा क्षेत्र में ही एक हजार से अधिक आबादी वाले कौन-कौनसे गांव डामरीकृत सड़क से नहीं जुड़े हैं तथा अब कब तक जुड़ जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत ढाई वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में जहां-जहां पेच मरम्मत का कार्य किया गया, उसकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है तथा वर्तमान में कहीं भी नई सड़कों का कार्य नहीं चल रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कुल 6 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं है। इनमें से दो पंचायत मुख्यालय एम.एम.पी. योजना में स्वीकृत है। शेष 4 किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। प्राप्त स्वीकृति के अभाव में उक्त मुख्यालय सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1000 से अधिक आबादी वाले 16 गांव हैं, जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। इनमें से दो गांव एम.एन.पी. योजना में स्वीकृत है। 1000 से अधिक की आबादी के गांवों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़े जाने का लक्ष्य है। वित्तीय संसाधनों के अनुसार 1000 से अधिक आबादी का गांव किसी एक तरफ से ही डामर सड़क से जोड़ा जाना है। ऐसे गांवों को आपस में सड़क से जोड़ा जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-1

पार्ट-I विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण क्षेत्र की डामर सड़कों की सूची तथा वर्ष 98-99, 99-2000 व 2000-2001 में किये गये पेच मरम्मत कार्य का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	केटेगिरी	विधान सभा क्षेत्र स.मा. के अन्तर्गत सड़क भाग	पेच मरम्मत कार्य किया या नहीं वर्ष 98-99	99-2000	2000-2001	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बून्दी, इन्द्रगढ़, स. माधोपुर, दौसा सड़क	एस.एच. 29	किमी. 117/0 से 150/0	पेच मरम्मत कार्य किया गया	आंशिक पेच मरम्मत कार्य	आंशिक पेच मरम्मत कार्य	—
2.	टोंक, स.मा., शिवपुरी, सड़क	एस.एच. 30	किमी. 74/0 से 94/0	"	पेच मरम्मत कार्य किया	पेच मरम्मत कार्य किया	—
3.	भाडोती, गंगापुर सड़क	एस.एच. 24	किमी. 0/0 से 13/0	"	नहीं	नहीं	सड़क अत्यधिक होने से पेच सम्भव नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	लिंक सड़क मलारना स्टेशन तक	ओडीआर-2	किमी. 8/0 से 12/0	डब्ल्यू.बी.एम. पेचिंग	नहीं	नहीं	—
5.	रणथम्भौर फोर्ट सड़क	"	किमी. 0/0 से 14/0	पेच मरम्मत कार्य किया गया	पेवर कार्य किया गया	नहीं	पेवर करने की मरम्मत नहीं
6.	सूरवाल से भगवतगढ़ सड़क	वी.आर.-3	" 0/0 से 14/0	पेच मरम्मत किया	पेच मरम्मत	नहीं	—
7.	भाडोती खिरनी बौंली	वी.आर.-84	" 0/0 से 19/0	नहीं	किया नहीं	आंशिक पेच मरम्मत कार्य किया	—

बागावास मोड़ से गदड़ी (चौमूं-रेनवाल) सड़क की मरम्मत

141. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में चौमूं रेनवाल सड़क से बनाई गई बागावास मोड़ से गदड़ी वाया जूनसिया, ईटावा-बधाल सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब से?

(2) बागावास मोड़ से गदड़ी तक की सड़क का निर्माण किस वर्ष में कराया गया था? उक्त सड़क के निर्माण के पश्चात् मरम्मत कब-कब कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क खराब होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं? क्या कई दुर्घटनाओं में काफी मात्रा में जन-धन की क्षति भी हुई है?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, हो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला जयपुर में चौमूं रेनवाल सड़क से बनाई गई बागावास मोड से गदड़ी वाया जूनसिया, ईटावा-बधाल सड़क 16 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़क है जिसमें कि.मी. 5/0 से 16/0 तक का भाग काफी क्षतिग्रस्त हालत में है। यह गत तीन वर्ष से क्षतिग्रस्त है।

(2) बागावास मोड़ से गदड़ी तक की सड़क का निर्माण वर्ष 1979 से 1984 के दौरान कराया गया था। निर्माण के पश्चात् किलोमीटर 5 व 6 वर्ष 1987, कि.मी. 9, 10, 11, व 12 में वर्ष 1992, कि.मी. 7, 8 व 13 में वर्ष 1993, तथा कि.मी. 1, 2, व 4 में वर्ष 1996, में नवीनीकरण का कार्य करवाया गया था। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आंशिक रूप से साधारण मरम्मत का कार्य करवाया गया।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य आगामी दो वर्षों (2001-2003) में किये जाने का लक्ष्य है। तदनुसार उक्त सड़क पर भी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

ब्यावर शहर की प्रस्तावित बाइपास सड़क

142. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ब्यावर शहर में अजमेर जोधपुर सड़क को मिलाने हेतु कोई बाइपास प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या

(डा. के. सी. चौधरी)

कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त बाइपास पर सरकार कब से कार्य चालू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) व (2) जी, नहीं। ब्यावर शहर में अजमेर से जोधपुर सड़क को मिलाने हेतु कोई बाइपास प्रस्तावित नहीं है।

अधिशेष अधिकारी/कर्मचारियों का समायोजन

143. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कई अधिकारियों व कर्मचारियों के पद समाप्त किये हैं और उनको अधिशेष घोषित किया है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब-कब व क्यों समाप्त किये? समाप्त किये गये पदों की श्रेणीवार संख्या तथा अधिशेष किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिशेष किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग में समायोजित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को किस-किस विभाग में? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 2000-2001 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में श्रेणीवार निम्न पदों को समाप्त किया गया :—

1.	राजपत्रित संवर्ग	21 पद
2.	अधीनस्थ संवर्ग	35 पद
3.	मंत्रालयिक संवर्ग	41 पद
4.	च. श्रेणी कर्मचारी संवर्ग	12 पद
	कुल :	**109 पद**

कारणों को दर्शाते हुये पदवार व तारीखवार विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है। कोई भी कर्मचारी/अधिकारी अधिशेष नहीं घोषित किया गया है।

(2) जी, नहीं।

प्रपत्र-"क"

सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 2000-2001 में समाप्त पदों का पदवार विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	पद समाप्ति के आदेश क्रमांक व दिनांक मय कारण
1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियंता	1 पद	दिनांक 15.4.2000 से सी.ऐ.डी. बीकानेर के उपनिवेशन खंडो के पद समाप्ति के कारण।
2.	सहायक अभियंता	5 पद	" "
3.	कनिष्ट अभियंता	12 पद	" "
4.	वरिष्ठ लिपिक	6 पद	" "
5.	कनिष्ठ लिपिक	10 पद	" "
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8 पद	" "
7.	खंडीय लेखाकार	1 पद	" "
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1 पद	" "
9.	वरिष्ठ प्रारूपकार	1 पद	" "
10.	स्टेना-II	1 पद	" "
11.	अनुरेखक	1 पद	" "
12.	फेरोमैन	1 पद	" "
13.	मुख्य अभियंता	1 पद	क्र.प. 1(25)सानि/99 दि. 16.5.2000 मु.अ. (पी. एण्ड एम) का पद बी.एफ.सी. के निर्णयानुसार समाप्त हुआ।
14.	अधिक्षण अभियंता	1 पद	क्र. प. 1(60) सानि/94 दि. 18.5.2000 से विधान सभा परियोजना के पदों को समाप्त किया गया।
15.	सहायक अभियंता	3 पद	" "
16.	लेखाकार	1 पद	" "

1	2	3	4
17.	कनिष्ठ अभियंता	4 पद	" "
18.	वास्तुविद सहायक	2 पद	" "
19.	शीघ्र लिपिक	1 पद	" "
20.	वनिष्ठ लिपिक	2 पद	" "
21.	कनिष्ठ लिपिक	2 पद	दि. 18.5.2000 से विधान सभा परियोजना के पद समाप्ति के कारण।
22.	चतुर्थ श्रे. कर्मचारी	3 पद	" "
23.	फेरोमैन	2 पद	" "
24.	सहायक अभियंता	3 पद	क्र. सं. 13(10) सानि/99 दि. 19-5-2000
25.	वरिष्ठ निजी सहायक	1 पद	से बी. एफ. सी. के निर्णयानुसार पर
26.	निजी सहायक	2 पद	समाप्त किये गये
27.	कार्यालय अधिक्षक	1 पद	" "
28.	कार्यालय सहायक	1 पद	" "
29.	वरिष्ठ लिपिक	4 पद	" "
30.	कनिष्ठ लिपिक	7 पद	" "
31.	अनुरेखक	1 पद	" "
32.	नील मुद्रक	1 पद	" "
33.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी	5 पद	" "
34.	अमीन	4 पद	" "
३५.	राजस्व निरीक्षक	1 पद	क्र.प. 13(10) सानि/99 दि. 17.10.2000 बी.एफ.सी. के निर्णयानुसार
36.	अमीन	7 पद	
37.	विधि सहायक	1 पद	विधि विभाग के आदेश दिनांक 28.10.2000 के आदेशानुसार
	कुल	**109 पद**	

उपखण्ड खैरवाड़ा (उदयपुर) में ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों में अनियमितता

144. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपखण्ड खैरवाड़ा जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 2000 में अकाल राहत के तहत कितने काम किस ठेकेदार द्वारा कराये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ठेकेदार श्री पन्नालाल द्वारा भी गत अकाल में खैरवाड़ा तहसील में कुछ कार्य कराये गये? यदि हां, तो कौन-कौनसे कार्य और कितने किलोमीटर कार्य किया गया तथा कितने काम के एवज में कितनी राशि का भुगतान किया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने भारी अनियमितता कर सरकारी राशि को हड़पने का कार्य किया? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके द्वारा किये गये समस्त कार्यों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सलूम्बर खण्ड के अधीन उपखण्ड खैरवाड़ा में अकाल राहत के वर्ष 2000 में सामग्री परिवहन के 87 कार्य कराये गये जो निम्न ठेकेदारों द्वारा कराये गये।

1.	मैं बालेश्वर कन्स, खैरवाड़ा	13 कार्य
2.	मै. जी. आर. अग्रवाल, उदयपुर	8 कार्य
3.	श्री मदनलाल परमार, टोड़ा	2 कार्य
4.	मै. परमार कन्स, खैरवाड़ा (श्री पन्नालाल)	36 कार्य
5.	मै. जय कन्स, खैरवाड़ा	14 कार्य
6.	श्री राजेन्द्र कुमार कलाल ऋषभदेव	14 कार्य
		87 कार्य

(2) जी, हां। श्री पन्नालाल द्वारा फर्म मै. परमार कन्स. खैरवाड़ा के नाम से अकाल राहत में सामग्री परिवहन के कुल 36 कार्य कराये गये। कराये गये कार्यों का विवरण मय राशि के परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं। ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता कर राशि हड़पने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई है। ठेकेदार को किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

श्री पन्नालाल परमार द्वारा वर्ष 2000 में अकाल राहत के अन्तर्गत सामग्री परिवहन कराये गये कार्य एवं भुगतान विवरण

क्र.सं.	ग्राम तहसील उपखण्ड	कार्य का नाम	मय कार्यादेश राशि	भुगतान राशि	कराये गये कार्य का विवरण	कि.मी. का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	खैरवाड़ा	सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड मैटीरियल छाणी से धनोल सड़क	24092	9890	पुलिया भराई हेतु ग्रेवल का कार्य तथा मिट्टी परिवहन	1
2.	-"-	जवास से भागीवाव सड़क	25927	26009	रिटेनिंग वाल निर्माण हेतु ब्लास्ट एवम् रेत सप्लाई कार्य	10
3.	-"-	भाण्दरा से अकोट सड़क	25000	28578	पुलिया निर्माण हेतु रेती, पत्थर एवं मिट्टी सप्लाई कार्य	5
4.	-"-	झाझरी से पाटीया सड़क	21958	21403	बेलास्ट परिवहन कार्य	1,500 से 6 कि.मी.
5.	-"-	बावलवाड़ा से पालीया खेड़ा सड़क	24390	29224	पुलिया निर्माण हेतु बेलास्ट व ग्रेवाल परिवहन कार्य किया	1
6.	-"-	कनबई से महुवाल सड़क	22074	26202	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर, रेती सप्लाई किया	1 व 2
7.	-"-	कानपुर से पाहड़ा सड़क	22009	16331	पुलिया निर्माण हेतु बेलास्ट, ग्रेवल व रेती सप्लाई कार्य एवं मिट्टी कार्य	3
8.	-"-	कनवई से लक्ष्मणपुरा सड़क	109870	103250	2 कि.मी. मिट्टी सड़क हेतु बेलास्ट व मुरम परिवहन	1 व 2

1	2	3	4	5	6	7
9.	-"-	सरेस से करावाड़ा सड़क	19695	11447	1 कि.मी. सड़क हेतु बेलास्ट परिवहन	1.500 से 4.00 कि.मी.
10.	-"-	डबायचा से पाटीया सड़क	29517	29783	2 कि.मी. सड़क हेतु बेलास्ट व मूरम परिवहन	1 व 2
11.	-"-	सरेरा से करावाड़ा सड़क	29564	30159	1 कि.मी. सड़क हेतु बेलास्ट व ग्रेवल परिवहन	1.500 से 4.0 कि.मी.
12.	-"-	ढीकवास से दुधियाफला सड़क	29583	35474	ग्रेवल परिवहन कार्य	1 व 2
13.	-"-	खेरवाड़ा से रानी छाणी सड़क	29553	30050	डामर सड़क की पटरियों हेतु ग्रेवल परिवहन तथा पेच रिपेयर हेतु बेलास्ट	5, 8, 13, 14, 15, 25, 28
14.	-"-	भणादरा से अकोट सड़क	64359	74371	पुलिया निर्माण हेतु रेती, पत्थर एवं बेलास्ट सप्लाई का कार्य	5
15	-"-	खैरवाड़ा से रानी छाणी सड़क	52266	22395	पेच रिपेयर कार्य हेतु सामग्री सप्लाई का कार्य	24 से 31
16.	-"-	पानी सप्लाई कनबई से लक्ष्मणपुरा सड़क	20381	16140	मिट्टी सड़क बनाने हेतु कन्सोलिटेसन हेतु पानी सप्लाई	1 व 2
17.	-"-	पानी सप्लाई डबायता से पाटीया सड़क	24635	10228	मिट्टी सड़क बनाने हेतु कन्सोलिटेशन हेतु पानी सप्लाई	1 व 2

1	2	3	4	5	6	7
18.	-"-	सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड मैटीरियल भणादरा से अंकोट सड़क	25487	30408	पुलिस निर्माण हेतु रेती, पत्थर एवम् बेलास्ट सप्लाई	5
19.	-"-	जवाब से भागीवाव सड़क	26533	31643	रिटेनिंग वाल निर्माण हेतु रेती एवम् पत्थर सप्लाई	10
20.	-"-	भणादरा से अकोट सड़क	25316	30291	पुलिया निर्माण हेतु रेती एवम् पत्थर सप्लाई का कार्य	5
21.	-"-	जवास से भागीवाव सड़क	26499	29228	रिटेनिंग वाल निर्माण हेतु रेती एवम् पत्थर सप्लाई	10
22.	-"-	भगोरफला से मालीफला सड़क	24862	26118	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर, रेती एवम. बेलास्ट सप्लाई	3
23.	-"-	चित्तौड़ा से जावली सड़क	24997	25024	पुलिया निर्माण हेतु ब्लास्ट पत्थर एवं रेती सप्लाई	3 व 4
24.	-"-	महुवाल से काला भाटा सड़क	24891	26204	रिटर्निंग वाल हेतु बेलास्ट पत्थर एवं रेती सप्लाई	1 व 2
25.	-"-	कनबई से महुवाल सड़क	20992	26202	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर रेती सप्लाई	1 व 2
26.	-"-	महुवाल से काला भट्टा सड़क	24860	24406	रिटर्निंग वाल हेतु पत्थर, रेती एवं ग्रेवल परिवहन व सप्लाई	1 व 2
27.	-"-	कनबई से महुवाल सड़क	20983	17795	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर ग्रेवल रेती परिवहन व सप्लाई	1 व 2
28.	-"-	चित्तौड़ा से जावली सड़क	24841	26843	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर, रेती एवम् बेलास्ट सप्लाई	3 व 4
29.	-"-	उपरमाला खण्डा खानमीन से बलेवड़ी सड़क	24862	25464	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर रेती एवं बलास्ट परिवहन एवं सप्लाई	2

1	2	3	4	5	6	7
30.	-"-	कबिवि पगारासे गुमानपुरा सड़क (ग्रेवल)	24960	24800	पुलिया निर्माण हेतु ग्रेवल परिवहन	3
31.	-"-	उपरमाला खण्डा खानमीन से बलेवडी सड़क	24862	27321	पुलिया निर्माण हेतु पत्थर, रेती एवं बेलास्ट परिवहन एवं सप्लाई	2
32.	-"-	निलगीरी से कटेव सड़क (ग्रेवल)	24960	24800	पुलिया पर ग्रेवल परिवहन	1
33.	-"-	कनबई से महुवाल सड़क	20922	20200	पुलिया निर्माण हेतु रेती एवम् पत्थर परिवहन व सप्लाई	1 व 2
34.	-"-	भणादरा से अकोट सड़क	25316	30291	पुलिया निर्माण हेतु रेती, पत्थर एवं बेलास्ट सप्लाई व परिवहन	5
35. 65/	-"-	करावाडा से पाडेला सड़क	29553	27566	सड़क निर्माण हेतु ग्रेवल परिवहन	1
36. 67/	-"-	खराडीवाड़ा से सरवणीया घाटा सड़क	30598	31080	सड़क निर्माण हेतु ग्रेवल परिवहन	1 व 2
		योग	1051568	1026628		

= 10.27 लाख

बारां जिले के स्वीकृत अपूर्ण कार्य

145. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां में पंजीकृत ठेकेदारों को कौन-कौन से कार्यों के आदेश 1 जनवरी 1999 के पश्चात् कितनी कितनी राशि के दिये गये?

(2) क्या उक्त जिले में ठेकेदारों द्वारा कई कार्य प्रारम्भ कर अपूर्ण छोड़ दिए गए हैं? क्या सभी कार्य कार्यादेश के अनुसार पूर्ण हो गए हैं? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण रहने के लिये कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(3) 1 जनवरी 1999 से कार्यादेश की कार्यवार प्रारम्भ करने की तिथि व कार्य पूर्ण तिथि क्या-क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में पंजीकृत ठेकेदारों को दिनांक 1 जनवरी 1999 के पश्चात् दिनांक 28.2.2001 तक जारी किये गये कार्यों के आदेश एवं उनकी राशि का विवरण प्रपत्र-"अ" में दिया है।

(2) इस जिले में कुछ कार्य ठेकेदारों द्वारा प्रारम्भ कर अपूर्ण छोड़ दिये गये। सभी कार्य कार्यादेश के अनुसार पूर्ण नहीं हुऐ हैं। कार्य अपूर्ण रहने के लिए दोषी एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र-"अ" में संलग्न है।

(3) 1 जनवरी 1999 से कार्यादेश की कार्यवार प्रारम्भ करने की तिथि व कार्य पूर्ण तिथि का विवरण प्रपत्र-"अ" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्य

146. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं श्री मदन दिलावर (अटरू) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किन-किन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय चालू वित्तीय वर्ष व अगले वित्तीय वर्ष में लिया गया है? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत कोटा संभाग में कौन-कौनसे ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु शामिल किया गया है? उनकी जनसंख्या व सड़क की दूरी कितनी है तथा कितनी लागत आयेगी?

(3) उक्त किस सड़क का कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिया जायेगा तथा उक्त हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिन-जिन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय चालू वित्तीय वर्ष में लिया गया है, इनका विवरण परिशिष्ट-"अ", "ब" एवं "स" में दर्शाया गया है। निर्धारित मानदण्डों की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) उक्त योजना के तहत विभाग द्वारा कोटा सम्भाग में जिन ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु शामिल किया गया है उनका विवरण परिशिष्ट-"ख" में संलग्न है। इन कार्यों की लागत 22.64 करोड़ है।

(3) कोटा सम्भाग की सड़क के कार्यादेश दिये जा चुके हैं तथा कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जा रहे हैं जिन्हें वर्ष 2001-2002 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इन कार्यों के लिए रु. 22,64 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के पंचायत मुख्यालयों हेतु सड़क निर्माण

147. **श्री अमीन खान (शिव)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के तहत कितनी सड़कें सरकार बनाने का विचार कर रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों में पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के तहत सड़के बनाना सरकार का नीतिगत मामला है। वर्तमान में किसी भी सड़क निर्माण की स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में नहीं प्रदान की गई है।

(2) जी, हां। सरकार पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है। जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के पंचायत मुख्यालयों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

जिला	कुल पंचायत मुख्यालय	डामर सड़क से जुड़े मुख्यालय	मेटल सड़क से जुड़े मुख्यालय	ग्रेवल सड़क से जुड़े मुख्यालय	बिना जुड़े मुख्यालय
बाड़मेर	380	319	15	43	3
जैसलमेर	128	110	3	14	1

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बाड़मेर जिले में 12 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने की स्वीकृति उपलब्ध है। (परिशिष्ट-"अ") जिन्हें मार्च 2002 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना है, 7 पंचायत मुख्यालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है (परिशिष्ट-"ब") जिन्हें वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना है, परन्तु शेष 42 पंचायत मुख्यालयों में से 31 पंचायत मुख्यालय जिनकी जनसंख्या 500 से 1000 के बीच है उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2007 तक जोड़ा जाना प्रस्तावित है (परिशिष्ट-"स") तथा जिन 11 पंचायत मुख्यालयों की आबादी 500 से कम है उन्हें जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर होगा (परिशिष्ट-"द") जैसलमेर ज़िले में एक पंचायत मुख्यालय, भैसड़ा (1516/91) जिनकी लम्बाई 2 कि.मी. है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है तथा 2 पंचायत मुख्यालय 1. कीता (1253/91) जिनकी वर्तमान स्थिति 12 कि.मी. ग्रेवल है तथा 2. सरदारसिंह की ढाणी (1212/91) जिनकी वर्तमान स्थिति 3 कि.मी. ग्रेवल है जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः रु. 87.00 लाख व रु. 18.00 लाख है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है व वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना है। शेष 15 पंचायत मुख्यालयों में से 10 पंचायत मुख्यालय, जिनकी आबादी 500 से 1000 के बीच है, को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित कर वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना सम्भव होगा (परिशिष्ट-"क") तथा 5 पंचायत मुख्यालयों जिनकी आबादी 500 से कम है उन्हें वर्तमान में डामर सड़क से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर होगा (परिशिष्ट-"**ख**")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कें

148. **डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में मेटल सड़क का कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1999-2000 से देवरिया मललाई सालेरा सांखला सड़क नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 65.63 लाख रुपये की स्वीकृत है? क्या इसके लिए कोई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? स्वीकृत सड़क की क्या प्रगति है? कार्य आरम्भ होने में देरी के क्या कारण है तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(डा. रतन लाल जाट)

(3) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में डामर की सड़कों की खराब हालत को कब तक ठीक कर दिया जायेगा? गुडा से सरगांव, सहाड़ा से कांगड़ी नेगडिया खेड़ा सड़क क्षतिग्रस्त है? उक्त डामर की सड़कों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

(4) अकाल राहत के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उक्त पर श्रम व सामग्री की कितनी-कितनी राशि स्वीकृत है तथा कार्यों की क्या प्रगति है?

(5) उक्त क्षेत्र में कितने पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ना बाकी है तथा इनको कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं, विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 3 कार्य मेटल से बी.टी. के लिए रु. 61-17 लाख राशि के स्वीकृत है।

(2) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में देवरिया उल्लई सालेरा सांखला रोड नाबार्ड योजनान्तर्गत रु. 65.93 लाख राशि की स्वीकृत है इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निविदा प्राप्ति पर रोक के कारण इस नवीन कार्य की निविदाएं प्राप्त नहीं की जा सकी। वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है।

(3) राज्य सरकार की राज्य में सड़कों के संधारण की योजना के तहत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में डामर की सड़कों की खराब हालत को ठीक कर दिया जाएगा। गुडा से सरगांव एवं सहाड़ा से कांगड़ी नेगडिया खेड़ा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य उक्त योजनान्तर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है।

(4) अकाल राहत के तहत विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल दो कार्य स्वीकृत है एवं नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ. 6) के अन्तर्गत विभाग के अधीन कुल तीन कार्य स्वीकृत है जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि श्रम	सामग्री (लाखों में)	योग	कार्यरत श्रमिक संख्या	कार्य की प्रगति
(अ)	अकाल राहत कार्य					
1.	एप्रोच रोड सांवराजी से पोटला (ग्रेवल सड़क)	4.50	1.50	6.00	20	बर्म्सरिपेयर एवं ग्रेवल कलेक्शन कार्य प्रगति पर है
2.	सोनियाना जबरकिया गठीला कार्य (ग्रेवल सड़क)	4.00	1.00	5.00	20	—
(ब)	नाबार्ड योजना आर. आई. डी. एफ. 6					
1.	अप्रोचरोड लखनियास	1.31	0.44	1.75	70	ग्रेवल कलेक्शन कार्य
2.	संपर्क सड़क माकडिया	6.54	2.18	8.72	120	क्वारी पर प्रगति पर है।
3.	मौखून्दा टूंगच रोड	1.31	0.44	1.75	7.0	—

(डा. रतन लाल)

(5) सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल 50 पंचायत मुख्यालय है। जिनमें से 42 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, 7 मेटल सड़क से एवं एक खांखरमाला ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। 7 मेटल सड़क से जुड़े पंचायत मुख्यालयों में से 3 पंचायत मुख्यालय भरक (1042/91), अरनिया (1170/91) एवं गलवा (1057/91) को डामर सड़क से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में जोड़ दिया जायेगा। शेष 4 पंचायत मुख्यालयों गणेशपुरा (295/91), उम्मेदपुरा (746/91), बागड़ (948/91), नारायण खेड़ा (832/91) में से गणेशपुरा (295/91) को छोड़कर तीनों पंचायत मुख्यालयों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ दिया जाना प्रस्तावित है। खांखरमाला (790/91) को भी उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। खांखरमाला 1790/91 को भी उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

पंचायत समिति कठूमर में सड़क का पुर्ननिर्माण

149. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर (अलवर) की विभागीय व कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित करीब 20 सड़कें क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों को पुनः निर्मित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति कठूमर (अलवर) की विभागीय एवं कृषि उपज मंडी द्वारा निर्मित 20 डामर सड़कें क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(2) जी, हां। सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है। सरकार ने राज्य की सड़कों की मरम्मत हेतु सड़क संधारण योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनानुसार पंचायत समिति कठूमर (अलवर) की भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।

परिशिष्ट-"क"

पंचायत समिति कठूमर की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी. में)	क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
(अ)	विभागीय सड़कें		
1.	खेड़ली-नगर सड़क (राज्य मार्ग-22) (किमी. 0/0 से 22/0)	22.00	14.50
2.	खेड़ली-भनोकर सड़क (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 11/300)	11.30	4.00
3.	कठूमर-घोसराना सड़क (अन्य जिला सड़क-2) (किमी. 0/0 से 27/0)	27.00	26.00
4.	सम्पर्क सड़क सोंख (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 4/800)	4.80	4.80
5.	कठूमर-मसारी सड़क (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 5/300)	5.30	5.30
6.	सम्पर्क सड़क रेटा (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 3/200)	3.20	3.20
7.	नटनी का बारा-मालाखेड़ा-लक्षमणगढ़-कठूमर सड़क (जिला सड़क-50) (किमी. 41/0 से 62/0)	21.00	7.00
8.	खेड़ली-दांतियां-उदयपुरा सड़क (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 12/300)	12.30	8.30
9.	खेड़ली-नगर सड़क से सौंखरी (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 3/800)	3.80	3.00

1	2	3	4
10.	सम्पर्क सड़क खोंकर (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 5/200)	5.20	5.20
11.	सम्पर्क सड़क मकरेटा से कैमला (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 3/500)	3.50	3.50
12.	सम्पर्क सड़क सीटाहेडा (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 1/200)	1.20	1.20
13.	सम्पर्क सड़क रेटा से हनीपुर (ग्रामीण सड़क) (किमी. 0/0 से 1/0)	1.00	1.00
(ब)	**कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित सड़कें : –**		
1.	जावली का तिबारा से रींझबास (किमी. 0/0 से 15/0)	15.00	15.00
2.	सोंखर-सोंखरी-नाटोज-बसेठ-धोलागढ़ सड़क (किमी. 0/0 से 16/0)	16.00	14.00
3.	सम्पर्क सड़क भनोकर से सहाड़ी (किमी. 0/0 से 3/0)	3.00	3.00
4.	सम्पर्क सड़क टिटपुरी से मथुराहेडा (किमी. 0/0 से 4/500)	4.50	3.50
5.	सम्पर्क सड़क कांकरोली से इन्द्रावली (किमी. 0/0 से 4/500)	4.50	4.50
6.	सम्पर्क सड़क खेडली से सोंखर (प्रकाश मार्ग) (किमी. 0/0 से 2/0)	2.00	2.00
7.	सम्पर्क सड़क खुडियाना से बहतू कलां (किमी. 0/0 से 6/0)	6.00	6.00
	योग	**172.00**	**135.00**

इटावा (कोटा) कस्बे की सड़क मरम्मत

150. **श्री राम गोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि कस्बा इटावा जिला कोटा की सड़क पर गहरे गड्ढों में पानी भरा रहने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा होती है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। कस्बा इटावा में कुछ जगह गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा होती है।

(2) जी, हां। सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है। मरम्मत कार्य प्रगति पर है जिसे दिनांक 30.6.2001 तक पूर्ण कर दिया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सड़क विहीन ग्राम

151. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति अनुसार 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या उक्त नीति अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों को भी जोड़ा गया है? यदि हां, तो किस-किस गांव को कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के सभी गांव जो इस नीति के अन्तर्गत आते हैं को सड़कों से जोड़ दिये गये हैं? यदि नहीं, तो किस-किस गांव को किस-किस कारण से नहीं जोड़ा जा सका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के शेष रहे गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तहत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के ग्रामों को वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 49 ग्रामों में से 39 ग्रामों को डामर सड़कों से जोड़ा जा चुका है। जिन जिन ग्रामों को जब जब सड़क से जोड़ा गया है कि सूचना परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(3) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के 49 ग्राम है जिनमें से 39 ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। गांव सिंदोली का कार्य प्रगति पर है शेष 9 ग्रामों को वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है। सूची परिशिष्ट-"क" में संलग्न है।

(4) जी, हां। शेष रहे 9 ग्रामों को जिनकी आबादी 1000 से अधिक है, को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़ दिया जाना प्रस्तावित है।

(परिशिष्ट-"क")

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के नाम/जनसंख्या	जोड़े जाने का वर्ष
1	2	3
(अ)	डामर सड़क से जुड़े हुए गांव	
1.	बनाड़ा (2685)	1985 से पूर्व
2.	घाटा (1901)	1984 से पूर्व
3.	बांसखों (7067)	1980 से पूर्व
4.	बड़वा (2582)	1980 से पूर्व
5.	भटेरी (1092)	1985 से पूर्व
6.	बूड़थल (1188)	1989 से पूर्व
7.	बस्सी (15308)	1960 से पूर्व
8.	धनाऊ कलां (1467)	1989 से पूर्व
9.	देवगांव (1245)	1988 से पूर्व
10.	दूदली (1193)	1995 से पूर्व
11.	गढ़ (2296)	1985 से पूर्व
12.	जीतावाल (1057)	1990 से पूर्व
13.	दामोदरपुरा (1161)	1990 से पूर्व
14.	जटवाड़ा (3946)	1950 से पूर्व
15.	कुथाड़ा खुर्द (1068)	1996 से पूर्व
16.	कानोता (5740)	1990 से पूर्व

1	2	3
17.	काशीपुरा (1148)	1990 से पूर्व
18.	खैतपुरा (1304)	1995 से पूर्व
19.	लालगढ़ (1843)	1980 से पूर्व
20.	मानसर खेड़ी (2177)	1990 से पूर्व
21.	मोहनपुरा (1716)	1950 से पूर्व
22.	श्यामपुरा (1015)	1996 से पूर्व
23.	माधोगढ़ (1813)	1980 से पूर्व
24.	पालावाला जाटान (1211)	1995 से पूर्व
25.	पाटन (2050)	1986 से पूर्व
26.	फाल्यावास (1130)	1992 से पूर्व
27.	पालावाला रामसर (1010)	1990 से पूर्व
28.	ड्योड़ा चोर (1308)	1995 से पूर्व
29.	विजयमुकन्दपुरा/हीरावाला (1228)	1990 से पूर्व
30.	राजपुरा पातलवास (1586)	1990 से पूर्व
31.	सांभरिया (2600)	1980 से पूर्व
32.	टहटड़ा (2724)	1984 से पूर्व
33.	तूंगा (3938)	1960 से पूर्व
34.	टोडाभाटा (1544)	1980 से पूर्व
35.	रूपाहेड़ी कलां (1268)	1960 से पूर्व
36.	कोटखावदा (6183)	1960 से पूर्व
37.	झापदाकलां (1288)	1997 से पूर्व
38.	गोकुलपुरा उर्फ लसाड़िया (1006)	1996 से पूर्व

1	2	3
39.	गरूडवासी (1933)	1996 से पूर्व
(ब)	**डामर सड़क से बिना जुड़े गांव :—**	
1.	सिंदोली (1407)	कार्य प्रगति पर है। क्र.सं. 2 से 10 तक के ग्रामों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2003 तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
2.	ठीकरिया मीना (1020)	
3.	खोरी (1673)	
4.	झर (3280)	
5.	कूथाड़ा कलां (1507)	
6.	मूण्डली (1528)	
7.	कचोलिया (1406)	
8.	हरध्यानपुरा (1000)	
9.	खोखावाला (1266)	
10.	सुजानपुरा (1050)	

जयपुर में सरकारी मकानों का रख-रखाव

152. **श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कुल कितने सरकारी मकान हैं जिनकी देख-रेख विभाग द्वारा की जाती है ?

(2) वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कुल कितना व्यय उक्त सरकारी मकानों पर किस-किस कार्य के लिए किया गया ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल 3802 सरकारी मकान है जिसकी देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

(2) अप्रेल, 1999 से फरवरी, 2001 तक इन सरकारी मकानों पर साधारण रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों पर राशि 777.19 लाख रुपये एवं परिवर्तन/परिवर्धन के कार्यों पर राशि 68.75 लाख रुपये व्यय किया गया। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	वर्ष	साधारण रख रखाव व मरम्मत कार्यों पर	राशि लाखों में परिवर्तन/परिवर्धन कार्यों पर
1.	अप्रेल, 99 से मार्च, 2000	340.71	31.69
2.	अप्रेल, 2000 से फरवरी, 01	436.48	37.06
	योग	777.19	68.75

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सड़कों का डामरीकरण

153. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने किलोमीटर डामर सड़कें हैं ? गत दो वर्षों में उक्त सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की उक्त सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कें मरम्मत योग्य हैं और कौन-कौनसी नवीनीकरण की हालत में है ? अब सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत व डामरीकरण कब तक करा देगी ?

(3) उक्त क्षेत्र की जी. टी. से मौरौली, मौरौली से वसई नींव, तिहारा, ओडेला से कौलरी, सालेपुर से कौलारी, सैपऊ से बाडी, सेपऊ से बसेड़ी, पुरानी छावनी से सरानी खेड, जाखी से मोलोनी खुर्द सड़कों का डामरीकरण कब तक करा दिया जावेगा ?

(4) उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कों के नवीनीकरण कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(5) उक्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(6) उक्त क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में किन-किन सड़कों का डामरीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोलपुर में 330 कि.मी. डामर सड़के है। गत दो वर्षों 1999-2000 एवं 2000-2001 में इन सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु क्रमशः रु. 19.77 लाख एवं रु. 51.36 लाख की राशि उपलब्ध कराई थी। विवरण परिशिष्ट-"अ-1" एवं "अ-2" में संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की साधारण मरम्मत हेतु सड़कों की एवं नवीनीकरण हेतु सड़कों की सूची क्रमशः परिशिष्ट-"ब" एवं "स" पर संलग्न है। राज्य सरकार की राज्य में सड़कों की मरम्मत हेतु सड़क संधारण योजना के तहत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्न संख्या 3 में वर्णित 9 सड़कों पर डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2002) में कराया जाने का लक्ष्य है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण कार्य हेतु रु. 311.00 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। सूची-"स" संलग्न है।

(5) उक्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार की सड़कों संधारण योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(6) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष 2000-2001 में सिटी रोड पर 1 कि.मी. में सड़क पर डामरीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यय

154. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष पर बोर्ड अध्यक्ष बनने से फरवरी, 2001 तक वेतन/वाहन/यात्रा/मेडिकल वाहन मरम्मत/मकान/फर्नीचर/टेलीफोन/पानी/बिजली इत्यादि भत्तों पर कितना व्यय हुआ? विवरण माह/मदवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अध्यक्ष से पूर्व अध्यक्ष पर अपने कार्यकाल में उक्त मदों में कितना व्यय हुआ था? विवरण माह/मदवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बोर्ड अध्यक्ष पद पर विभिन्न मदों में व्यय का माहवार, मदवार विवरण परिशिष्ट 1 से 10 तक सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष का वेतन अभी तक आहरित नहीं किया गया है।

(2) पूर्व अध्यक्ष श्री गोपेश्वर दयाल माथुर के कार्यकाल में विभिन्न मदों में व्यय का विवरण प्रश्न के भाग संख्या-1 के परिशिष्ट 1 से 10 में अंकित कर दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बांसवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय

155. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला बांसवाड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नए विषय खुलवाने के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उनकी स्वीकृति कब तक सम्भव हो जावेगी?

उत्तर

जी, हां। नवीन विषय/संकाय खोलने के लिये वर्ष 2000-2001 के बजट में प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। आगामी वर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने पर विषय/संकाय खोलने के राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ बांसवाड़ा जिले के प्रस्तावों पर भी इनके गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

अलवर के निजी इंजीनियर कालेज में अवैध विद्युत कनेक्शन

156. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के एक निजी इंजीनियरिंग कालेज ने विद्युत कनेक्शन अवैध रूप से ले लिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन बिजली बोर्ड अधिकारियों ने इंजीनियरिंग कालेज को बिना आदेश के तार एवं खम्बे देकर विद्युत कनेक्शन दे दिया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सुविधा तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के पुत्र को उक्त निजी इंजीनियरिंग कालेज में निःशुल्क प्रवेश के कारण उपलब्ध करवाई गई थी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रहस्य खुलने पर अधीक्षण अभियंता ने स्वयं के दोष छुपाने के लिए एक कनिष्ठ अभियंता को निलम्बित कर पुनः स्वयं ही उसे बहाल कर सूरतगढ़ स्थानान्तरण करवा दिया?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(5) क्या यह सही है कि उक्त तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध अनियमितता के कई प्रकरणों की जांच चल रही है? यदि हां, तो फिर इनको पदोन्नति क्यों दी गई? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मैं. अलवर इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एण्ड टैस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत कनेक्शन अवैध रूप से नहीं दिया गया।

(2) उक्त आवेदक द्वारा कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि का पे-आर्डर जमा कराने के बाद ही खम्बे दिये गये थे।

(3) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) जी, नहीं। तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री हरीश कुमार देवनानी, जो कि उपखण्ड एम. आई. ए. (अलवर में कार्यरत थे उनको अन्य प्रकरणों में अनियमितता के कारण दिनांक 27.10.1999 को अधीक्षण अभियन्ता अलवर द्वारा निलम्बित किया गया था तथा जांच को लंबित रखते हुए दिनांक 17.11.1999 को बहाल कर उपखण्ड कोटकासिम में पदस्थापित किया गया था। बाद में उक्त कनिष्ठ अभियन्ता की स्वयं की प्रार्थना पर सचिव, रा. रा. वि. मं. जयपुर के आदेश सं. 1525 दि. 13.12.1999 के द्वारा उनका स्थानान्तरण सूरतगढ़ किया गया था।

(5) जी, नहीं। तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (पवस) अलवर के विरुद्ध कर्मचारी वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रेग्यूलेशन 1962 के विनिमय 7 के अन्तर्गत एक जांच लम्बित थी। उक्त जांच के निर्णय में दोष मुक्त पाये जाने पर उक्त अभियन्ता को दिनांक 21.8.2000 को उप मुख्य अभियन्ता के पद पर पदोन्नति दी गयी है इसके अतिरिक्त पदोन्नति के समय उक्त अभियन्ता के विरुद्ध कोई जांच लम्बित नहीं थी।

दौसा के ज्योतिनगर में विद्युत कनेक्शन

157. **श्री हनुमान प्रसाद** (सूरतगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयुपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मांग-पत्र की राशि जमा कराने के बाद कितने दिन में विद्युत कनेक्शन दिया जाता है? उक्त सम्बन्ध में जारी नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला दौसा के बाइपास दौसा के सामने ज्योतिनगर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय के पास निवास करने वाले किन-किन व्यक्तियों द्वारा मांग-पत्र की राशि दिनांक 1 मार्च, 2001 एवं अन्य तिथियों को जमा

(श्री हनुमान प्रसाद)

कराई गई? जमाकर्ताओं के नाम सहित जमा रसीद की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक उक्त क्षेत्र के निवासियों को विद्युत कनेक्शन दे दिया जायेगा व अब तक नहीं देने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और सरकार द्वारा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) औद्योगिक नीति, 1998 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को सामान्यतया 21 दिन से 180 दिन के मध्य कनेक्शन जारी किये जाने के प्रावधान हैं। इस संबंध में जारी आदेश संख्या 1591 दिनांक 17.6.98 (कामर्शियल-380) की प्रति परिशिष्ट-"अ" सदन के पटन पर रख दी गई है। अन्य श्रेणियों के लिये यद्यपि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन निगम द्वारा यथा सम्भव सामान की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन शीघ्र जारी करने के प्रयास किये जाते हैं।

(2) जिला दौसा के कार्यालय के पास स्थित ज्योतिनगर के 10 निवासियों द्वारा माह मई व जून 2000 में घरेलू कनैक्शन हेतु आवेदन किया था। जिनके मांग-पत्र माह जनवरी, 2001 में जारी किये गये। इन आवेदकों में से एक ने दि. 5.2.2001 को तथा शेष आवेदकों ने 1 मार्च, 2001 से 7 मार्च, 2001 की अवधि में मांग पत्र की राशि जमा कराई है, जिसका आवेदकवार मय रसीद संख्या विवरण परिशिष्ट-"ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त आवेदकों को कनैक्शन जारी करने के लिये एल.टी. लाइन का कार्य किया जाना है, जिसके लिये कार्य आदेश दि. 10 फरवरी, 12 मार्च व 14 मार्च, 2001 को जारी किये गये हैं। उप खण्ड शहर (दौसा) में वर्तमान में माह सितम्बर, 2000 में जारी किये गये कार्य आदेशों का कार्य वरीयतानुसार किया जा रहा है। इन आवेदकों का नम्बर आने पर इनके कनैक्शन जारी करने हतु वरीयतानुसार लाइन कार्य किया जावेगा। कार्य प्रगति के अनुसार उक्त कनैक्शन माह मई, 2001 के अन्त तक जारी किये जा सकेंगे। कार्य की अधिकता व कर्मचारियों की कमी को दखेते हुए ठेके पर कार्य कराने हेतु दि. 1.3.2001 को ठेकेदार को आदेश दिये गये थे परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया। अत: अब विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही कार्य करवाकर कनैक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता है। अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विद्युत बोर्ड के विखण्डन के समय बोर्ड सम्पत्ति का मूल्यांकन

158. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत बोर्ड को विखण्डन करने व निजी कम्पनियों में विभाजित करते समय विद्युत बोर्ड की सम्पत्ति का कितना मूल्यांकन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितनी राशि उपभोक्ताओं में बाकी है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2000 को जारी अधिसूचना के तहत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अधीन समस्त अस्तियां (एसैट्स) एवं दायित्वों को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान रज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. एवं वितरण कंपनियों को अन्तरण कर दिया गया है। ये सभी कंपनियां वर्तमान में राज्य सरकार के स्वामित्व में ही हैं। अन्तरण स्कीम 2000 की धारा 9 के तहत इनके एसैट्स का अन्तिम मूल्यांकन निम्न प्रकार है : —

निगमों का विवरण	दीर्घ कालीक आस्तियां (करोड़ रु.)	चालू आस्तियां (करोड़ रु.)	योग (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2667	438	3105
2. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1774	1091	2865
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	633	755	1388

1	2	3	4
4. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	670	601	1271
5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	507	480	987
योग :—	**6251**	**3365**	**9616**

(2) 28 फरवरी, 2001 तक तीनों वितरण निगमों के वर्तमान उपभोक्ताओं में बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	**वितरण निगम का नाम**	**बकाया राशि (लाख रुपयों में)**
1.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	38787.27
2.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	19184.23
3.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	11769.14
	कुल योग	**69740.64**

जिला राजसमंद के ग्रामों का विद्युतीकरण

159. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला राजसमंद की पंचातय समिति भीम के ग्राम आठोलिया तथा बारला चौड़ा तथा पंचायत समिति देवगढ़ के ग्राम रतना का चौड़ा को कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन विद्युत मण्डल में विद्युतीकृत करने के आदेश पारित किए थे? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त ग्रामों को इतने वर्षों तक विद्युतीकृत न करने के क्या कारण हैं? क्या बोर्ड के आदेशों की पालना अधिकारियों द्वारा नहीं करना उचित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला राजसमंद की पंचायत समिति भीम का ग्राम अठोलिया व बारला चौड़ा

(ऊर्जा मंत्री)

तथा पं.सं. देवगढ़ का ग्राम रतना का गुढ़ा विद्युतीकृत घोषित ग्राम से अलग होकर बने गांव होने के कारण स्वविद्युतीकृत माने गये हैं। ऐसे ग्रामों में मांग होने पर विद्युत तंत्र स्थापित कर कनैक्शन देने का प्रावधान किया हुआ है। इस संबंध में वर्ष 1998-99 में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। पूर्व में मांग न होने के कारण विद्युत तंत्र स्थापित करने का कार्य नहीं किया जा सका था।

(3) विद्युतीकृत घोषित गांव से अलग होकर बने नये गांवों को स्वविद्युतीकृत माना गया है। मांग होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विद्युत तंत्र स्थापित कर कनैक्शन जारी करने का प्रावधान किया हुआ है। पूर्व में इन गांवों में मांग नहीं थी, अतः विद्युत तंत्र स्थापित करने का कार्य नहीं किया गया। इसके लिये किसी को भी आदेशों की अवहेलना का दोषी नहीं माना जा सकता है।

(4) उक्त ग्रामों में कनैक्शनों की मांग होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनैक्शन दे दिये जायेंगे।

परिशिष्ट-"अ"

No.RSEB/by.CE/RE-1-D/S&I/F. (270)/B599 Jaipur, Dt. 27.6.98

The superintending Engineer (O&M),

Rajasthan State Electricity Board,

Sub : Village electrification programme 1998-99

In continuation to the office letter No. RSEB/SE/S&I/F./B. 104 dated 20.4.98 and letter No. 607 dated 19.6.98 forwarded therewith list of unelectrified villages indentified for electrification during 1997-98 but could not be electiricfied till march, 1998 proposed for electrification during 1998-99, now enclosed find herewith names of unelectrified villages (P.S.wise alongwith works for electrification during 1998-99. You are, therefore, advised to please ensure completion of electrification of the villages by December, 1998. Further, it has also been decided that efforts may be made to release atleast 4 connections of any category other than agriculture connection. You are further advised that before carrying-out electrification of villages, please ensure that tapping source/feeding point is in live conditions.)

It has also been decided to electrify such villages which have been created out of the electrified villages in 1991 census and have deemed as electrified and new villages created by the state Govt. out of the already electrified villages or Hamlets/Dhanies after 1991 census, by extencing maximum 2.0 Km of 11 KV line, one distribution transfarmer (25 KVA capacity) and 0.5 Km length of LT line provied potential exists in such new villages/dhanies are convered under REC schemes if not already covered.

In the past, it has been ovserved that the progress is not being submitted timely. It is, therefore, advised to ensure that :

(i) Telephonic progress for new villages, hamlets etc. is communicated by 2nd of each month for the proceeding month.

(ii) Names of such villages/hamlets etc. alongwith phisical work executed are sent to this office latest by 5th of each month for the preceeding month.

(S. K. BISHNOI)

By. CHIEF ENGINEER (RE-I-D)

जिला-राजसमन्द के पंचायत क्षेत्रों में आसीन्द फीडर से विद्युत आपूर्ति

160. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला-राजसमन्द की आमेट एवं देवगढ़ उपखण्ड की पंचायत समिति-भीम की सात पंचायतें ब्यावर नगर के पास स्थित हैं?

(2) क्या उक्त सात पंचायतों को विद्युत आपूर्ति भीलवाड़ा जिले के आसीन्द फीडर से की जाती है?

(3) क्या उक्त आसीन्द फीडर द्वारा अक्सर अनियमित व अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति से उक्त पंचायतों के ग्रामवासी आक्रोशित हैं तथा अक्सर विद्युतापूर्ति ब्यावर/जवाजा फीडर से करने की मांग करते हैं?

(4) सरकार उक्त पंचायतों की विद्युत समस्या के निवारण के लिये क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) आसीन्द फीडर में कभी-कभी तकनीकी खराबी आने से विद्युत आपूर्ति में बाधा आ जाती है अन्यथा विद्युत आपूर्ति सामान्य रहती है। वर्तमान में उक्त ग्रामों में 6 घंटे तीन फेज में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। यह सही है कि अक्सर उक्त पंचायतों के ग्रामवासी ब्यावर जवाजा फीडर से विद्युत आपूर्ति की मांग करते रहते हैं।

(4) जी, हां। उक्त पंचायतों के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु ग्राम शेखावास में 33 के.वी. सबस्टेशन व इसके लिए जवाजा से 33 के.वी. लाइन का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

161. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सांचौर के कई राजस्व ग्रांमों को विद्युतीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युतीकरण से शेष रहे ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र सांचौर में माह मार्च, 2000 के अन्त में 21 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष थे, जिनमें से 5 गांवों का विद्युतीकरण वर्ष, 2000-2001 में कर दिया गया है। शेष रहे गांवों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व आंवटित लक्ष्यों के अनुसार ही शेष रहे गांवों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। फिलहाल समयावधि बता पाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

जोधपुर डिस्काम के जिला वृत्त, जोधपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सांचौर के अविद्युतीकृत राजस्व गांवों की सूची (दिनांक 31 मार्च, 2001 तक)

क्रमांक	गांव का नाम	कोड नम्बर	अन्य विवरण
1.	भाटकी	18-3-31	
2.	भाटवास	18-3-36	
3.	भवातरा	18-3-28	
4.	जोरादर	18-3-29	
5.	कलजी की बेरी	18-3-14	
6.	मेलावास चारणा	18-3-23	
7.	मन्डली	18-3-30	
8.	भारटवा	18-3-40	
9.	मेढा	18-3-37	
10.	पावना	18-3-18	
11.	फोगड़वा	18-3-19	
12.	रायपुरिया	18-3-13	
13.	सांकरिया	18-3-22	
14.	डींगपुरा	18-3-32	
15.	आंकोड़िया	18-3-26	
16.	रिड़िका	18-3-27	

सहायक अभियन्ता, चूरू के अधीन कार्यरत कर्मी का पेन्शन प्रकरण

162. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के पश्चात् राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि. में परिवर्तित करने से पहले या बाद में मंत्रीमण्डल में यह निर्णय हुआ था कि ऊर्जा विभाग में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी के सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति परिलाभ देय होंगे? यदि हां, तो राज्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधानसभा क्षेत्र चूरू के सहायक अभियंता (वितरण) कार्यालय में कार्यरत श्री रामचन्द्र गहलोत, वरिष्ठ लिपिक जो कि दिनांक 31-7-2000 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं? क्या इन्हें पेन्शन, जी.पी.एफ. व अन्य सभी परिलाभ दे दिये गये हैं? यदि हां, तो कितनी पेंशन व कितनी ग्रेच्युटी दी गई? यदि नहीं, तो 8 माह तक पेंशन स्वीकृत क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में यह तय हुआ था कि सेवानिवृत्त राज्य सेवकों को निवृत्ति के 60 दिन के अन्दर-अन्दर पेंशन आदि सभी परिलाभ दे दिये जावेंगे? यदि नहीं दिये जायेंगे तो 18 प्रतिशत ब्याज विलम्बकर्ता कर्मचारी/अधिकारी से वसूल कर सेवानिवृत्त राज्य सेवक को सभी परिलाभों के साथ दिया जावेगा? क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त श्री गहलोत के 8 माह के सेवा निवृत्ति के बदले 6 माह का ब्याज संबंद्ध विलम्बकर्ता के दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि का और नहीं, तो फिर ऐसे राज्यादेश जारी करने का क्या औचित्य था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के पश्चात् राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम की कोई भी कम्पनी नहीं है।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अन्तरण स्कीम 2000 की अधिसूचना दि. 19.7.2000 को जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की आस्तियों, सम्पत्तियों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और कार्मिकों का राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं तीन वितरण कम्पनियों में अन्तरण कर दिया गया है।

राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अन्तरण स्कीम 2000 की धारा 6 की उपधारा 5 एवं धारा 7 के तहत अन्तरण की प्रभावी तारीख को लागू वेतन, भत्ते और सेवांत

(ऊर्जा मंत्री)

सुविधाओं सहित अन्य आर्थिक लाभ संरक्षित किये जायेंगे और प्रतिकूलतः परिवर्तित नहीं किये जायेंगे।

(2) जी, हां। श्री रामचन्द्र गहलोत, वरिष्ठ लिपिक, सेवानिवृत, कार्यालय सहायक अभियन्ता (वितरण), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चुरू को माहवारी पेंशन रुपये 3975/- प्रति माह, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी राशि रुपये 1,81,022/- एवं कम्यूटेशन आफ पेन्शन राशि के 1,91,595/- रु. का भुगतान जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चूरू वृत कार्यालय से किया जा चुका है।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया गया निर्णय केवल नियमित सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए किया गया है। प्रश्न में वर्णित प्रकरण स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रकरण है। उपरोक्त कर्मचारी ने दिनांक 31.7.2000 को स्वैच्छिक सेवानिवृति ली है। पेंशन नियम 30 के एवं परिपत्र सं. 813 दिनांक 19.3.1991 के अनुसार नियमित सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की सूची दो वर्ष पूर्व निकाली जाना आवश्यक है तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा छह महीने पूर्व पेंशन प्रकरण पूर्ण कर मुख्यालय पर भेजना आवश्यक है तभी कर्मचारी को भुगतान दो महीने में संभव हो पाता है।

श्री रामचन्द्र गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पांच कम्पनियों में बंटने के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृति ली है। चूंकि पूर्व में इसका पेंशन सेट तैयार नहीं था इसलिए इसके प्रकरण को तैयार करने में कुछ समय लग गया। वैसे भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पांच कम्पनियों में बंटने के कारण यकायक तीन हजार पेंशन प्रकरणों का निपटारा किया जाना था। अतः उनके निबटाने में कुछ समय लगना स्वाभाविक ही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए इस विषय में कोई भी अधिकारी कर्मचारी विलम्ब हेतु उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। प्रकरण में विलम्ब परिस्थिति जन्य है जिसको टाला नहीं जा सकता था।

जिला-धौलपुर के अविद्युतीकृत ग्राम

163. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के समस्त ग्राम विद्युतीकृत हो गये हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ग्राम शेष हैं?

(2) उक्त अविद्युतीकृत गांवों को अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा? उक्त संबंध में क्या योजना बनाई गई है?

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

(3) क्या यह सही है कि जिलाधौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है? यदि हां, तो अब नियमित विद्युत सप्लाई कब तक करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल 147 ग्राम है जिनमें से 145 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। गैर आबाद ग्राम ताल ओन्डेला एवं नगला मोरोली विद्युतीकरण हेतु शेष हैं।

(2) शेष रहे गैर आबाद अविद्युतीकृत ग्रामों में मांग होने पर नियमानुसार विद्युत तंत्र का विस्तार कर कनैक्शन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(3) जिला-धौलपुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक समयों में 6 से 8 घंटे नियमित तीन फेस में बिजली दी जाती रही है, सायंकाल को सिंगल फेज विद्युत घरेलू उपयोग के लिए सभी क्षेत्रों में दी जाती है। कभी-कभी उत्तरी ग्रिड में बिजली की कमी के कारण अथवा तकनीकी खराबी के कारण सिस्टम में बिजली की कमी हो जाती है, इस कारण उपरोक्त व्यवस्था में व्यवधान हो जाता है। उपलब्धता में कमी के समय को अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय विद्युत गृहों से बिजली खरीद कर इस कमी को यथा संभव दूर करने के प्रयास निरन्तर किये जाते हैं।

जिला-बाड़मेर/जैसलमेर के असहाय वृद्धों को पेन्शन प्रकरण

164. **श्री अमीन ख़ान** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-बाड़मेर व जैसलमेर में कितने असहाय व वृद्धों को पेन्शन दी जा रही है? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिलों में कई पेन्शन प्रकरण रोक दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों और उन पर कब तक निर्णय किया जाएगा?

उत्तर

(1) जिला-बाड़मेर/जैसलमेर में असहाय वृद्धों को दी जा रही पेन्शन की तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जिला-बाड़मेर में वर्तमान में समस्त श्रेणी के पेन्शन प्रकरणों में नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

जिला-जैसलमेर में नये पेन्शन प्रकरण रोके नहीं गये हैं वरन् कुछ प्रकरणों को जांच के उपरान्त निरस्त अवश्य किया गया है।

परिशिष्ट-"अ"

जिला-बाड़मेर/जैसलमेर में वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की तहसीलवार सूची

नाम जिला		तहसीलवार	पेन्शनर्स की संख्या
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	4798
		सिवाना	3642
		पचपदरा	3131
		गुढ़ामालानी	4949
		चोहटन	3118
		बायतू	4511
		भिज	1682
		योग	25831
2.	जैसलमेर	—	जिले में तहसीलवार अभिलेख संधारित नहीं है जिले में कुल 2427 असहाय व्यक्तियों को पेन्शन दी जा रही है। जिला कलेक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार भविष्य में तहसीलवार अभिलेख संधारित करने के निर्देश जिलाधीश द्वारा प्रदान कर दिये गये हैं।

नोट : उपर्युक्त संख्या में विधवा एवं विकलांगों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय, अटरू में रिक्त पद

165. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप आवासीय विद्यालय, अटरू में प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं के पद जुलाई, 2000 से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि 3 वर्ष से ज्यादा समय तक कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा है? यदि हां, तो वहां प्राचार्य व अध्यापकों तथा वार्डन की प्रतिनियुक्ति अवधि नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त पूर्व प्राचार्य व अध्यापकों के समय में बोर्ड की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे थे?

(3) क्या सरकार बच्चों व विद्यालय के हित में पूर्व प्राचार्य को प्रतिनियुक्ति देकर विद्यालय की घटी हुई साख को पूर्ववत बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आवासीय विद्यालय, अटरू में प्रधानाचार्य का पद दिनांक 28.6.2000 को रिक्त होने पर इस पद पर पदस्थापन की कार्यवाही के सन्दर्भ में विभाग द्वारा उपयुक्त प्रधानाचार्य अभ्यार्थी को चिन्हित किया जाकर दिनांक 16.8.2000 को पदस्थापन कार्यवाही हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को लिखा गया। शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पदस्थापन सम्बन्धित वांछनीय प्रक्रियाएं पूर्ण किये जाने उपरान्त विद्यालय में प्रधानाचार्य का पदस्थापन किया गया, जिसके क्रम में विद्यालय में प्रधानाचार्य ने दिनांक 20-1-2001 को कार्यग्रहण किया तथा निरन्तर कार्यरत है। आवासीय विद्यालय, अटरू को शैक्षणिक सत्र 2000-2001 में कक्षा-11 तक क्रमोन्नत किया जाकर इस कक्षा हेतु नवीन खण्ड प्रारम्भ किया गया विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यालय सम्बन्धित कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने उपरान्त इस विद्यालय के लिये नवीन स्कूल व्याख्याताओं के 6 पद सृजित किये गये हैं, जिन पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन की कार्यवाही शिक्षा विभाग से की जानी है।

वर्तमान में विद्यालय में नवीन 6 स्कूल व्याख्याताओं के पदों में से 3 पर शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किया जा चुका है तथा इन 3 स्कूल व्याख्याताओं ने विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है। शेष 3 रिक्त पदों को भी शिक्षा विभाग द्वारा भरा जा रहा है।

(2) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा संचालित आवासीय

(समाज कल्याण मंत्री)

विद्यालय, टोंक एवं अटरू में प्रधानाचार्यों के पदों पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन किये जाने का प्रावधान हैं तथा जिसके लिये इन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार देय प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है। उक्त पदों पर कोई भी प्रधानाचार्य 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं रहा है।

(3) आवासीय विद्यालय, अटरू में वर्तमान में प्राचार्य कार्यरत है एवं पद रिक्त नहीं है।

विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय की उपादेयता

166. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में विमंदित गृह चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब से और उनमें कितने बालक-बालिकायें हैं?

(2) उक्त विमंदित गृह के बालक और बालिकाओं के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है एवं उनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था है?

(3) राज्य में विशेष शिक्षकों को सरकार द्वारा कब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या उक्त विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कोई सेवा नियम हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त विशेष शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते और उनकी नियुक्ति संबंधी नियम नहीं बनाये हैं? यदि हां, तो प्रति वर्ष प्रशिक्षण केन्द्र पर लाखों रुपये व्यय करने की क्या उपादेयता है?

(5) क्या कोई विशेष विद्यालय है जिनमें विशेष शिक्षकों को नियुक्त किया जा सके? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य में एक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह का संचालन वर्ष 1983 से सेठी कालोनी, जयपुर में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में इस गृह में 50 बालक तथा 82 महिलायें व बालिकाएं हैं।

(2) उक्त विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह में बालकों के लिए 14.28 लाख रुपये तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये 22.15 लाख रुपये वर्ष 2000-2001 में आवंटन किये गये हैं। इनके शिक्षण-प्रशिक्षण के लिये 2 पूर्णकालीन अध्यापक तथा 2 अंशकालीन विशेष अध्यापक कार्यरत हैं।

(3) राज्य में विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,

(समाज कल्याण मंत्री)

सिकन्दराबाद के 50 प्रतिशत आर्थिक सहयोग से अगस्त, 1999 से संचालित किया जा रहा है। इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी कोई सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं।

(4) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

विमंदित बच्चों को शिक्षा देना एक सामाजिक आवश्यकता है, जिस हेतु विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(5) जी, नहीं। विशेष विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

पंचायत समिति-चूरू में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

167. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पंचायत समिति चूरू में वर्ष 2000-2001 में कितने आवेदन पत्र सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्राप्त हुए और कितने आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति जारी की गई तथा कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में उक्त पंचायत समिति में कितने आवेदन-पत्र वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेन्शन के प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया गया तथा कितने पात्र व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृति की गई और कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति-चूरू में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में 280 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा 245 आवेदनों की स्वीकृतियां जारी की गई, जिन पर 98,000/- रुपये आवंटित किये गये।

(2) पंचायत समिति-चूरू में पूछी गई अवधि में वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेन्शन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर की गई स्वीकृतियों एवं व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है : —

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन-पत्र	व्यय की गई राशि
1.	1999-2000	2181	2181	8172420.00
2.	2000-2001 (24-3-2001 तक)	42 (अतिरिक्त)	42	5005816.00

जिला-बाड़मेर व जैसलमेर में संचालित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

168. **श्री अमीन ख़ान** (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला-बाड़मेर व जैसलमेर की राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कितने बच्चे अध्ययन कर रहे हैं ? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला-बाड़मेर के राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में 49370 व जिला जैसलमेर में 7359 बच्चे अध्ययनरत है। पंचायत समितिवार सूची निम्न प्रकार है :

जिला-बाड़मेर		
1.	सिवाना	5897
2.	शिव	4964
3.	बालोतरा	6868
4.	चौहटन	6233
5.	धौरमन्ना	6735
6.	बायतू	6101
7.	बाड़मेर	7246
8.	सिणधरी	5326
योग		49370

जिला-जैसलमेर		
1.	साकड़ा	2968
2.	जैसलमेर	1556
3.	सेम	2835
	योग	**7359**

जिला-चूरू की वार्षिक जिला आयोजना समिति की बैठकें

169. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-चूरू की वार्षिक जिला आयोजना तैयार करने हेतु आयोजना समिति की कब-कब बैठक हुई तथा वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 की वार्षिक योजना कब तैयार कर सरकार को भेजी गई ?

(2) उक्त जिले की वार्षिक जिला आयोजना में वर्ष 2000-2001 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा आयोजना अनुसार कितने काम किए गए व किस मद में कितना धन व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि वार्षिक जिला योजना 2000-2001 को तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव आयोजना समिति को जलदाय/विद्युत विभाग व विभिन्न पंचायत समिति ने भेजे थे ? यदि हां, तो कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए व कितनों को योजना में सम्मिलित किया गया तथा कितने प्रस्तावों का क्रियान्वयन हुआ ?

उत्तर

(1) दिनांक 24.6.1997, 6.9.1997, 27.9.1997, 21.8.1998, 19.9.1998, 17.4.1999, 1.11.1999 को आयोजित हुई जिला आयोजना समिति, चूरू की बैठकों में जिला आयोजना समिति के स्वरूप, कार्य क्षेत्र व अधिकार तथा विभिन्न विभागों द्वारा करवाये गये कार्यों की समीक्षा एवं जिले के संसाधनों की विवेचना आदि पर विचार किया गया।

वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 की वार्षिक योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में सूचना दिनांक 28.3.2000 व 3.2.2001 को राज्य सरकार को भेजी गई।

(2) चूरू जिले के लिये वर्ष 2000-2001 में 139.22 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गई। वर्ष 2000-2001 की प्रथम अर्द्ध वार्षिकी में आयोजना मद वाइज करवाये गये कार्य व व्यय की गई राशि निम्नप्रकार है :—

	सैक्टर	कुल कार्य भौतिक	कुल व्यय वित्तीय लाखों में
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	5048 संख्या	राज्य 13.12
2.	ग्रामीण विकास	1956	राज्य 843.43
			केन्द्र 337.68
3.	सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण	244 हैक्टेयर	राज्य 172.53
4.	ऊर्जा	20 गांव	राज्य 692.33
5.	उद्योग एवं खनन	382 संख्या	राज्य 20.25
6.	यातायात	63 किमी. सड़क	राज्य 206.25
7.	सामाजिक एवं	—	केन्द्र 243.85
	सामुदायिक सेवाएं		राज्य 5.03
8.	आर्थिक सेवाएं	—	केन्द्र 0.71
9.	सामान्य सेवाएं	2	राज्य 1.15

(3) वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना जिला आयोजना प्रकोष्ठ, चूरू द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में तैयार की गई, जिसमें विभिन्न विभागों से प्राप्त योजनाओं को समेकित किया गया। उक्त योजना में जलदाय, विद्युत मण्डल व पंचायत समितियों द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावों को भी शामिल किया गया। विभागवार शामिल किये गये प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है तथा क्रियान्वयन की स्थिति भाग-2 के उत्तर में अंकित स्थिति के अनुसार है।

परिशिष्ट-'1'

जिला—चूरू

वार्षिक जिला योजना वर्ष 2000-2001 का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	राशि (लाखों में)	
		1999-2000	2000-2001
1	कृषि एवं सम्बन्ध सेवाएं	402.71	155.47
2.	ग्रामीण विकास	2059.87	1750.45
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	800.00	700.00
5.	ऊर्जा	1511.47	1747.00
6.	उद्योग एवं खनन	190.33	69.00
7.	यातायात	1553.78	1463.36
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	0.44	0.00
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	5216.14	7513.30
10.	आर्थिक सेवाएं	29.50	512.56
11.	सामान्य सेवाएं	46.00	11.00
	योग	**11810.24**	**13922.14**

जिला वार्षिक योजना वर्ष 2000-2001 एक दृष्टि में

क्र.सं.	क्षेत्र/कार्यक्रम	राशि (लाखों में)		
		राज्य योजना	केन्द्रीय हिस्सा	योग
1.	कृषि एवं सम्बन्ध सेवाएं	123.28	32.19	155.47
2.	ग्रामीण विकास	887.01	863.44	1750.45
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	700.00	0.00	700.00
5.	ऊर्जा	1745.00	2.00	1747.00
6.	उद्योग एवं खनन	19.00	50.00	69.00
7.	यातायात	1463.36	0.00	1463.36
8.	वैज्ञानिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	3408.22	4105.10	7513.32
10.	आर्थिक सेवाएं	9.06	503.50	512.56
11.	सामान्य सेवाएं	11.00	0.00	11.00
	योग	**8365.91**	**5556.23**	**13922.14**

जिला वार्षिक योजना वर्ष 2000-2001 का विभाग वार विवरण

क्र.सं.	सेक्टर/विभाग/कार्यक्रम	राशि (लाखों में)		
		राज्य योजना	केन्द्रीय हिस्सा	योग
1	2	3	4	5
1.	**कृषि एवं सम्बन्ध सेवाएं**			
1.	कृषि विभाग	16.47	9.00	25.47
2.	विश्व बैंक की सहायता से कृषि विकास	9.90	0.00	9.90
3.	पशुपालन विभाग	70.80	0.00	70.80
4.	भेड़ व ऊन विभाग	0.35	1.50	1.85
5.	वन विभाग	1.69	1.69	3.38
6.	कृषि साख	20.00	0.00	20.00
7.	सहकारिता	4.07	20.00	24.07
	योग कृषि	**123.28**	**31.19**	**155.47**
2.	**ग्रामीण विकास**			
1.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	502.69	863.44	1366.13
2.	जिला परिषद	384.32	0.00	384.32
	योग	**887.01**	**863.44**	**1750.45**
3.	**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ऊर्जा**	700.00	0.00	700.00
4.	**ऊर्जा**			
1.	राजस्थान राज्य विद्युत निगम लि.	1745.00	0.00	1745.00
2.	जिला परिषद राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा	0.00	2.00	2.00
	योग	**1745.00**	**2.00**	**1747.00**
5.	उद्योग एवं खनन			
1.	राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान उ. वि.	16.98	0.00	16.98

1	2	3	4	5
2.	खादी विभाग मार्जिन मनी	2.02.	0	2.02
3.	करघा घर मार्जिन मनी	0	50	50.00
	योग	**19**	**50**	**69.00**
5.	**यातायात**			
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1384.95	0.00	1384.95
2.	यातायात विभाग	3.41	0.00	3.41
3.	कृषि विपणन बोर्ड	175.00	0.00	175.00
	योग	**1463.36**	**0.00**	**1463.36**
7.	**सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं**			
1.–	**शिक्षा :**			
1.	शिक्षा विभाग प्राथमिक	680.96	200.00	880.96
2.	शिक्षा विभाग माध्यमिक	402.39	0.00	402.39
3.	कालेज शिक्षा	79.97	0.00	79.97
4.	प्रौढ़ शिक्षा	10.00	0.00	10.00
5.	शारीरिक शिक्षा	0.20	0.00	0.20
6.	संस्कृत शिक्षा	12.90	0.00	12.90
7.	तकनीकी शिक्षा	65.88	0.00	65.88
8.	एन. सी. सी.	1.05	0.00	1.05
9.	खेल विभाग	4.10	0.00	4.10
10.	विकलांग हेतु एकीकृत शिक्षा	0.00	5.00	5.00
11.	जिला सतत साक्षरता	0.00	175.00	175.00
12.	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	15.00	15.00
	योग	**1257.45**	**395.00**	**1652.45**

1	2	3	4	5
2.–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :				
1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग एवं आयुर्वेद विभाग	315.39	299.00	614.39
3.–जलप्रदाय विभाग :				
1.	जलप्रदाय विभाग	827.00	3350.00	4177.00
2.	शहरी विकास	878.32	7.04	885.36
	योग	**1705.32**	**3357.04**	**5062.36**
4.–सूचना एवं विज्ञापन विभाग		0.08	0.00	0.08
5.–श्रम विभाग		30.90	0.00	30.90
6.–अन्य सेवाएं				
1.	पिछड़ी जाति कल्याण	45.00	0.00	45.00
2.	समाज कल्याण	5.00	5.00	10.00
3.	महिला बाल विकास विभाग	49.06	49.06	98.12
	योग	**99.06**	**54.06**	**153.12**
	योग 7 का	**3408.20**	**4105.10**	**7513.30**
8. आर्थिक सेवाएं				
1.	सांख्यिकी विभाग	0.66	1.50	2.16
2.	जिला योजना	8.40	2.00	10.40
3.	डी.पी.आई.पी.	0.00	500.00	500.00
	योग	**9.06**	**503.50**	**512.56**
9. सामान्य सेवाएं सरकारी भवन निर्माण		11.00	0.00	11.00
महायोग		**8365.91**	**5556.23**	**13922.14**

ब्लाक शिक्षा अधिकारी, घाटोल व पीपलखूंट में रिक्त पद

170. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्लाक शिक्षा अधिकारी, घाटोल व पीपलखूंट में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(2) ब्लाक शिक्षा के अधीनस्थ उक्त कार्यालयों में एस. डी. आई. के कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भरने का विचार है?

उत्तर

(1) जी, हां। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारी उपलब्ध कराने पर ही ये पद भरे जा सकेंगे।

(2) ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति-पीपलखूंट में दो तथा पंचायत समिति-घाटोल में एक एस. डी. आई. का पद रिक्त है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधिकारी उपलब्ध कराये जाने पर इन पदों को भरा जा सकेगा।

जिला-राजसमन्द की पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में रिक्त पद

171. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-राजसमंद की पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में कौन-कौन से पद रिक्त हैं?

(2) क्या उक्त पदों के रिक्त रहने से पंचायत समिति द्वारा निष्पादित योजनाओं तथा अकाल राहत कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला-राजसमंद की पंचायत समिति भीम व देवगढ़ में रिक्त पदों का विवरण अनुसूची-'1' पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य कर्मचारियों को देकर कार्य सम्पादन की व्यवस्था की गयी है।

(3) वर्तमान में नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रतिबन्ध हटने पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद भरे जावेंगे। प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद संबंधित विभाग से कार्मिक उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

अनुसूची-'1'

जिला परिषद्, राजसमंद से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत समिति-भीम व देवगढ़ में रिक्त पदों की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	पंचायत समिति, भीम	पंचायत समिति, देवगढ़
1.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	1	—
2.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	1	—
3.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	1
4.	कनिष्ठ लिपिक	1	2
5.	वरिष्ठ लिपिक	—	1
6.	कनिष्ठ लेखाकार	—	1
	योग	4	5

पर्यटन निगम के केन्द्रों के भण्डार का भौतिक सत्यापन

172. **डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन निगम द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इस हेतु निगम द्वारा क्या-क्या नई योजनाएं बनाई जा रही हैं?

(2) पर्यटन निगम के जो विभिन्न केन्द्रों पर भण्डार हैं उनका भौतिक सत्यापन कब-कब हुआ और क्या स्थिति रही? मदिरा, भोजन आदि पर आन्तरिक नियन्त्रण कैसा है ?

(3) उक्त निगम की रुग्ण इकाइयां कितनी हैं तथा उनके बारे में निगम ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किस-किस पर्यटन केन्द्र का कब-कब निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के क्या परिणाम रहे? क्या इससे अपेक्षित सुधार हुए? यदि नहीं, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम द्वारा पर्यटन साहित्य के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। इन्टरनेट वेबसाइट, सी. डी. रोम के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। निगम की इकाइयों पर पर्यटकों के लिये अतिरिक्त सुविधा हेतु नवीनीकरण/विस्तार आदि के कार्य करवाये जा रहे है। पर्यटकों को सुगम एवं आरामदायक परिवहन सुविधाएं दृश्यावलोकन हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) पर्यटन निगम के विभिन्न केन्द्रों पर जो भण्डार हैं, उनका भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 1999-2000 में निगम की इकाइयों में किये गये भौतिक सत्यापन की सूचना परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है। भौतिक सत्यापन एवं मदिरा, भोजन आदि पर आन्तरिक नियन्त्रण संतोषजनक है।

(3) निगम ने किसी भी इकाई को रुग्ण घोषित नहीं किया है। वाणिज्यिक संस्थान होने के कारण लाभ प्राप्त हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

(4) समय-समय पर मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा पर्यटक केन्द्रों एवं निगम की इकाइयों का निरीक्षण किया जाता है। इस सम्बन्ध में परिशिष्ट-"ख" संलग्न है। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाली कमियों एवं अनियमितताओं पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इससे कर्मचारियों की दक्षता में सुधार हुआ। इसके साथ-साथ हाऊस कीपिंग एवं भोजन व्यवस्था में सुधार हुआ है।

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 1999-2000 में निगम की इकाइयों के किये गए भौतिक सत्यापन की सूचना

क्र.सं.	इकाई/खण्ड	भौतिक सत्यापन की दिनांक	भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गये सामान की कमी की राशि
1	2	3	4
1.	होटल खादिम, अजमेर खण्ड	22 से 25.3.2000	21280
2.	मिडवे बर, अजमेर खण्ड	1 से 3.4.2000	2005
3.	वृन्दावति, अजमेर खण्ड	10 से 11.3.2000	2331
4.	गुलाबपुरा, अजमेर खण्ड	8 से 11.3.2000	6208
5.	चम्बल, अजमेर खण्ड	12 से 14.3.2000	—
6.	सरोवर, अजमेर खण्ड	1 से 3.3.2000	33025
7.	पर्यटक ग्राम, अजमेर खण्ड	4 से 7.3.2000	246
8.	ढोलामारू, बीकानेर खण्ड	7 से 10.3.2000	11292
9.	फतेहपुर, बीकानेर खण्ड	7 से 8.3.2000	4636
10.	झुनुनू, बीकानेर खण्ड	9.3.2000	121
11.	रतनगढ़, बीकानेर खण्ड	14 से 16.3.2000	307
12.	खडताल, जोधपुर खण्ड	4 से 5.4.2000	165
13.	मूमल, जोधपुर खण्ड	1 से 4.4.2000	3448
14.	घूमर, जोधपुर खण्ड	1 से 4.4.2000	872
15.	पणिहारी, जोधपुर खण्ड	1 से 4.4.2000	187
16.	पोखरण, जोधपुर खण्ड	1 से 3.4.2000	2397
17.	सारस, जयपुर खण्ड-1	12 से 15.3.2000	3038

1	2	3	4
18.	दौसा, जयपुर खण्ड-1	6 से 7.3.2000	1070
19.	धौलपुर, जयपुर खण्ड-1	10 से 11.3.2000	19324
20.	गणगौर, जयपुर खण्ड-1	1 से 5.3.2000	10425
21.	स्वागतम, जयपुर खण्ड-1	7 से 11.3.2000	2489
22.	पर्यटक ग्राम झील, जयपुर खण्ड-1	2 से 3.3.2000	4591
23.	महुवा, जयपुर खण्ड-1	8 से 9.3.2000	663
24.	सी. जे. बावडी, जयपुर खण्ड-1	22 से 23.3.2000	503
25.	मीनल, जयपुर खण्ड-II	8 से 9.3.2000	3438
26.	बहरोड, जयपुर खण्ड-II	22 से 25.3.2000	7149
27.	तीज, जयपुर खण्ड-II	11 से 15.3.2000	693
28.	ट्यूरिस्ट होटल, जयपुर खण्ड-II	5 से 8.3.2000	26421
29.	दुर्ग कैफे, जयपुर खण्ड-II	1 से 3.3.2000	1115
30.	टाइगर डेन, जयपुर खण्ड-II	17 से 20.4.2000	2398
31.	मावठ, जयपुर खण्ड-II	3.3.2000	146
32.	शाहपुरा, जयपुर खण्ड-II	6 से 7.3.2000	
33.	लेक पैलेस, जयपुर खण्ड-II	22 से 24.3.2000	54
34.	पन्ना, उदयपुर खण्ड	7 से 9.4.2000	1617
35.	देवगढ़, उदयपुर खण्ड	15 से 16.3.2000	
36.	शिखर, उदयपुर खण्ड	14 से 18.3.2000	28275
37.	गोकुल, उदयपुर खण्ड	28 से 31.3.2000	955
38.	यात्रिका, उदयपुर खण्ड	28 से 31.3.2000	40
39.	शिल्पी, उदयपुर खण्ड	4 से 6.4.2000	1289
40.	रतनपुर, उदयपुर खण्ड	22 से 24.3.2000	1375

1	2	3	4
41.	गावरी, उदयपुर खण्ड	25 से 27.3.2000	6337
42.	कजरी, उदयपुर खण्ड	22 से 25.3.2000	10155
43.	शाही रेलगाड़ी, मुख्यालय	6 से 12.6.2000	17761
44.	चन्द्रावती	16.3.2000	4241
45.	खिदमत	16 से 18.3.2000	30700
46.	मीनल	20.3.2000	—
47.	डीग	14 से 15.3.2000	—
48.	नागौर	10 से 11.3.2000	2496
49.	सी स्टोर	3 से 10.6.2000	28057
50.	जे.ए.जी., चित्तौड़गढ़	18.3.2000	0
	योग		**305335**

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 2000-2001 के दौरान निगम के अधिकारियों द्वारा पर्यटन केन्द्रों/होटलों के निरीक्षण की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पर्यटन केन्द्र/होटल का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री राजहंस उपाध्याय,	मिडवे बहरोड	22.10.2000
	प्रबन्ध निदेशक	सरोवर विश्राम गृह, पुष्कर	23.10.2000 से 24.10.2000
		सरोवर, पुष्कर	9.11.2000 से 11.11.2000
		घूमर, जोधपुर	23.11.2000 से 24.11.2000
		शिखर, आबू पर्वत	6.12.2000 से 8.12.2000
		खादिम, अजमेर	11.12.2000 से 12.12.2000
		मूमल, जैसलमेर	21.12.2000 से 23.12.2000
		घूमर, जोधपुर	24.12.2000 से 26.12.2000
2.	श्री एन. पी. शर्मा,	मिडवे, बहरोड	1.3.2000
	कार्यकारी निदेशक	होटल चम्बल, कोटा-होटल वृन्दावति, बून्दी	3.3.2000 से 5.3.2000
		होटल खादिम, अजमेर	10.3.2000
		होटल खादिम, अजमेर-मोटल बर	12.3.2000 से 13.3.2000
		दिल्ली-मिडवे बहरोड	23.3.2000 से 25.3.2000
		होटल टाइगर डेन, सरिस्का	4.6.2000 से 5.6.2000

1	2	3	4
		होटल घूमर, जोधपुर	14.7.2000 से 17.7.2000
		होटल घूमर, जोधपुर	19.8.2000 से 21.8.2000
		बहरोड-दिल्ली	6.8.2000 से 8.8.2000
		दिल्ली	24.8.2000 से 26.8.2000
		होटल घूमर, जोधपुर	26.8.2000 से 27.8.2000
		होटल शाहपुरा-टाइगर डेन, सरिस्का-मिडवे बहरोड	1.10.2000 से 3.10.2000
		सवाईमाधोपुर	6.10.2000 से 8.10.2000
		होटल सरोवर, पुष्कर	9.11.2000 से 12.11.2000
		होटल घूमर, जोधपुर	17.12.2000
		होटल घूमर, जोधपुर	12.10.2000 से 16.10.2000
		होटल घूमर, जोधपुर	23.12.2000 से 2.1.2001
3.	श्री सी. बी. शर्मा, कार्यकारी निदेशक	होटल चम्बल, कोटा/ वृन्दावती बून्दी	28.1.2001 से 30.1.2001
4.	श्री एस. एस. बोहरा, महाप्रबन्धक (वित्त)	बीयर शाप, कोटपूतली	9.4.2000
		होटल टाइगर डेन, सरिस्का	12.4.2000
		मिडवे दौसा/महुवा	22.4.2000
		होटल टाइगर डेन, सरिस्का/मिडवे शाहपुरा	16.6.2000

1	2	3	4
		मिडवे बहरोड	17.6.2000
		बीयर शाप, कोटपूतली	18.6.2000
		मिडवे गुलाबपुरा/होटल पन्ना,	13.6.2000 से 16.6.2000
		चित्तौड़गढ़/होटल कजरी, उदयपुर/जयसमन्द/मिडवे देवगढ़	
		होटल खादिम, अजमेर/होटल सरोवर, पुष्कर	9.9.2000
		मिड़वे शाहपुरा/होटल टाइगर डेन,	20.9.2000
		सरिस्का/होटल लेक पैलेस, सिलीसेढ़	
5.	श्री एस. एस. सिंघवी, अधीकक्षण अभियन्ता	होटल खादिम, अजमेर	29.10.2000
		होटल सरोवर, पुष्कर	29.10.2000
		होटल मूमल, जैसलमेर	11.11.2000 एवं 13.11.2000
		होटल झूमर बावड़ी, सवाईमाधोपुर	21.11.2000
		मिडवे पोकरण	11.11.2000
		होटल शिखर, मा. आबू	25.11.2000
		मिडवे बहरोड	14.12.2000
		होटल लेक पैलेस, सिलीसेढ़	14.12.2000
		होटल टाइगर डेन, सरिस्का	14.12.2000
		शाही रेलगाड़ी	25.1.2001 से 27.1.2001

1	2	3	4
		पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर/होटल खादिम, अजमेर/पर्यटक स्वागत केन्द्र/पुष्कर घाट का विकास	23.2.2001
		कार्य/विश्राम स्थली, अजमेर	
6.	श्री रतन सिंह राठौड़, सतर्कता अधिकारी	मिडवे महुवा/मिडवे दौसा	1.7.2000
		बीयर शाप, गंगापुर सिटी/मिडवे दौसा	20.11.2000
		बीयर शाप, सीकर	23.11.2000
		बीयर शाप, मकराना	24.11.2000
		बीयर शाप, किशनगढ़	24.11.2000
		मोटल शाहपुरा	5.12.2000
		बीयर शाप, कोटपूतली	5.12.2000
		मिडवे दौसा	20.12.2000
		झूमर बावड़ी, सवाईमाधोपुर	24.12.2000
		होटल टाइगर डेन, सरिस्का	27.12.2000
		होटल हवेली, फतेहपुर	5.1.2000
		होटल ढोला मारू, बीकानेर	19.3.2000
		मिडवे रतनगढ़	21.3.2000

जिला-जैसलमेर के किले की फ्लड लाइटों का संधारण

173. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर किले पर फ्लड लाइटें लगाने में सरकार ने 44.45 लाख की राशि व्यय की है?

(2) क्या उक्त की देखभाल की जिम्मेदारी उपखण्ड अधिकारी को दी है? क्या उक्त में तीन लाइटें गायब है तथा कई क्षतिग्रस्त है?

(3) क्या उक्त लाइटों को चालू रखने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है?

(4) क्या सरकार उक्त लाइटों हेतु वित्तीय प्रावधान कर इनकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। यद्यपि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के चार्ज में फ्लड लाइटें दी गई थी लेकिन दिनांक 14.8.97 को उनके द्वारा रख-रखाव हेतु फ्लड लाइटें नगर पालिका, जैसलमेर को सुपुर्द कर दी गई थी एवं वर्तमान में नगरपालिका, जैसलमेर द्वारा ही इसकी देखभाल की जा रही है। जी, नहीं। कोई भी लाइट गायब या क्षतिग्रस्त नहीं है।

(3) जी, हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(4) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु वित्तीय प्रावधान किये जा रहे हैं एवं इन लाइटों की देखभाल एवं संचालित करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय नगरपालिका, जैसलमेर को दिये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण हेतु संकलित राशि

174. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण हेतु इंग्लैण्ड में दो करोड़ पचास लाख की राशि एकत्रित हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उतनी ही राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार व्यय करने का आयोजन कर रही है ?

(3) उक्त पांच करोड़ रुपयों की राशि का व्यय किस विभाग के माध्यम से होगा तथा क्या इस हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(4) क्या यह सही है कि पुरातत्व विभाग के प्रयास भूतपर्वू राजघराने के दुर्ग व महलात के संरक्षण करने में विफल हुए हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त दुर्ग की बिगड़ती हालत को सुधारने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ल्ड मोन्युमेंट फन्ड नामक संस्था ने जैसलमेर दुर्ग के संरक्षण हेतु दो करोड़ पचास लाख की राशि उपलब्ध कराने की पेशकश की है परन्तु इसके लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की ओर से भी इतनी ही राशि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। संस्था अपने कोष हेतु कहां से धन राशि एकत्रित करती है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी, हां। उतनी ही राशि जुटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त प्रस्तावों के तहत रुपये 1.25 करोड़ भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा 63.00 लाख भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा तथा 63.00 लाख राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आगामी पांच वर्षों में दिया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त प्रस्तावित राशि का व्यय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से होगा। इस हेतु योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाई जा रही है।

(4) जैसलमेर दुर्ग के जो हिस्से (किले की ऊपरी एवं नीचली दीवार इत्यादि) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है, उनके संरक्षण में विभाग ने कोई कमी नहीं छोड़ी है तथा पिछले कई वर्षों से निरन्तर वहां पर सफलतापूर्वक संरक्षण कार्य कराया जाता रहा है।

जहां तक महलात इत्यादि के संरक्षण का प्रश्न है, यह महारावल की निजी सम्पत्ति है तथा एक ट्रस्ट के अधीन है। अत: इनके संरक्षण का कार्य जब तक विधिवत रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नहीं सौपा जाता है तथा ट्रस्ट द्वारा विभाग के साथ करार नहीं दिया है, तब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से संरक्षण का कार्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा विगत कुछ वर्षों से दुर्ग पर संरक्षण कार्य करवाया जा रहा है, जिससे दुर्ग के अनेक कमजोर हिस्सों को मजबूती मिली है। जैसलमेर का दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है।

जिला-बांसवाड़ा के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास

175. **श्री रमेश चन्द्र पंड्या** (बांसवाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री रमेश चन्द्र पंड्या)

(1) जिला-बांसवाड़ा में ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के कौन-कौन से स्थल हैं?

(2) उक्त स्थलों के संरक्षण व पर्यटकीय महत्व के बनाने की दिशा में राज्य सरकार की क्या कोई कार्य योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र गढ़ी के अरथूना मन्दिरों के भग्नावशेष संरक्षण की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जिला-बांसवाड़ा में शिव मन्दिर-भग्नावशेष, अरथुना, विठ्ठलदेवा स्थित प्राचीन अवशेष, त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर, अलाउदी पीर दरगाह, काली कल्याणी धाम व कल्पवृक्ष इत्यादि ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं।

(2) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर शिव मंदिर-भग्नावशेष अरथुना, विठ्ठलदेवा स्थित प्राचीन अवशेष के संरक्षण व पर्यटकीय महत्व का बनाने की दिशा संरक्षण कार्य किया जाता रहा है।

(3) जी, हां। इस वक्त अरथुना स्थित मण्डलेश्वर मंदिर की मरम्मत हेतु 4 लाख 14 हजार 5 सौ रुपये का प्राक्कलन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्वीकृत किया गया है।

जिला-श्रीगंगानगर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

176. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला-श्रीगंगानगर में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं?

(2) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में किस-किस कार्यक्रम पर कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितनी कार्यकर्ता व सहायिकाएं कार्यरत हैं तथा उन्हें कितना वेतन दिया जाता है?

(4) उक्त जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं तथा उनमें से कितने बन्द हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला-श्रीगंगानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं : —

(1) समेकित बाल विकास कार्यक्रम (2) सामूहिक विवाह अनुदान कार्यक्रम (3) स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण योजना (4) महिला विकास कार्यक्रम (5) किशोर बालिका योजना

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) विगत दो वर्षों में कार्यक्रम पर व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है : —

क्र.सं. कार्यक्रम	व्यय वर्ष 1999-2000	व्यय वर्ष (2/2001) 2000-2001
(i) समेकित बाल विकास सेवा		
(अ) राज्य आयोजना	559113	11918595
(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना	14416083	13223464
(ii) महिला विकास कार्यक्रम	0.33 लाख	0.06 लाख
(iii) किशोर बालिका योजना	4.05 लाख	0.36 लाख
(iv) सामूहिक विवाह अनुदान	0.50 लाख	—
(v) स्वयं सहायता समूह	—	—

(3) श्रीगंगानगर जिले में संचालित 8 बाल विकास परियोजनाओं में फरवरी, 2001 तक 1098 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा 1087 सहायिका कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को वेतन नहीं दिया जाता है वरन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान प्रतिमाह किया जाता है। मानदेय दर निम्नानुसार है :—

(i)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नान मैट्रिक	438/-
(ii)	आंग. कार्य. नान मैट्रिक जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव है।	469/-
(iii)	आंग. कार्य. नान मैट्रिक जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव है।	500/-
(iv)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिक	500/-
(v)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिक जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव है।	531/-
(vi)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैट्रिक जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव है।	563/-
(vii)	आंगनबाड़ी सहायिका	260/-

(4) श्रीगंगानगर जिले की 8 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन कुल स्वीकृत 1228 केन्द्रों के विरुद्ध 1100 केन्द्र चालू है, शेष 128 केन्द्र वर्तमान में बन्द है।

जिला-नागौर के आंगनबाड़ी केन्द्र

177. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या मानदंड है?

(2) जिला-नागौर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 के दौरान नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रमुख मानदण्ड ग्राम की जनसंख्या है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की परियोजना में औसतन 1000 की आबादी पर एक केन्द्र खोला जाता है। यह मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। जनजाति क्षेत्र की परियोजना में औसतन 700 की आबादी पर केन्द्र खोला जाता है। एक ग्राम में एक से अधिक केन्द्र खोलने का आधार निम्नानुसार है : —

क्र.सं.	जनसंख्या सीमा	केन्द्रों की संख्या
(अ)	**शहरी एवं ग्रामीण परियोजना**	
1.	1000 से अधिक	1
2.	1501 से 2500	2
3.	2501 से 3500	3
4.	3501 से 4500	4
(ब)	**जनजाति क्षेत्र परियोजना**	
1.	700 से अधिक	1
2.	1001 से 1400	2
3.	1401 से 2100	3
4.	2101 से 2500	4

अत्यधिक पहाड़ी रेगिस्तानी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आबादी बिखरी हुई है, 300 की आबादी पर भी केन्द्र खोला जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलते समय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिवेश का ध्यान रखा जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

बाहुल्य क्षेत्रों, कच्ची बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) जिला-नागौर में कुल-11 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है, जिनमें 1840 केन्द्र स्वीकृत है। इनके विरुद्ध 1738 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत है, जिनका परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्र	
		स्वीकृत	संचालित
1.	डेगाना	140	139
2.	जायल	190	189
3.	मेड़ता सिटी	151	150
4.	डीडवाना	234	233
5.	मूंडवा	156	151
6.	रियां	155	154
7.	मकराना	163	162
8.	परबतसर	142	135
9.	लाडनूं	123	122
10.	नागौर (ग्रा.) (वि. बैंक)	205	146
11.	कुचामन सिटी (वि. बैंक)	181	157
	योग	**1840**	**1738**

परियोजनावार कार्यरत केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर है।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए केन्द्रों को ही खोला जाएगा। बाल विकास परियोजना, नागौर (ग्रा.) एवं कुचामन सिटी के लिए कुल-31 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ग्राम का चयन किया जाना है। प्रस्ताव उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक, नागौर से ग्राम सभा की अनुशंषा के आधार पर मांगे गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महिला एवं बाल विकास में पदोन्नति

178. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने पद किन-किन वर्गों के है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में किन-किन पदों पर कितने अनुसूचित जनजाति व जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विभाग में कुल 3894 पद स्वीकृत है। पदों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) विभाग में पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। रिक्त पदों को भरने पर लगें प्रतिबन्ध के हटने पर नियमानुसार पदोन्नति दी जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला श्रीगंगानगर के संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

179. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के आगंनबाड़ी केन्द्रों पर कौन-कौन सुपरवाइजर कार्यरत हैं तथा प्रत्येक सुपरवाइजर को कितना-कितना एरिया दें रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के केन्द्रों पर कितना पोष्टिक आहार प्रतिदिन दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) ऐसे कौन से केन्द्र है जहां अभी तक कार्यकर्ता व सहायिका का चयन नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में 2 परियोजना कार्यरत है 1. श्रीगंगानगर (ग्रामीण) 2. श्रीगंगानगर (शहरी)। इनमें निम्नलिखित महिला पर्यवेक्षक कार्यरत है तथा इनके नाम के आगे कार्य क्षेत्र अंकित है :

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

परियोजना श्रीगंगानगर (ग्रामीण)

क्र.सं.	नाम पर्यवेक्षक	कार्य क्षेत्र
1.	श्रीमती दयावन्ती सोनी	मोहनपुरा व चुनावगढ़ परिक्षेत्र (39 केन्द्र)
2.	श्रीमती इंदिरा अरोड़ा	जैड माइनर परिक्षेत्र (21 केन्द्र)
3.	श्रीमती मोमिला गोयल	कोठी परिक्षेत्र (20 केन्द्र)
4.	श्रीमती सुशीला परमार	मिजेवाला व हिन्दुमलकोट परिक्षेत्र (46 केन्द्र)
5.	श्रीमती निर्मला वर्मा	नेतेवाला परिक्षेत्र (18 केन्द्र)
6.	श्रीमती जगदीश कौर	एल. एम. पी. परिक्षेत्र (23 केन्द्र)
परियोजना श्रीगंगानगर (शहर)		
1.	श्रीमती मधुरानी दुबे	जे. सी. टी. मिल एरिया (18 केन्द्र)
2.	श्रीमती सरोजबाला	पुरानी आबादी (18 केन्द्र)
3.	श्रीमती नीलम निदेश	गंगानगर (वार्ड नं. 31, 40, 42, 43, 45) (10 केन्द्र)
4.	श्रीमती हरविन्द्र कौर	गंगानगर (वार्ड नं. 18, 19, 20, 44) (10 केन्द्र)
5.	श्रीमती सुनीता सहगल	जवाहर नगर (वार्ड नंबर 23, 24, 25) (9 केन्द्र)
6.	श्रीमती उमा नागपाल	जवाहर नगर (वार्ड नंबर 32 से 36, 38, 39, 41) (41 केन्द्र)

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना, गंगानगर (ग्रामीण) के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन औसतन 83.00 किलोग्राम पौषाहार लाभान्वितों को बांटा जाता है। प्रतिदिन प्रति लाभान्वित पोषाहार वितरण की मात्रा निम्नानुसार है :

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	लाभार्थी	पोषाहार यात्रा
1.	6 माह से 2 वर्ष के बच्चे	60 ग्राम पंजीरी (सप्ताह में 6 दिन)
2.	2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	80ग्राम पंजीरी (सप्ताह में 3 दिन) 80 ग्राम राजस्थान मिक्स (सप्ताह में 3 दिन)
3.	6 माह से 6 वर्ष तक के अति. कुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं	160 ग्राम राजस्थान मिक्स (सप्ताह में 6 दिन)

श्रीगंगानगर शहर में पोषाहार वितरण अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन नहीं हुए केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :

परियोजना गंगानगर (ग्रा.)	परियोजना गंगानगर (शहरी) वार्ड नंबर 19 में
1. 3 एच एच	1. 19 ए
2. 8 क्यू	2. 19 बी
	3. 19 सी

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

180. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति विकास विभाग राजस्थान द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, को अनुसूचित जाति क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये गठित "राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद्" ने गत दो वर्षों में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1999 के

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई उपाय सुझाये है? यदि हां, तो क्या और कब से लागू कर दिये गये हैं?

(3) वर्ष 1998 में परामर्शदात्री परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों में से कितने फैसले लागू नहीं किये गये?

उत्तर

(1) जी, हां। महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुसूचित क्षेत्र सम्बन्धी प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष तैयार कर महामहिम राज्यपाल महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् ने गत दो वर्षों में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण अधिनियम, 1999 को लागू करने के सम्बन्ध में कोई उपाय नहीं सुझाये हैं)

(3) वर्ष 1998 में जनजाति परामर्शदात्री परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों में से अभी तक तीन निर्णय लागू नहीं किये गये हैं।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के छात्रों को देय छात्रवृत्ति

181. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितने बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में वर्ष 2000-2001 में अध्ययन कर रहे हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त उपयोजना क्षेत्र में कितने बालक एवं बालिकाओं को अवासीय सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराने से अपनी व्यवस्था पर अध्ययन कर रहे हैं? ऐसी व्यवस्था में छात्रवृत्ति का क्या प्रावधान है? गैर-आवासीय छात्र/छात्राओं के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्तमान में कोई आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की जिलेवार संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :—

जिला	बालक	बालिकाएं	योग
1	2	3	4
उदयपुर	1382	517	1899
डूंगरपुर	1689	382	2071

(जनजाति क्षेत्रीय विकाय मंत्री)

1	2	3	4
बांसवाड़ा	1469	398	1867
चित्तौड़गढ़	895	141	1036
सिरोही	511	174	685
योग	5946	1612	7558

(2) जिन बालक/बालिकाओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा यदि वे अपने घर से दूर किराये के भवन में रहकर अध्ययन करते हैं तो उन छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा रुपये 150/- प्रति महीने की दर से 10 महीने हेतु मकान किराया उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2000-2001 में ऐसे छात/छात्राओं की अनुमानित संख्या 3110 है जिनका जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :

जिला	छात्र/छात्रा संख्या
उदयपुर	350
बांसवाड़ा	1500
डूंगरपुर	1000
चित्तौड़गढ़	220
सिरोही	40
योग	3110

अन्य छात्रवृत्तियों पर इस योजना का कोई प्रभाव नहीं है उनका यथावत भुगतान किया जा रहा है। छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलबध कराने की दृष्टि से आवासीय विद्यालयों एवं और आश्रम छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

जिला पाली में सांसद विकास कोष से व्यय की गई राशि का उपयोग

182. **श्री हीरासिंह चौहान** (राजपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) पाली के सांसद द्वारा सांसद क्षेत्रीय विकास कोष से जिले के किस-किस विधान सभा क्षेत्र में, किन-किन कार्यों पर गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं कितने कार्य स्वीकृत के बावजूद प्रारंभ नहीं हो पाये हैं और वर्तमान में उक्त कोष में कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अपूर्ण एवं प्रारंभ नहीं किये जाने वाले कार्यों के लम्बित होने, समय पर पूर्ण या चालू नहीं होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सांसद कोष के अतिरिक्त पाली जिले में किस-किस राज्य सभा सांसद ने किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि

(श्री हीरासिंह चौहान)

स्वीकृत की है और उनके द्वारा आवंटित राशि के उपयोग की क्या दशा है? सूची सदन के में पर रखें।

उत्तर

(1) पाली के सांसद महोदय द्वारा सांसद कोष से जिले के विधान सभा क्षेत्रवार गत दो वर्ष में कुल 351 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्यवार एवं स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण/प्रारम्भ नहीं हुए कार्यों की विधान सभावार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। वर्तमान में सांसद कोष में स्वीकृति योग्य राशि 5.00 लाख रुपये शेष है।

वर्ष	स्वीकृत	पूर्ण	चालू/ अपूर्ण	प्रारम्भ नहीं
1999	175	159	7	9
2000	176	78	86	12
योग	351	237	93	21

(3) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्यों में से बन्द/चालू नहीं के कारण कार्यवार सूची परिशिष्ट-1 के कालम संख्या-9 में उपलब्ध है।

(4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निम्न राज्य सभा सदस्यों ने राशि आवंटित की है :

1.	श्री औंकारसिंह जी लखावत-	35.00 लाख
2.	श्री एए.खान	7.51 लाख
3.	श्री लक्ष्मीमल जी सिंघवी	5.00 लाख

कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधायक विकास फण्ड की राशि का अन्तरण

183. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के विधायकों को अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास हेतु कितनी राशि किस-किस वर्ष में कितनी उपलब्ध कराई गई?

(2) राज्य के 200 विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों द्वारा अपनी स्वीकृति में से कितनी राशि अपने विधान सभा क्षेत्र में व्यय की गई?

(3) क्या सरकार विधायक विकास फण्ड की शेष बची राशि को वचत सत्र से अगले बजट सत्र में स्थानान्तरित कर व्यय करने का अधिकार देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य के माननीय विधायक गण को अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 1999-2000 में 3825.00 लाख रुपये एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में (2000-2001) में 20 फरवरी, 2001 तक 6335.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये।

(2) राज्य के 200 विधान सभा क्षेत्रों के विधायकगण द्वारा स्वीकृत कराये गये कार्यों के पेटे इस वित्तीय वर्ष में माह फरवरी तक 5819.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत समरानिया (बारां) में अनियमित दुकानों का निर्माण

184. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत समरानिया पंचायत समिति शाहबाद जिला-बारां में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अन्तर्गत कितनी दुकानों का निर्माण कब-कब हुआ तथा इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई थी तथा कितनी राशि व्यय हुई?

(2) उक्त दुकानों का निर्माण किस-किस खसरा नं. में हुआ तथा उक्त खसरा नं. की भूमि क्या आबादी क्षेत्र में आती है? यदि हां, तो कितनी दुकानों की भूमि आबादी क्षेत्र में आती है तथा कितनी दुकानों की भूमि गैर आबादी क्षेत्र में आती है? क्या गैर आबादी क्षेत्र में दुकानों का निर्माण किया जा सकता था? यदि हां, तो किसके आदेश से यह निर्माण किया? क्या अनियमित तरीके से निर्माण किया गया? यदि हां, तो दुकानों के निर्माण का भुगतान क्यों किया गया? क्या ग्राम पंचायत को अतिक्रमण कर दुकानें बनाने का अधिकार है? यदि नहीं, तो सरपंच ग्राम पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, समरानिया पंचायत समिति-शाहबाद जिला बारां में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 12 तथा 2000-2001 में 27, इस प्रकार कुल 39 दुकानों का निर्माण हुआ। इसके लिए रु. 5.07 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी तथा रु. 5.07 लाख राशि व्यय हुई।

(2) उक्त दुकानों का निर्माण खसरा नम्बर-18, 39, 33 व 1167 में हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि आबादी क्षेत्र में आती है।

सभी 39 दुकानों की भूमि आबादी क्षेत्र में आती है। गैर-आबादी क्षेत्र में एक भी दुकान का निर्माण नहीं किया गया है।

जी नहीं। गैर आबादी क्षेत्र में निर्माण नहीं किया गया है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

जी नहीं। अनियमित तरीके से निर्माण नहीं किया गया है।

जी नहीं। अनियमित निर्माण नहीं किये जाने के कारण सरपंच के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला बारां की ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि का समायोजन

185. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां की पंचायत समितियों में ग्रामीण विकास व जिला परिषद् की कौन-कौन सी योजनाओं में ग्राम पंचायतों को निर्माण हेतु दी गई राशि का समायोजन होना शेष है? अब शेष समायोजन कब तक कर दिया जावेगा?

(2) ग्रामीण विकास व जिला परिषद् बारां स्तर पर कौन-कौन सी योजनाओं में किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी राशि का समायोजन होना शेष है?

उत्तर

(1) बारां जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में ग्रामीण विकास विभाग तथा जिला परिषद् द्वारा संचालित विभिन्न योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य हेतु दी गई अग्रिम राशि के विरुद्ध शेष रही राशि का योजनावार एवं पंचायत समितिवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' में अवलोकनीय है। शेष राशि का समायोजन वर्ष 2001-2002 में करवाने बाबत निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जिला परिषद-बारां के स्तर पर किसी भी योजना/कार्य के संदर्भ में राशि का समायोजन किया जाना लम्बित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत नान्दशा (भीलवाड़ा) में विधायक कोटे से निर्मित कार्य में विलम्ब

186. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत नान्दशा की पंचायत समिति सहाड़ा (भीलवाड़ा) में विधायक/सांसद कोटे से उक्त पंचायत के ग्राम नान्दशा का खेड़ा सवाई रामजी का खेड़ा में सार्वजनिक कुई पर टंकी निर्माण, विद्युत मोटर विद्युत कनेक्शन एवं पाइप लाइन के लिए राशि स्वीकृत की गई है?

(2) क्या उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग पंचायत द्वारा कर लिया गया है?

(3) उक्त राशि कब स्वीकृत की गई? उक्त कार्य को करने में पंचायत ने जो

(डा. रतन लाल जाट)

जानबूझकर विलम्ब किया गया इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा सम्बन्धित के विरुद्ध इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है? कार्य समय पर पूरा नहीं करने के कारण क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम सवाई राम जी का खेड़ा, ग्राम पंचायत नान्दशा, पंचायत समिति सहाड़ा के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सार्वजनिक कुई पर आदेश क्रमांक 1646-49 दिनांक 23.5.2000 के अन्तर्गत टंकी निर्माण, विद्युत पम्पसेट क्रय, विद्युत कनेक्शन एवं पाइप लाइन के लिए रुपये 50,000 की राशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु उक्त स्वीकृत राशि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो सकने के कारण सांसद माहेदय की अभिशंषा पर संशोधित आदेश क्रमांक 3369 दिनांक 13.7.2000 के अन्तर्गत विद्युत पम्प सेट एंव विद्युत कनेक्शन के स्थान पर डीजल पम्प स्थापित करने के सम्बन्ध में रुपये 50,000 की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) जी, हां। ग्राम पंचायत नान्दशा द्वारा रुपये 40,000 की राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(3) उक्त राशि दिनांक 13.7.2000 को स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक कुई पर डीजल पम्प स्थापित करने के संबंध में स्थान के चयन में ग्रामवासियों के आपसी विवाद का हल होने के बाद दिनांक 23.3.2001 को सार्वजनिक कुई पर डीजल पम्प स्थापित किया जा सका है। उक्त कार्य में विलम्ब के लिए व्यक्तिशः कोई भी जिम्मेदार नहीं है।

जिला सवाईमाधोपुर में सांसद कोटे से निर्मित सड़क

187. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1998 में सांसद कोटे के तहत मलारना चोड़ से बनियाला तक सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय कर कितना कार्य कृषि विपणन बोर्ड गंगापुर सिटी द्वारा उनके विभाग के नियमानुसार कराया गया?

(3) क्या जिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर अनावश्यक रूप से लम्बे पड़े इस कार्य को ठेके पर मार्केटिंग बोर्ड से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1998 में सांसद कोटे से मलारना चौड़ से अनियाला

(ग्रामीण विकास मंत्री)

तक निर्माण कार्य की रुपये 3.00 लाख की स्वीकृति दी गई।

(2) स्वीकृत राशि में से 1.50 लाख रुपये व्यय करके 1/2 किलोमीटर क्वारी रवीस डालने का कार्य कृषि विपणन बोर्ड गंगापुर सिटी द्वारा निमयानुसार कराया गया।

(3) जी, हां। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा माह अप्रेल, 2001 तक कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के चयनित परिवारों के लम्बित ऋण आवेदन पत्र

188. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी)** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बैंकों द्वारा कुल कितने बी.पी.एल. चयनित गरीब परिवारों को जनवरी 1999 से फरवरी, 2001 तक ऋण दिया गया है? कौन-कौन सी बैंक शाखाओं में बी.पी.एल. चयनित परिवारों के प्रकरण लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक तूंगा में पास-बुक शुदा बी.पी.एल. परिवारों की पत्रावलियां लम्बित है? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बैंकों द्वारा कुल 256 बी.पी.एल. चयनित गरीब परिवारों को जनवरी, 1999 से फरवरी, 2001 तक ऋण दिया गया है।

निम्न बैंक शाखाओं में बी.पी.एल. चयनित परिवारों के जो प्रकरण लम्बित चल रहे हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :

बैंक का नाम	शाखा	संख्या
एस.बी.बी.जे.	बस्सी	55
	नांगल बैरसी	17
पी. एन. बी.	फालियावास	17
बैंक आफ इण्डिया	रोजवाड़ी	15
	पालावाला	
	जाटान	36
	सांभरिया	64
	बांसखोह	70
जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	कानोता	14
	बस्सी	51
	जटवाड़ा	45
	तुंगा	25
	नायला	16

(2) जी, हां। जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक तुंगा में पास बुक शुदा 4 बी.पी.एल. परिवारों की पत्रावलियां दिनांक 24.2.2001 से लम्बित है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उक्त 4 पत्रावलियां पशु संसाधन से संबंधित है और इनसे संबंधित परिवारों ने दिनांक 20.3.2001 तक बैंक शाखा में पशु चिकित्सक से टेगिंग एवं पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

189. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर कुलपति को जांच करवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक किस स्तर के अधिकारी से जांच करवायी जा रही है और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुलपति के विरुद्ध कोई जांच कराने या नहीं कराने के लिए महामहिम कुलाधिपति महोदय ही सक्षम हैं।

प्रस्तावित नवीन कन्या महाविद्यालय

190. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्रीय यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्या मानदंड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य में कुल कितने कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कुल कितने कन्या महाविद्यालय कार्यरत हैं? सूची जिले वार सदन की मेज पर रखें।

(4) किसी सामाजिक संस्था, धर्मार्थ ट्रस्ट एवं अन्य दान दाता द्वारो पूर्ण भवन उपलब्ध करानें पर क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थान पर कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति दी जा सकेगी? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं, जो महिला महाविद्यालयों पर भी लागू हाते हैं। निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वार्षिक योजना 2001-2002 में राज्य में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) राज्य में कुल 122 कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। महिला महाविद्यालयों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) जी, नहीं। वार्षिक योजना 2001-2002 में राज्य में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-1

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।
2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हो।
3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय कार्यरत न हो।
4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

निजी महाविद्यालयों के प्रारम्भ करने हेतु उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सहशिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 25.00 लाख रुपये एवं महिला शिक्षा के महाविद्यालय द्वारा 10.00 लाख रुपये संस्था के 5 वर्षीय सावधि खाते में जमा करवाना आवश्यक है।

परिशिष्ट-2

List Of Districtwise Girls College 2000-2001

S. No.	Name Of Girls College	District
1	2	3
1.	Govt. Girls College. Ajmer	Ajmer
2.	Savitri Girls College, Ajmer	Ajmer
3.	Dyandnd Arya Mahila College, Beawer	Ajmer
4.	Adarsh Girls College, Ajmer	Ajmer
5.	Siogodia Girls College, Ajmer	Ajmer
6.	Agarwal Girls College Kishangarh	Ajmer
7.	Dropadi Devi Savapmal Girls Coll. Ajmer	Ajmer
8.	Gayatri Shakti Peeth Girls Coll. Pushkar	Ajmer
9.	K.D. Jain Girls Coll. Kishangarh	Ajmer
10.	Raghkul Kanya Mahavidyalaya, Ajmer	Ajmer
11.	Sh. Vardhaman Girls Coll. Beawer	Ajmer
12.	Gauri Devi Govt. Girls College Alwar	alwar
13.	Agrasen Mahila Mahavidyalaya, Kherli	alwar
14.	Arya Girls College, Alwar	alwar
15.	Haridave Joshi Govt. Girls Coll. Banswara	Banswara
16.	Govt. Girls Coll. Baran	Baran
17.	Deedwania R.D.J.R. Govt. Girls College Balotra	Barmer
18.	M.B.C. Chhajed Govt. Girls College, Barmer	Barmer
19.	R.D. Govt. Girls College, Bharatpur	Bharatpur

1	2	3
20.	Arya Vidya Peeth Mahila Coll., Bhusawar	Bharatpur
21.	Sri SBKL Girls Coll. Deeg	Bharatpur
22.	Maharani Shri Videnkor Kanya Mahavit. Mahalkhas	Bharatpur
23.	Radha Swawi Mahila Mahavidyalaya, Nagar	Bharatpur
24.	Shri Agrasen Girls College, Bayana	Bharatpur
25.	Shri Radhya Kanya Mahavidyalaya, Nadbai	Bharatpur
26.	S.H.H. Govt. Girls College, Bhilwara	Bhilwara
27.	Gandhi Girls College, Gulabapura Bhilwara	Bhilwara
28.	Jai Tulsi Mahila Mahavidyalaya, Vinaipuran	Bhilwara
29.	Maharani Sudarshan Govt. Girls College. Bikaner	Bikaner
30.	Binani Girls College, Bikaner	Bikaner
31.	Shri Jain Girls College, Bikaner	Bikaner
32.	Govt. Girls College, Bundi	Bundi
33.	Govt. Girls Coll. Chittorgarh	Chittorgarh
34.	Sht. K. D. Lohia Govt. Girls Coll. Ratangarh	Churu
35.	Churu Girls College, Churu	Churu
36.	S.D.S. Girls College, Sujangarh	Churu
37.	KDGD. Mittal Coll. Saradarshahar	Churu
38.	Govt. Girls College, Dausa	Dausa
39.	Sh. Balaji Mahila Maha. Shaia mahandipur Balaji	Dausa

1	2	3
40.	Brajesh Academy Girls College, Bari	Dholpur
41.	Pandit Umaduitta Kanya Mah., Dholpur	Dholpur
42.	Govt. Veer Bala Kali Bai Girls College, Dungarpur	Dungarpur
43.	C.B.G. Govt. Girls Coll., Ganganagar	Ganganagar
44.	M.d. Girls Coll., Raisinghnagar	Ganganagar
45.	Gurumeet Singh Ghanshyam Das Mahila Maha. Padampur	Ganganagar
46.	H.M.O. Kanya Mahavidyalaya, Anupgarh	Ganganagar
47.	Shri Guru Nanak Girl. College, Ganganagar	Ganganagar
48.	Shri Gurunanak Girls Coll. Keshrisinghpur	Ganganagar
49.	Meera Girls Coll., Sangaria	Hanumangarh
50.	Sharswati Girls Coll., Hanumangarh	Hanumangarh
51.	Gramothan Grivgyan Mahila Maha., Sangria	Hanumangarh
52.	Vyapar Mandal Girls Coll., Hanumangarh Town	Hanumangarh
53.	Maharani College, Jaipur	Jaipur
54.	Baba Ganga Das Govt. Girls College, Shahpura	Jaipur
55.	Govt. Girls College, Chomu	Jaipur
56.	Pana Devi Horijavala Govt. Girls Coll., Kotputli	Jaipur
57.	Gandhi Girls Coll., Kishangarh Renwal	Jaipur
58.	Kanoria College, Jaipur	Jaipur
59.	S.B.H. Girls College, Jaipur	Jaipur

1	2	3
60.	S.S.G. Pareek Girls Coll., Jaipur	Jaipur
61.	Vedic Kanya Coll., Jaipur (Raja Park)	Jaipur
62.	M.J.R.F. Girls College, Jaipur	Jaipur
63.	Khandelwal Girls Coll., Jaipur	Jaipur
64.	S.B.N. Girls College, Jaipur	Jaipur
65.	S.s.g. Pareek Girls Coll., Jaipur	Jaipur
66.	Vedic Kanya Coll. Jaipur (Raja Park)	Jaipur
67.	M.J.R.F. Girls College, Jaipur	Jaipur
68.	Saini Jayacharya Coll., Jaipur	Jaipur
69.	Satsai Coll. for Women, Jaipur	Jaipur
70.	Veer Balika Girls Coll., Jaipur	Jaipur
71.	International Girls College, Jaipur	Jaipur
72.	Akash Deep Girls Coll., Mansarover, Jaipur	Jaipur
73.	Dr. B. R. Ambedkar Girls Coll. Mahesh Nagar, Jaipur	Jaipur
74.	L.B.S Girls College, Murlipura, Jaipur	Jaipur
75.	Muslim Mahila College, Jaipur	Jaipur
76.	Rajeev Gandhi Mahila Mahavidyalaya, Sambharlake	Jaipur
77.	S.S.G. Pareek Mahila College, Chomu	Jaipur
78.	S.S. Jain Subodh Kanya Mahavidyalaya, Jaipur	Jaipur
79.	Swami Madhavanand Girls College, Jaipur	Jaipur

1	2	3
80.	Vedic Balika Coll., Jaipur (Mansarover)	Jaipur
81.	Govt. Girls College, Jaisalmer	Jaisalmer
82.	Govt. Girls College, Jalore	Jalore
83.	C.N.V. Mahila Mahavidyalaya, Jalore	Jalore
84.	Govt. Girls College, Jhalawar	Jhalawar
85.	Govt. Girls College, Jhunjhunu	Jhunjhunu
86.	I.G.B. Niketan, Ardawata	Jhunjhunu
87.	Babu Lal Hakhreya Girls College, Bagar	Jhunjhunu
88.	Mata Keshridevi Girls College, Khetri	Jhunjhunu
89.	Nawalghar Girls College, Nawalghar	Jhunjhunu
90.	Smt. Halina Mahila Mahavidyalaya, Malsisar	Jhunjhunu
91.	Smt. I. M. Home Science Coll., Pilani	Jhunjhunu
92.	Kamla Nehru Mahila College, Jodhpur	Jodhpur
93.	Smt. S.D.C. Baradia Govt. Girls Coll., Pipar City	Jodhpur
94.	Mahila College, Jodhpur	Jodhpur
95.	Mahesh Mahila College, Jodhpur	Jodhpur
96.	Savitri Phule Girls College, Bangur Chuck, Jodhpur	Jodhpur
97.	Lahiranda Girls College, Jodhpur	Jodhpur
98.	Govt. Girls College, Karoli	Karoli
99.	Shri Agrasen Girls College, Hindoncity	Karoli

1	2	3
100.	J.D.B. Govt. Girls College, Kota	Kota
101.	S.R.D.M. Coll. for Women's, Kota	Kota
102.	Aklank Girls College, Kota	Kota
103.	Ma Bharti Mahila College, Kota	Kota
104.	R.D.R.K. Jaiya Girls College, Ramganjmandi	Kota
105.	Govt. Girls College, Nagaur	Nagaur
106.	Smt. Gumanbai Pahnalal Bhansali Govt. Girls College, Pali	Pali
107.	L.D.P.M. Sanchati Girls Coll., Vidhabari, Rani	Pali
108.	Govt. Girls College, Nathdwara	Rajsamand
109.	Govt. Girls College, S. Madhopur	S. Madhopur
110.	Agarwal Girls Coll., Gangapurcity	S. Madhopur
111.	Govt. Girls College, Neemkathana	Sikar
112.	S.K.S. Girls Coll., Sikar	Sikar
113.	S.R.K.D. Girls Coll., Fatehpur	Sikar
114.	Sierlisht Matramansgal Women Coll., Laxmangarh	Sikar
115.	Modi Girls College, Laxmangarh	Sikar
116.	Govt. Girls College, Sirohi	Sirohi
117.	Govt. Girls Coll., Tonk	Tonk
118.	Dev Kanya Mahavidyalaya, Deoli	Tonk
119.	Home Science Mahila Mahavidyalaya, Udaipur	Udaipur
120.	Govt. Meera Girls College, Udaipur	Udaipur
121.	Bhopal Nobal Girls Coll., Udaipur	Udaipur
122.	Guru Nanak Kanya College, Udaipur	Udaipur

सांचौर का महाविद्यालय प्रकरण

191. **श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार सांचौर मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। विभाग की वार्षिक योजना 2001-2002 में नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु कोई नवीन प्रावधान नहीं किया गया है तथा राज्य सरकार नये महाविद्यालय खोलने की नीति का पुनरावलोकन भी कर रही है।